खण्ड-356, अंक-2
शनिवार, 15 फाल्गुन, शक संवत् 1903
(6 मार्च, 1982 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 356 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)
1982

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे।

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये।

विषय-सूची

विषय		पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	..	159–162
प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के गैर शिक्षक कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	163
जनपद अल्मोड़ा के विकास खंड चौखुटिया व स्याल दे के कतिपय ग्रामों में पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	163–164
बाह तहसील, आगरा में निरन्तर हो रही हत्याओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	164
राजकीय दीक्षा विद्यालय मौरावां, उन्नाव के भवन को स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	..	165
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	..	165
उत्तर प्रवेश इलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1982 की वापसी हेतु विधान सभा की सहमति की मांग	..	166
सिंचाई मन्त्री, श्री वीर बहादुर सिंह के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	..	166
गृह राज्य मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार के अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय	..	166–168
ट्रक आपरेटर्स की हड़ताल से सम्बन्धित वक्तव्य की प्रतियां वितरित न करने पर वक्तव्य का स्थगन	..	168
कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	..	169
शासन के मन्त्रियों विशेषकर, गृह राज्य मन्त्री द्वारा अधिकारियों पर कथित दबाव डालकर असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने के सम्बन्ध में कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना	..	169–178
सरस्वती कन्या विद्यालय, नरही, लखनऊ की छात्राओं, अध्यापिकाओं तथा अध्यापकों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना	..	178–182
प्रदेश में ट्रक आपरेटर्स की हड़ताल सम्बन्धी लिखित वक्तव्य पर दूसरे मंत्री के हस्ताक्षर होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न		182–183
प्रदेश के ट्रक आपरेटरों द्वारा हड़ताल किये जाने से उत्पन्न परिस्थितियों के सम्बन्ध में वक्तव्य	..	183–187

विषय	पृष्ठ–संख्या
1982–83 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान– अनुदान संख्या 9––कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) अनुदान संख्या 10––कृषि विभाग (कृषि), अनुदान संख्या 34––पशुधन विभाग, अनुदान संख्या 35––पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) तथा अनुदान संख्या 38––मत्स्य विभाग ..	188–254
विधान सभा सदस्य, श्री पंचानन राय की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना ..	254–255
आज कार्य–स्थगन प्रस्ताव में गृह राज्य मंत्री पर लगाये गये आरोप का उनके द्वारा स्पष्टीकरण ..	255–261
कल सहकारिता मंत्री, श्री बच्चा पाठक पर लगाये गये आरोप का उनके द्वारा स्पष्टीकरण ..	261–263
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं ..	263
सरस्वती कन्या विद्यालय के छात्राओं, अध्यापिकाओं तथा अध्यापकों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में वक्तव्य ..	263–264
जनपद मैनपुरी के ओंछा थानान्तर्गत ग्राम बल्लभपुर में चार व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	264–266
जनपद बदायूं के ग्राम बेहटा कोड़ा में असामाजिक तत्वों द्वारा चार व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य ..	266–267
होली के अवसर पर शासन द्वारा अतिरिक्त चीनी वितरित किए जाने सम्बन्धी आदेश की जानकारी की मांग ..	267–268

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, दिनांक 6 मार्च, 1982

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री यादवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--308

अकबर हुसैन, श्री (मुरादाबाद)
अजहर ईमाम, श्री (मिर्जापुर)
अजीजुर्रहमान, श्री (बिजनौर)
अजीत कुमार सिंह, श्री (कानपुर)
अनवार खां, श्री (अलीगढ़)
अनवार मुहम्मद खां, श्री (फर्रुखाबाद)
अबुल कलाम, श्री (आजमगढ़)
अमर नाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह) (फतेहपुर)
अमर सिंह, श्री (सहारनपुर)
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री (बरेली)
अम्बिका सिंह, श्री (बस्ती)
अम्मार रिजवी, श्री (सीतापुर)
अशफाक अहमद अन्सारी, श्री (बरेली)
आजाद कुमार कर्दम, श्री (आगरा)
इन्द्रजीत, श्री (फतेहपुर)
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू) (बहराइच)
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री (गाजियाबाद)
उदयवीर सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
उपेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (खीरी) (उर्फ सुत्तन भैया)
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री (गोंडा)
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी (एटा)
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री (आगरा)
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री (ललितपुर)
कन्हैया लाल, श्री (मथुरा)
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री (लखनऊ)
कमला दरियाबादी, श्रीमती (कानपुर)
कमला देवी, श्रीमती (हरदोई)
कमला प्रसाद सिंह, श्री (जौनपुर)
कमला साहनी, श्रीमती (बस्ती)
कल्याण सिंह सोलंकी, श्री (बरेली)
कल्लू राम, श्री (मिर्जापुर)
किरनपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री (हमीरपुर)
कुदसिया बेगम, श्रीमती (हरदोई)
कुबेर भण्डारी, श्री (देवरिया)
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री (रायबरेली)
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज) (फतेहपुर)
कृष्ण मगन सिंह, श्री (बाराबंकी)
कृष्णवीर सिंह, श्री (बदायूं)
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर (आगरा)
केशरी प्रसाद, श्री (जौनपुर)
केशोराम, श्री (बदायूं)
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री (एटा)
कैलाश टण्डन, श्री (वाराणसी)
कैलाश प्रसाद, श्री (गोरखपुर)
खरपत, श्री (वाराणसी)
खान गुफरान जाहिदी, श्री (फतेहपुर)
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री (मुरादाबाद)
खुर्शीद अहमद श्री (बहराइच)
खुशहाल सिंह रांगड़, श्री (टिहरी गढ़वाल)
खैरुल बशर, श्री (आजमगढ़)
गंगा सागर शंखवार, श्री (कानपुर)
गजेन्द्र सिंह, श्री (इटावा)
गया सिंह, श्री (उन्नाव)
गुलाम नबी, श्री (आगरा)
गेंदा देवी, श्रीमती (बस्ती)
गोपी नाथ दीक्षित, श्री (उन्नाव)
गोपी नाथ वर्मा, श्री (फैजाबाद)
गोरे लाल शाक्य, श्री (इटावा)
गौरी शंकर मैय्या, श्री (बलिया)
चन्दन सिंह, श्री (मथुरा)
चन्द्र प्रकाश शर्मा, प्रो० (बांदा)
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री (लखनऊ)
चारु चन्द्र ओझा, श्री (पिथौरागढ़)
छत्तर सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
छेदा लाल चौधरी, श्री (खीरी)
छेदी लाल, श्री (गोंडा)
जंग बहादुर, श्री (जौनपुर)

जगदीश प्रसाद, श्री (इलाहाबाद)
जगदीश सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
जगदीश सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
जटाशंकर सिंह, श्री (बहराइच)
जफर अली नकवी, श्री (खीरी)
जमुना प्रसाद, श्री (बाराबंकी)
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री (अल्मोड़ा)
जावेद अली, श्री (मथुरा)
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
जियाराम शुक्ल, 'विकल साकेती', श्री (फैजाबाद)
जीराज सिंह मौर्य, श्री (मुरादाबाद)
झरगड़ सिंह, श्री (मेरठ)
झिलमिट राम, श्री (गाजीपुर)
तपेश्वर, श्री (आजमगढ़)
तेजनरायन त्रिवेदी, जी (खीरी)
तेज बहादुर सिंह, श्री (जौनपुर)
तेज बहादुर गंगवार, श्री (पीलीभीत)
त्रिवेनी, श्री (आजमगढ़)
थम्मन सिंह गहलौत, श्री (बिजनौर)
दलगंजन सिंह, श्री (जालौन)
दलजीत सिंह, श्री (रामपुर)
दामोदर शर्मा, श्री (मेरठ)
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री (बस्ती)
दीना नाथ, श्री (बस्ती)
दीपक कुमार, श्री (मुजफ्फरनगर)
दीप नरायन वन महन्थ, श्री (गोंडा)
दूधनाथ राजभर, श्री (आजमगढ़)
देवी प्रसाद, श्री (बहराइच)
देवेन्द्र पांडेय, श्री (सुल्तानपुर)
देवेन्द्र बहादुर सिंह, श्री (कानपुर)
द्वारिका नाथ धवन, श्री (देहरादून)
धन्नी राम वर्मा, श्री (इटावा)
धनेश्वरी देवी, श्रीमती (वाराणसी)
धर्मवीर सिंह, श्री (मेरठ)
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री (मुजफ्फरनगर)
धर्म सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
नकली सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)
नत्थू लाल, श्री (हरदोई)
नन्द किशोर सिंह, श्री (देवरिया)
नन्द राम, श्री (बरेली)
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री (पिथौरागढ़)
नाजिर अली, श्री (शाहजहांपुर)
निर्मल खत्री, श्री (फजाबाद)
नेत्रपाल सिंह, श्री (एटा)
पंचानन राय, श्री (आजमगढ़)
पन्ने लाल, श्री (गोरखपुर)
परमाई लाल, श्री (हरदोई)
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री (बस्ती)
प्रवीन कुमार शर्मा, श्री (बुलन्दशहर)
परागी लाल चौधरी, श्री (सीतापुर)
पहलवान, श्री (जौनपुर)
पारवती देवी, श्रीमती (बाराबंकी)
पूरन चन्द्र, श्री (अलीगढ़)
प्रताप नारायण द्विवेदी, श्री (हमीरपुर)
प्रदीप कुमार यादव, श्री (बाराबंकी)
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री (प्रतापगढ़)
प्रभु नारायण सिंह, श्री (जौनपुर)
प्रमोद कुमार, श्री (प्रतापगढ़)
प्रियदर्शी जेतली, श्री (फैजाबाद)
प्रेमवती, श्रीमती (बदायूं)
प्रेमवती तिवारी, श्रीमती (लखनऊ)
फखरे आलम, श्री (बदायूं)
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री (गोरखपुर)
बंशीधर, श्री (रामपुर)
बंशीधर राज, श्री (खीरी)
बच्चा पाठक, श्री (बलिया)
बदन सिंह, श्री (आगरा)
बब्बन सिंह, श्री (बलिया)
बलराम सिंह यादव, श्री (इटावा)
बलबीर सिंह, श्री (फर्रुखाबाद)
बल्देव सिंह आर्य, श्री (उत्तर काशी)
बाबू राम, श्री (पीलीभीत)
बाबू लाल, श्री (गोंडा)
बाबू लाल, श्री (हमीरपुर)
बिहारी लाल, श्री (नैनीताल)
ब्रज किशोर मिश्र, डा० (देवरिया)
बेनी बाई, श्रीमती (झांसी)
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री (इलाहाबाद)
ब्रह्म दत्त, श्री (देहरादून)
भगवती सिंह विशारद, श्री (उन्नाव)
भगवानदीन कुशवाहा, श्री (कानपुर)
भागीरथ, श्री (झांसी)
भानु प्रताप सिंह, श्री (बरेली)
भास्कर पाण्डेय, श्री (देवरिया)
भूप सिंह केन, श्री (गाजियाबाद)
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री (गोरखपुर)
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री (बस्ती)
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज) (गोंडा)

महावीर सिंह, श्री (सहारनपुर)
महाराज सिंह, श्री (आगरा)
महारानी दोहरे, श्रीमती (इटावा)
महेश चन्द्र, श्री (मेरठ)
महेश प्रसाद, श्री (देवरिया)
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री (वाराणसी)
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री (बस्ती)
माधव प्रसाद, श्री (फैजाबाद)
मान बहादुर, श्री (गोंडा)
मार्कण्डेय चन्द्र, श्री (गोरखपुर)
मित्र सेन, श्री (फैजाबाद)
मीर मजहर अली, श्री (बदायूं)
मुईद अहमद, श्री (सुल्तानपुर)
मुन्शी लाल, श्री (मैनपुरी)
मुरलीधर मुनीम, श्री (गोंडा)
मुहम्मद आजम खां, श्री (रामपुर)
मेंहदी असगर, श्री (मुजफ्फर नगर)
मोती लाल देहलवी, श्री (कानपुर)
मोहन लाल, श्री (हमीरपुर)
मोहन सिंह, श्री (देवरिया)
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री (बदायूं)
मोहम्मद अमीन, श्री (इलाहाबाद)
मोहम्मद नबी, श्री (बस्ती)
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री (लखनऊ)
मोहम्मद वसीम, हाजी (रायबरेली)
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री (वाराणसी)
यशपाल सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी) (गोरखपुर)
योगेन्द्र सिंह, कुंवर (फर्रुखाबाद)
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री (गोंडा)
रघुबीर सिंह यादव, श्री (मैनपुरी)
रणजीत सिंह जूदेव, श्री (झांसी)
रती राम, श्री (बिजनौर)
रमा कान्त मिश्रा, श्री (इलाहाबाद)
रमेश चन्द्र, श्री (रायबरेली)
राज किशोर राव, श्री (बहराइच)
राज कुमार राय, श्री (आजमगढ़)
राजपति देवी, श्रीमती (सुल्तानपुर)
राजपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राज मंगल पाण्डेय, श्री (देवरिया)
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री (सीतापुर)
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री (इलाहाबाद)
राधेश्याम पटेल, श्री (इलाहाबाद)
राधे श्याम वर्मा, श्री (फर्रुखाबाद)
राम अवध प्रसाद, श्री (बस्ती)
राम आसरे पासवान, श्री (बस्ती)
राम आसरे वर्मा, श्री (हरदोई)
राम औतार दीक्षित, श्री (हरदोई)
राम करन, श्री (वाराणसी)
राम कुंवर सिंह, श्री (आजमगढ़)
राम गोविन्द, श्री (बलिया)
राम चन्द्र, श्री (वाराणसी)
राम चरण सिंह, श्री (मिर्जापुर)
राम जनम सिंह, श्री (वाराणसी)
राम धनी, श्री (गाजीपुर)
राम नरेश शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
रामपाल सिंह, श्री (मुरादाबाद)
राम प्यारे पाण्डेय, श्री (फतेहपुर)
राम प्रसाद, श्री (जालौन)
राम प्रसाद, श्री (मुजफ्फरनगर)
राम यश सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम लाल, श्री (सीतापुर)
राम लाल वर्मा, श्री (हरदोई)
राम शिरोमणि, श्री (जौनपुर)
राम समुझावन, श्री (जौनपुर)
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सिंह, श्री (सहारनपुर)
राम सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
राम सिंह खन्ना, श्री (बरेली)
राम सिंह रावल, श्री (एटा)
राम सेवक, श्री (सुल्तानपुर)
राम हर्ष मिश्र, श्री (बहराइच)
राम हर्ष राय, श्री (गाजीपुर)
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री (बरेली)
रामेश्वर प्रसाद, श्री (बांदा)
रिजवानुर्रहमान किदवाई, श्री (बाराबंकी)
रियासत हुसैन, श्री मुरादाबाद)
रुद्र प्रताप सिंह, श्री (देवरिया)
रूप राम, श्री (शाहजहांपुर)
रूल्हा सिंह, श्री (सहारनपुर)
लाल प्रताप सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
लालसा, श्री (आजमगढ़)
लोकपति, श्री (मिर्जापुर)
लोकमणि शर्मा, श्री (मथुरा)
वासुदेव सिंह, श्री (प्रतापगढ़)
विजय कुमार, श्री (लखनऊ)
विजय शंकर सिंह, श्री (गाजीपुर)
विजय सिंह राना, श्री (आगरा)
विद्या भूषण, श्री (मुजफ्फरनगर)

विद्या सागर नौटियाल, श्री (टिहरी गढ़वाल)
विमल प्रसाद तिवारी, श्री (फर्रुखाबाद)
विश्राम दास, श्री (इलाहाबाद)
विष्णु दयाल वर्मा, श्री (मैनपुरी)
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री (सीतापुर)
वृद्धि नारायन सिंह, श्री (वाराणसी)
शंकर सिंह, श्री (जालौन)
शम्भूनाथ, श्री (आजमगढ़)
शरीयतुल्ला, श्री (मुरादाबाद)
शिरोमणि, श्री (बांदा)
शिव दर्शन, श्री (रायबरेली)
शिव नरेश, श्री (बांदा)
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री (नैनीताल)
शिवपाल सिंह, श्री (उन्नाव)
शिव बालक, श्री (रायबरेली)
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर (पौड़ी गढ़वाल)
शेर बहादुर, श्री (फैजाबाद)
शौनाथ सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम नरायन तिवारी, श्री (गोरखपुर)
श्याम लाल बाजपेयी, श्री (बाराबंकी)
श्याम सिंह, श्री (बिजनौर)
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री (इलाहाबाद)
श्रीनाथ सिंह, श्री (वाराणसी)
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री (वाराणसी)
संजय सिंह, श्री (सुल्तानपुर)
सतीश अग्रवाल, श्री (खीरी)
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री (इलाहाबाद)
सत्यपाल सिंह, श्री (शाहजहांपुर)
सत्येन्द्र चन्द्र गुड़िया, श्री (नैनीताल)
सन्त बक्स रावत, श्री (लखनऊ)
सन्तोष कुमारी, श्रीमती (बदायूं)
सरजू प्रसाद 'सरोज' श्री (प्रतापगढ़)
साहब सिंह, श्री (गाजीपुर)
सिकन्दर अली खां, श्री (शाहजहांपुर)
सुग्रीव सिंह, श्री (देवरिया)
सुजान सिंह बुन्देला, श्री (ललितपुर)
सुनीता चौहान, श्रीमती (रायबरेली)
सुन्दर सिंह, श्री (बहराइच)
सुरेन्द्र कपिल, श्री (सहारनपुर)
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री (बस्ती)
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री (अलीगढ़)
सूबेदार सिंह, श्री (मैनपुरी)
सूरजभान, पंडित (अलीगढ़)
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री (जौनपुर)
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती (लखनऊ)
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री (हमीरपुर)
हंसराज सिंह वर्मा, श्री (एटा)
हर गोविन्द वर्मा, श्री (सीतापुर)
हरदेव, श्री (बलिया)
हरबंश प्रसाद पाण्डेय, श्री (बांदा)
हरिद्वार पाण्डेय, श्री (गोरखपुर)
हरि प्रसाद, श्री (उन्नाव)
हरिवंश सहाय, श्री (देवरिया)
हरि सिंह, श्री (बुलन्दशहर)
हरी शंकर, श्री (हरदोई)
हफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री (मुरादाबाद)
हुकम सिंह, श्री (मुजफ्फरनगर)

प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों के गैर शिक्षक कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के समर्थन में हड़ताल के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

(11 बजे पूर्वाह्न)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपकी अनुज्ञा से आदरणीय सदन तथा शासन के संज्ञान में यह तथ्य लाना चाहता हूं कि कल से उ0 प्र0 के समस्त विश्वविद्यालयों में कार्यरत गैर शिक्षक कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है आज भी सम्पूर्ण प्रदेश में हड़ताल है जिससे विश्वविद्यालयों में अध्ययन और अध्यापन का कार्य प्रभावित हुआ है तथा निकट भविष्य में प्रारम्भ होने वाली परीक्षाओं की तैयारी म भी बाधा उत्पन्न है।

मान्यवर, यह गैर शिक्षक कर्मचारी अपनी न्यायोचित मांगों के लिए सरकार का दरवाजा खटखटा रहे थे परन्तु कोई हल नहीं निकला। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि शासन ने द्विपक्षीय वार्ता को ठुकराकर स्वयं यह स्थिति उत्पन्न कर दी है। उनकी मांग है कि सेवा नियमावली का निर्धारण किया जाय। समस्त विश्वविद्यालयों में समान वेतनमान लागू हो। चिकित्सा भत्ता, अवकाश, नगदीकरण अवकाश, ग्रेचुटी व पेंशन आवासीय सुविधा, त्रिपुल बेनीफिट स्कीम की समुचित सुविधा दी जाय। अभी तक विभिन्न विश्वविद्यालय के कर्मचारी अलग-अलग मांगें रखा करते थे परन्तु यहँ पहला अवसर है कि जब कि सम्पूर्ण प्रदेश के विश्वविद्यालयों के गैर शिक्षक कर्मचारी समूहिक रूप से आन्दोलन कर रहे हैं। मैं उनकी मांगों की ओर माननीय शिक्षा मंत्री का ध्यान आकृष्ट कर द्विपक्षीय वार्ता करने तथा न्यायोचित मांगों को तत्काल स्वीकार कर स्थिति सामान्य बनाने के लिये पहल करने की मांग करता हूं।

जनपद अल्मोड़ा के विकास खंड चौखुटिया व स्यालदे के कतिपय ग्रामों में पेयजल संकट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट--

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका ध्याज जनपद अल्मोड़ा के विकास खंड चौखुटिया एवं विकास खंड स्यालदे के कुछ ग्रामों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ग्राम मोहणा, कन्होली विकास खंड चौखुटिया एवं तिलमिलटनोला, लामाकासों, तलाई, अफो, सतमजिया विकास खंड स्यालदे में पेयजल का भारी अभाव है। ग्रामवासी पेयजल की कठिनाई से पीड़ित होकर ग्रामों को छोड़ने के लिए विवश हो रहे हैं। स्वतंत्रता के बाद ग्रामवासी ग्राम से लेकर केन्द्र तक, ग्राम प्रधान से प्रधान मंत्री तक सैकड़ों रुपया रजिस्ट्री एवं तार आदि में खर्च कर चुके हैं। उनकी कठिनाइयों को अभी तक शासन ने अनसुनी कर रखे हैं। गांव की मुख्य

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जसवंत सिंह विष्ट---]

समस्या पेयजल को हल करने के लिये रामगंगा से लिफ्ट योजना अथवा ग्राम रिखाड़ी पत्रालय गैरखेत विकास खंड चौखुटिया से योजना का प्रस्ताव भी है। मैं माननीय सदन के संज्ञान में इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को लाकर शासन से मांग करता हूं कि अवलिम्ब युद्ध स्तर से कार्य कर ग्रामवासियों को पेयजल उपलब्ध कराया जाय जिससे ग्रामवासी पीढ़ियों से अपने ही ग्राम में रह सकें।

बाह तहसील, आगरा में निरन्तर हो रही हत्याओं के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विजय सिंह राना---

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आगरा जनपद की बाह तहसील में बढ़ती हुई हत्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं जिसके कारण सम्पूर्ण क्षेत्र में भारी आतंक व भय व्याप्त हो रहा है। बाह तहसील में गत एक वर्ष में हत्याओं का निरन्तर तांता लग रहा है। अभी पारना के निकट मारे गये 5 ठाकुरों का खून सूख नहीं पाया था कि जैतपुर में दो ब्राह्मणों को गोली मारी गयी और अभी विगत 1/2 मार्च की रात में नौगवां में दो व्यक्तियों को गोली से भून दिया और 2/3 मार्च की रात में कचौरा में दो व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया गया और एक व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हुआ। पुलिस की स्थिति यह रही कचौरा में मरे हुए व्यक्ति की लाश को कुत्ते खा गये तब तक पुलिस वहां नहीं पहुंची। यही नहीं नौगवां में मारे गये लोगों के मरवाने में स्थानीय थाना पुलिस ने योजनाबद्ध ढंग से लोगों का साथ दिया। नौगवां में बहुत पहले से पुलिस गार्ड लग हुआ था जिसे स्थानीय पुलिस ने नेकसा गिरोह को संरक्षण देने वाले राजनैतिक लोगों के दबाव में आकर अभी कुछ दिन पहले ही हटा लिया था। यह लोग बहुत पहले से नौगवां के पुलिस गार्ड को हटवाने के पक्ष में प्रयास करते रहे हैं ताकि नौगवां म रहने वाले स्थानीय विधायक राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह और उनके परिवार को मरवाया जा सके। राजा भदावर इस पुलिस गार्ड को नोगवां से न हटाये जाने के लिये बराबर आग्रह करते रहे हैं और इन्हीं के प्रयास से यह गार्ड वहां बना हुआ था जिसे अभी कुछ दिन पहले थानाध्यक्ष ने अपने प्रयास से हटा दिया है।

इस स्थिति में सबसे अधिक दुःखद आश्चर्य और क्षोभ की बात यह है कि यह सब कुछ राजनैतिक संरक्षण में हो रहा है। यही कारण है कि पुलिस और प्रशासन अपने आपको पूर्णतः पंगु, शक्तिहीन और अक्षम पा रहे हैं? यहां नेकसा का गिरोह पूर्णतः राजनैतिक स्तर पर और राजनतिक लोगों ने खड़ा किया है। राजनैतिक स्तर पर एकत्रित किये गये चन्दे से इस गिरोह के लिए अत्यधिक हथियार खरीदे गये हैं और सम्पूर्ण गिरोह के भरण-पोषण व संरक्षण का सम्पूर्ण भार इन्हीं राजनैतिक लोगों पर है। यही कारण है कि बिना बड़ी डकैतियां डाले और फिरौतियां लिये केवल हत्याओं के बल पर गैंग सम्पूर्ण क्षेत्र म पूरी तरह सक्रिय है।

मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि इस डकैत गिरोह का तुरन्त सफाया कराया जाय उसके राजनैतिक संरक्षणों को अध्यादेश के तहत जेल भेजा जाय और भ्रष्ट पुलिस कर्मियों को तुरन्त निलंबित किया जाय।

राजकीय दीक्षा विद्यालय, मौरावां, उन्नाव के भवन को स्थानान्तरित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री भगवती सिंह विशारद--

माननीय उपाध्यक्ष जी, उन्नाव जनपद के कस्बा मौरावां में एक राजकीय दीक्षा विद्यालय वर्ष 1966 से स्थानीय श्री हरीराम सेठ के एक मकान, बच्चा साहब के फार्म को किराये पर लेकर चलाया जा रहा था। इन भवनों में विशेषकर बच्चा साहब के फार्म के भवन में आवश्यक निर्माण कार्य सरकारी व्यय प: कराया गया था और छात्रों के छात्रावास के लिये श्री हरीराम सेठ का बगीचा मौरावां से लगभग 2 किलोमीटर दूर है, किराये पर लेकर स्थापित किया गया था।

अब विदित हुआ है कि उपरोक्त दोनों मकान मालिकों के दबाव के कारण शासन और शिक्षा विभाग द्वारा उनके भवन को खाली करा कर राजकीय दीक्षा विद्यालय को मौरावां से 2 कि0 मी0 दूर छात्रों के छात्रावास में स्थापित कराय गया है।

इस बगीचे के भवन में न तो इतना स्थान है कि राजकीय दीक्षा विद्यालय स्थापित किया जा सके और न यह स्थान सुरक्षित है और छात्रों के रहने की कठिनाई अलग से पैदा हो गई है। इसके अतिरिक्त दीक्षा विद्यालय से सम्बन्धित माडल स्कूल मौरावां में ही होने के कारण शिक्षकों को घन्टे-घन्टे भर में विद्यालय से माडल स्कूल तथा माडल स्कूल से विद्यालय आना-जाना पड़ेगा। इस वजह से शिक्षा व्यवस्था में व्यवधान पैदा हो गया है जिसके कारण शिक्षकों, विद्यार्थियों और सामान्य जनता में घोर असन्तोष पैदा हो गया है। अतः यह मामला माननीय अध्यक्ष की अनुमति से सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाते हुये सरकार एवं शिक्षा विभाग से मांग करता हूं कि वह राजकीय दीक्षा विद्यालय अन्य व्यवस्था के होने तक पूर्ववत् पुराने भवनों में चलने दें और यदि यह किसी प्रकार से सम्भव न हो तो राजकीय दीक्षा विद्यालय, मौरावां को उन्नाव में स्थानान्तरित कर दें। उन्नाव में राजकीय दीक्षा विद्यालय की सारी सुविधायें शिक्षा विभाग के कब्जे म हैं। भवनों का किराया व्यर्थ म दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 की वापसी हेतु विधान सभा की सहमति की मांग

सचिव, विधान सभा--

माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपकी अनुमति से यह सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से 5 मार्च, 1982 को यह सन्देश प्राप्त हुआ है कि विधान परिषद् ने अपनी दिनांक 26 फरवरी, 1982 की बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया :--

"यह सदन उत्तर प्रदेश विधान सभा से यह सिफारिश करता है कि वह उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित तथा इस सदन में लम्बित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 1980 को वापिस लेने की अनुमति देने पर अपनी सहमति दे।"

और उक्त प्रस्ताव पर इस सदन की सहमति मांगी है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1982

सचिव, विधान सभा—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचना देता हूं कि उत्तर प्रदेश एलेक्ट्रिसिटी (ड्यूटी) (संशोधन) विधेयक, 1982, जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 1982 को पारित किया गया था तथा श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 17 फरवरी, 1982 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 5 मार्च, 1982 को वापस प्राप्त हो गया है ।

सिंचाई मंत्री, श्री वीर बहादुर सिंह के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

विशेषाधिकार की अवहेलना के बारे में दो निर्णय हैं । पहला श्री खैरुल बशर, श्री मित्रसेन यादव तथा श्री मसरूर जाफरी ने कल माननीय सिंचाई मंत्री, श्री वीर बहादुर सिंह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना दी है । माननीय सदस्यों की शिकायत है कि दिनांक 3 मार्च, 1982 को कार्य-स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना के प्रसंग में जब श्री राम आसरे वर्मा अपना पक्ष प्रस्तुत कर रहे थे तो सिंचाई मंत्री ने कहा कि "मान्यवर, ये जो कुछ कह रहे हैं सब गलत है । उन्होंने इसको एक धंधा बना लिया है," और उनके यह शब्द विशेषाधिकार की अवहेलना की परिधि में आते हैं ।

मैंने 3 मार्च, 1982 को सदन की कार्यवाही के संगत अंश को देखा है । उस दिन श्री राम आसरे वर्मा तथा चार अन्य सदस्यों द्वारा दी गयी संदर्भित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना को मैंने अस्वीकार कर दिया था, परन्तु उसके विषय में माननीय श्री वर्मा ने बिना मेरी अनुमति के कुछ कहा, जिसके उत्तर में माननीय सिंचाई मंत्री ने अपने ऊपर लगाये गये आरोपों को गलत बताते हुए "धंधा" शब्द का प्रयोग किया और जिस संदर्भ में वह प्रयुक्त हुआ है, वह असंसदीय एवं अपमानजनक नहीं कहा जा सकता । इसके अतिरिक्त जब उक्त शब्द कहे गये उसी समय इस पीठ से माननीय सदस्यों को शांत करते हुए यह निर्देश दिया गया था कि "नियम देखिए उसके बाद आरोप लगाइये ।" इस प्रकार सदन में कही गयी जिन बातों पर पहले ही अपनी व्यवस्था दी जा चुकी है इसलिए उसके बारे में अब मैं विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं देता हूं ।

गृह राज्य मंत्री के विरुद्ध उठाये गये विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर श्री उपाध्यक्ष का निर्णय

श्री उपाध्यक्ष—

दूसरा निर्णय, श्री संत बक्श रावत, सदस्य, विधान सभा ने 15 फरवरी, 1982 को माननीय राज्य मंत्री, गृह के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना एवं अवमानना के प्रश्न की सूचना दी है । माननीय सदस्य का कहना है कि दिनांक 4 फरवरी, 1982 को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के

नियम 301 के अन्तर्गत दी गयी उनकी एक सूचना का जो उत्तर माननीय राज्य मंत्री, गृह द्वारा दिया गया है वह भ्रामक है और उससे सदन का अवमान हुआ है।

माननीय सदस्य की मुख्य शिकायत के अनुसार दिनांक 28 जनवरी, 1982 को विकास खंड कार्यालय, गोसाईं गंज में आयोजित जनता अदालत की एक बैठक की सूचना उन्हें जानबूझ कर न दिये जाने के विषय में उनके द्वारा नियम 301 के अन्तर्गत ध्यान आकृष्ट किये जाने के प्रसंग में माननीय राज्य मंत्री, गृह द्वारा उन्हें लिखे गये पत्र दिनांक 12 फरवरी, 1982 में इस बात का जिक्र नहीं किया गया है कि जिलाधिकारी और जिले के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति तथा समस्याओं के तात्कालिक निदान का संदर्भ माननीय सदस्य को डाक प्रमाण-पत्र के अधीन भेजी गयी सूचना में क्यों नहीं किया गया था, जब कि वह संदर्भ ग्राम प्रधानों को भेजी गयी सूचना में था।

श्री रावत का आगे कहना है कि माननीय मंत्री के उक्त पत्र में यह भी उल्लेख किया गया था कि 28 जनवरी, 1982 को होने वाले जनता सम्मेलन की सूचना जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा समस्त विकास खंड अधिकारियों को दिनांक 20 जनवरी, 1982 को एक परिपत्र द्वारा भेजी गयी थी और खंड विकास अधिकारियों द्वारा 26 जनवरी, 1982 को संदेश वाहक द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को अग्रेतर भेजी गयी थी जो मौसम की खराबी के कारण माननीय सदस्य तक नहीं पहुंच सकी, जब कि माननीय श्री रावत के कथनानुसार 27 तथा 28 जनवरी को मौसम साफ था और खंड विकास अधिकारी, गोसाईं गंज, लखनऊ ने जानबूझ कर उनकी उपेक्षा करने की नीयत से सूचना नहीं भेजी।

मैंने इस सम्बन्ध में माननीय राज्य मंत्री, गृह ने वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने अपने पत्र में यह स्पष्ट किया है कि वास्तव में 28 जनवरी 1982 को दो बैठकें रखी गयी थी, एक बैठक विकास खंड, गोसाईं गंज की थी जिसकी सूचना 15 जनवरी, 1982 को अन्य व्यक्तियों के साथ माननीय श्री रावत को भी डाक प्रमाण-पत्र के अधीन भेजी गयी थी और दूसरी बैठक या सम्मेलन में जिलाधिकारी व सम्बन्धित सभी अधिकारियों को भाग लेना था और जिसका मुख्य उद्देश्य जनता की विभिन्न कठिनाइयों का तत्काल निराकरण किया जाना था। अतः यह कथन कि खंड विकास अधिकारी द्वारा जो सूचना माननीय सदस्य को भेजी गयी थी और जो ग्राम प्रधानों को भेजी गयी थी, उसमें भिन्नता थी, सही नहीं है क्योंकि दोनों सूचनाएं अलग-अलग बैठकों से सम्बन्धित थीं। जो सूचना माननीय सदस्य को समय से नहीं पहुंच सकी थी उसके सम्बन्ध में खंड विकास अधिकारी तथा अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों के स्पष्टीकरण की एक-एक प्रतिलिपि भी माननीय राज्य मन्त्री, गृह ने अपने पत्र के साथ संलग्न† किया है।

माननीय सदस्य की सूचना तथा माननीय राज्य मन्त्री द्वारा स्पष्ट की गयी स्थिति पर सम्यक रूप से विचार करने के उपरान्त मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि एक तिथि को दो बैठकें आयोजित होने के कारण ही माननीय श्री रावत को यह भ्रम हुआ और माननीय राज्य मन्त्री, गृह द्वारा माननीय सदस्य को जो लिखित उत्तर दिया गया था वह भ्रामक अथवा असत्य नहीं था। इसके अतिरिक्त उक्त उत्तर से सदन के भ्रमित होने का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता, क्योंकि यह उत्तर न तो सदन में दिया गया है और न अभी तक उसका विवरण ही सदन के पटल पर रखा गया है। अतः उपर्युक्त कारणों से मैं इस प्रश्न को सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

---

†छापी नहीं गयी।

श्री हुकम सिंह--

श्रीमन्, एक सूचना मने भी विशेषाधिकार को दी थी ?

श्री उपाध्यक्ष--

अभी उस पर निर्णय नहीं हुआ । अब परिवहन मन्त्री का वक्तव्य होगा ।

ट्रक अपरेटर्स की हड़ताल से सम्बन्धित वक्तव्य की प्रतियां वितरित न करने पर वक्तव्य का स्थगन

(वक्तव्य हेतु मंत्री जी के खड़े होने पर)

श्री हुकम सिंह--

हम लोगों को अभी परिवहन मंत्री का वक्तव्य नहीं मिला है ।

श्री उपाध्यक्ष--

अभी उसकी प्रतिलिपि हमारे दफ्तर को ही नहीं प्राप्त हुई है ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन--

हड़ताल से सम्बन्धित वक्तव्य है और उसी की हड़ताल हो गई ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

तो क्या श्रीमन्, यह संगत होगा कि वक्तव्य पढ़ने की अनुमति दी जाए ।

(व्यवधान)

श्री मित्रसेन--

पूरे प्रदेश में ट्रक हड़ताल से वह मान्यवर, सम्बन्धित हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आपकी बात में दम मालूम पड़ता है, अतः इसको रोका जाता है और पहले कार्य-स्थगन के प्रस्तावों की सूचनाओं को लिये लेता हूं । इस बीच में शासन प्रतियां उपलब्ध करवाएं ।

(व्यवधान)

श्री हुकम सिंह--

आप दोनों की विशेष घनिष्ठता है, इसलिए एक दूसरे के बारे में विशेष रूप से जानते हैं ।

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । एक श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री कुवेर भण्डारी द्वारा दी गई है, जो कहा गया है कि शासन के माननीय मंत्री द्वारा राजकीय कर्मचारियों पर दबाव डालकर असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने के सम्बन्ध में लिखा है । इसी तरह की सूचना दूसरे ग्रुप ने दी है, जिसमें श्री मोहन सिंह, श्री राम सागर, श्री जमुना प्रसाद, श्री हुकम सिंह, श्री मोती लाल देहलवी, श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ और श्री माता प्रसाद पान्डेय जी का नाम है । तीसरी सूचना तीसरे ग्रुप ने दी है, जिसमें माननीय फखरे आलम, माननीय मुहम्मद आजम खां हैं । चौथी राम आसरे वर्मा, गोपीनाथ वर्मा, खैरुल बशर, परमाई लाल द्वारा दी गई थी । पांचवी श्री राम गोविन्द चौधरी की, छठी श्री मसरूर जाफरी, श्री राम आसरे वर्मा, श्री गोपी नाथ वर्मा, श्री खैरुल बशर और श्री परमाई लाल जी की है । सातवीं श्री मित्रसेन यादव की है । यह सब एक ही तरह की थीं । आठवीं सूचना श्री हरिवंश सहाय और श्री नन्दकिशोर सिंह की है जो देवरिया-गोरखपुर की सीमा पर नैपाल से गांजे की तस्करी के सम्बन्ध में है । नवीं सूचना माननीय रियासत हुसैन, माननीय राम गोविन्द चौधरी और माननीय अकबर हुसैन की थी जिसमें उन्होंने सरस्वती कन्या विद्यालय, लखनऊ की छात्राओं एवं अध्यापिकाओं तथा अध्यापकों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में सूचित किया था और ऐसी ही सूचना माननीय गौरी शंकर भैय्या व श्रीमती गौरी देवी ने दी थी । ऊपर की 7 सूचनायें एकदम अस्वीकृत की गयी हैं और आठवीं भी अस्वीकृत की है । क्योंकि ग्राह्यता के बारे में माननीय रियासत हुसैन को सुनना चाहता हूं ।

शासन के मंत्रियों विशेषकर गृह राज्य मंत्री द्वारा अधिकारियों पर कथित दबाव डालकर असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

(श्री रियासत हुसैन का नाम पुकारे जाने पर)

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, जो पहले की सूचनायें हैं उनके बारे में तो आप हमें सुन लें । श्रीमन्, राज्य सरकार के राज्य मंत्री श्री राजेन्द्र त्रिपाठी ने बाराबंकी जिले के असन्दरा पुलिस स्टेशन के थाना अध्यक्ष को एक डाकू के बारे में जो कई मामलों में इन्वाल्व है और जिसकी पुलिस को तलाश है और जो एक असामाजिक तत्व है, उस पत्र में लिखकर यह कहा है कि....

श्री उपाध्यक्ष--

आपने जो नोटिस दिया है, क्या उसके साथ प्रतिलिपि जोड़ी थी ?

श्री मोहन सिंह--

अभी दिया है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं । सूचना 10 बजे के पहले दी जाती है । उसके साथ पत्र का नत्थी होना आवश्यक होता है । पत्र अभी दिया गया है ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, सूचना के साथ पत्र देना इसलिए आवश्यक होता है कि आप देख लें लेकिन हमने अपने कार्य-स्थगन के प्रस्ताव में ये तथ्य भी प्रस्तुत किए हैं कि राज्य मन्त्री ने डायरेक्ट एक पत्र बाराबंकी जिले के दरोगा को लिखा है और उसमें यह कहा है कि प्यारे लाल नाम का व्यक्ति राम सनेही घाट...

श्री उपाध्यक्ष—

मैं आपको कहने की इजाजत नहीं देता हूं । आप अपनी सूचना के ऊपर किसी चीज को आधारित नहीं कर सकते हैं । नियमों से ऊपर मैं आपकी सूचना को नहीं मानता हूं । तो नियमानुसार पत्र नत्थी होना चाहिए था, जो नहीं था । चूंकि उसके साथ कोई नत्थी नहीं थी इसलिए मजबूर होकर खारिज करना पड़ा ।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, ग्राह्यता पर जब सूचना दी जाती है तो निजी सूचना के आधार पर दी जाती है । जो हम सूचना देते हैं, उसको अध्यक्ष पीठ की ओर से सही माना जाता है और फिर कोई निर्णय किया जाता है । उस पत्र को इसलिए नहीं दिया कि ग्राह्यता पर बोलते समय पत्र को पढ़ लिया जायेगा । कोई भी मंत्री अगर सीधे किसी अधिकारी को पत्र भेजते हैं तो उसकी मान्यता नहीं होती है, ऐसे शासन के आदेश हैं । एक पुराने समाजवादी और कांग्रेस के अध्यक्ष को मरवाने में जिसका सम्बन्ध हो, उसे गिरफ्तार न करके...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया बिराजें, माननीय चौधरी साहब, मोहन सिंह जी जब मैं खड़ा हूं तो कम से कम आप बैठ जायं । मुझे अफसोस है कि जो नियम आप स्वयं बनाते हैं, उनको भी मानने में आपको परेशानी होती है । नये नियम को बने ज्यादा दिन नहीं हुए इसलिए सम्भवतः मोहन सिंह जी उसे भूल गये । आपने अपने नियमों में संशोधन किया है और आपने अपने नियम 289 के बाद नया नियम 289—क में परन्तुक जोड़ा है । वह जोड़ा ही इसलिए है कि जब आप कोई आरोप लगावेंगे तो उसकी सूचना नेता को देंगे, खैर आपके नेता तो मौजूद नहीं हैं, वे मौजूद रहे भी नहीं हैं, संयोग से आज इस समय उप नेता भी आपके नहीं हैं, आप मुख्य सचेतक हैं, हो सकता है आपने अपने पास सूचना को रख लिया हो...।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, भेजी है आपको ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं कोई नजूमी तो था नहीं, आपकी नोटिस प्रोजम्पशन पर थी और उसके साथ आपका पत्र था नहीं, इसलिये आपके ही नियमों का अनसरण करते हुये, जिसका पालन करने के लिये आपने मुझे यहां बिठाया है मुझे आपके मामले को रद्द करना पड़ा ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, कल भी मैंने इसी तरह का एक पत्र आपको दिया था ..

श्री मोहन सिंह--

यह तो मान्यवर, सम्पूर्ण मंत्रिमंडल के कार्यकलापों के ऊपर प्रेशर है...।

श्री उपाध्यक्ष--

कल एक माननीय मन्त्री के खिलाफ कोई सवाल आया था...

(व्यवधान)

आप कृपया पहले बैठें । मेरी बात तो आप सुनते ही नहीं हैं । कल आपने जब नोटिस दिया तो उसके साथ फोटो स्टेट कापी भी दी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

वह भी अलग से दी थी ।

श्री उपाध्यक्ष--

एक सूचना में नत्थी थी । तो जब आज आपने उसकी कापी उस वक्त नत्थी नहीं की, तो मैं क्या कर सकता था । कल जिस रास्ते का अनुसरण आपने किया था, वही आज भी करते तो मुझे बल मिलता । मैंने अब माननीय रियासत हुसैन को बुला लिया है, आप कृपया बैठें ।

श्री हुकम सिंह--

मैं मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न नियम 289 (क) के बारे में उठाना चाहता हूं, इस विषय पर कुछ नहीं कहूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप उस नियम को कृपया पहले पढ़ें । उसमें यह है कि जब भी कोई आरोपात्मक विषय सदन में प्रस्तुत होगा तो ऐसे आरोपात्मक विषय को प्रस्तुत करने के लिये उसकी एक प्रति आप पीठासीन अधिकारी को देंगे और एक प्रति सम्बन्धित मंत्री को देंगे यदि मंत्री के खिलाफ शिकायत हो तो । यह सामान्य नियम है, सब पर यह लागू होता है ।

(व्यवधान)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

व्यवस्था पर व्यवस्था उठाना यह अव्यवस्था है । आप कृपया बैठें ।

(व्यवधान)

आप कृपया बैठें । माननीय वर्मा जी, आप विराजें । माननीय हुकम सिंह जी आप कृपया नियमावली का नियम 289-क को पढ़ें । यह किस चैप्टर का अंग है ? चैप्टर को खोलिये । अध्याय 20 को पढ़िये । अध्याय 20 के नीचे क्या लिखा है, उस लाइन को पढ़िये ।

श्री हुकम सिंह--

प्रक्रिया के साधारण नियम 1 (क) सभा की भाषा ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं समझता हूं कि अब आपके मन की शंका दूर हो गई होगी ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, जिस पत्र के ऊपर तर्क आधारित कर रहा हूं, आपने कहा कि उस पत्र के साथ वह संलग्न नहीं किया गया । 289 (क) जो पढ़ा आपने, उसमें यह है कि जो आरोप हम लगायेंगे, उस आरोप की प्रतिलिपि आपको देंगे और सम्बन्धित मंत्री को देंगे । लेकिन जो उसकी सहादत है, उसकी प्रतिलिपि देने की कोई आवश्यकता नहीं है । जो इवीडेंस हमारे पास होगी, अगर नियम यह बन जाय कि वह तमाम इवीडेंस हम मंत्री जी को भेज देंगे, तब तो हमारा सारा मतलब ही समाप्त हो जागगा । आपकी आज्ञा से इसकी प्रतिलिपि भेजने की जो बात है, अगर हम जो वह तमाम सबूत लाया करें और वह तमाम सबूत मंत्रियों को भेज दिया करें, तो उसका मतलब ही क्या रहेगा, मान्यवर ?

श्री उपाध्यक्ष--

289-क आपकी नियमावली के अध्याय 20 का जो प्रक्रिया के साधारण नियमों से सम्बन्धित है, उसका एक नियम है और उस नियम में आपने सुधार किया और उसमें आपने एक नियम जोड़ा, तो मैं समझता हूं कि वह नया नियम आप भी समझते होंगे कि उस अध्याय की मंशा से गाइडेड होंगे और ऐसी दशा में आपने एक चीज और कहा कि अगर मैं सब सबूत पेश ही कर दूं, तो मेरे पास क्या रह जायगा । मैं आपसे सबूत नहीं चाहता हूं, केवल आधार चाहता हूं ।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, हमेशा नियम 56 में जो हम लिख कर देते हैं, वही आधार होता है । उस पर जब वक्तव्य आता है या उस पर चर्चा जब होती है, तो उससे सम्बन्धित जितने तथ्य होते हैं, वह रखे जाते हैं । मान्यवर, एक महत्वपूर्ण सूचना आपको दी कि यह शासन और शासन के मंत्रियों के सम्बन्ध में, एक नहीं, एक दर्जन बार, जी० ओ०, राजाज्ञा प्रसारित की गई, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर बयानात दिया कि कोई भी आदेश मंत्री सीधे अधिकारी को न भेज, या जो

राज्य सरकार के प्रधान हों, सचिव हों, उनके माध्यम से आदेश जाना चाहिये। सीधे यह व्यक्ति विशेष में अपनी रुचि रखते हुये गृह राज्य मंत्री ने आदेश भेजा। तो मैं यह अपेक्षा नहीं कर सकता कि इस प्रशासन में जितना भी काम हो रहा है, सरकार की क्रिया प्रणाली से सम्बन्धित हम लोगों का यह कार्य-स्थगन प्रस्ताव है और इसलिए सभी माननीय विरोधी पक्ष के नेताओं ने अपने-अपने हस्ताक्षर करके अलग-अलग सूचनायें दी हैं, इसलिये मैं उसको पढ़ना चाहता था और आज आप उसको पढ़ने की इजाजत नहीं देते हैं, लेकिन जिस दिन चर्चा की इजाजत देते हैं उस दिन वह पढ़ा जायगा, उस दिन हम अपने नेता और सम्बन्धित मंत्री को सूचना दे देते और पीठ को सूचना तो दे ही दिया है। इसलिए इसको मान्वयर, ग्राह्य कर लें और इस पर चर्चा करा लें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आप सबको सुना। संयोग से माननीय गुप्त, माननीय मोहन सिंह और हुकम सिंह तीनों सदस्य कार्यमंत्रणा के सदस्य हैं और नियम समिति ने आपके इस नियम को स्वीकार किया है।

श्री मोहन सिंह--

मान्यवर, यह नियम, नियम 56 के लिए नहीं है। मान्यवर, यह नियम अलग से सामान्य कार्य संचालन के लिये है क्योंकि जनरल डिवेट में आरोप और प्रत्यारोप हुआ करते थे। उससे बचाने के लिये यह प्राविधान किया गया। उससे नियम 56 प्रतिबन्धित नहीं होता। मान्यवर, नियम 56 तो अपने में स्वयं एक महत्वपूर्ण क्लाज है जिसके द्वारा हम लोग इस प्रकार के विषय को उठाकर जनता की बात यहां सदन के सामने लाते हैं। उसको नियम 56 में जोड़ दिया जायेगा तो नियम 56 की गरिमा उसका स्कोप और उसका दायरा कम हो जायेगा। मान्यवर, कार्यस्थगन में उसको जोड़ने की आपकी भावना है ऐसा न किया जाय मेरी प्रार्थना है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप उचित माध्यम से इन बातों को हमारे सामने लावें। हम नियम समिति को फिर भेजेंगे और वह विचार करेगी कि कार्य को चलाने के लिए क्या आवश्यक संशोधन की आवश्यकता है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

माननीय उपाध्यक्ष जी, एक मिनट सुन लें। इसी चीज को मैं दूसरे ढंग से कहना चहता हूं। कार्य मंत्रणा समिति का मैं सदस्य नहीं हूं। लेकिन जो संशोधन हुआ है उसकी जानकारी मुझे आपके द्वारा आपके कक्ष में हुई थी। मान्यवर, यह सामान्य कार्य प्रक्रिया के सम्बन्ध में है। यह कार्य स्थगन का है। आप इसको देखने की कृपा करें। मान्यवर, यह मेरी निश्चित जानकारी है कि राज्य गृह मंत्री ने व्यक्तिगत हैसियत से नहीं अगर व्यक्तिगत से लिखा होता तो नजरन्दाज किया जा सकता था लेकिन इन्होंने राज्य गृह मंत्री की हैसियत से लिखा है उसमें मुहर लगी है यह कार्यकलाप और कार्य शैली के बारे में है। कल कार्यस्थगन प्रस्ताव पर सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने कहा था कि कार्यस्थगन कार्य शैली और सरकार की नीति के सम्बन्ध मे आ सकता है। कल एक मामला उठा एक मंत्री ने आउट आफ वे जाकर विधि का उल्लंघन किया और अधिकारी पर दबाव डाला। आज मान्यवर, राज्य गृह मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग करके एक

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

पत्र थाना अध्यक्ष को लिखा ऐसे आदमी के सम्बन्ध में लिखा जो 3–4 डकैती और कत्ल के मामले में वान्टेड था । इससे रूल आफ ला समाप्त हो जायेगा ।

(व्यवधान)

श्री हरदेव--

मान्यवर, आपने जो नियम दिया है आता नहीं है सब बात कहे जाते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय गुप्त आप बैठ जायं मेरी करबद्ध प्रार्थना है । श्री हरदेव के सामने कोई नहीं बोल सकता ह । श्री हरदेव जो नियम के परे हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आप पुनर्विचार कर लें । मान्यवर, एक तरफ तो यह सरकार डाकुओं पर नियंत्रण को प्रतिज्ञा करती है और दूसरी तरफ डकैतों को संरक्षण देते हैं । वह भी गृह मंत्री के द्वारा यह अत्यन्त लज्जाजनक और निन्दनीय काम है, इसलिए आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप इस पर पुनर्विचार कर लें ।

*श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, कल आपने एक व्यवस्था इस सदन में दिया राज्य मंत्री सहकारिता के खिलाफ कार्य स्थगन के प्रस्ताव पर उसमें आपने व्यवस्था दिया था कि यह कार्यस्थगन है आरोप नहीं । जो मोहन सिंह ने बात उठाई थी वह बात और कल आपकी व्यवस्था एक ही है । जो पत्र राज्यगृह मन्त्री ने लिखा है....

श्री उपाध्यक्ष--

क्या मेरे इस अध्यक्ष पीठ पर बैठने का यह लाभ लिया जा रहा है, जो मैंने नहीं कहा है वह भी कहा जा रहा है । क्या प्रासीडिंग निकलवाई जाय ?

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, कल आपने कहा था कि कार्य–स्थगन है आरोपात्मक नहीं है । यदि ऐसी चीज नहीं है तो मैं अपने शब्द वापस लेता हूं । मान्यवर, मेरा कहना है कि एक शातिर बदमाश को बचाने के लिये राज्य गृहमन्त्री थानेदार को पत्र लिखें । मन्त्री नीचे के अधिकारियों और कर्मचारियों को आदेश देते हैं लेकिन राज्य गृह मन्त्री जो थानेदार से निवेदन कर रहे हैं, यह शासन की प्रतिष्ठा को गिरा रहे हैं । मन्त्री की सील लगा है, उनके हस्ताक्षर द्वारा पत्र थानेदार के पास जाता है । ऐसे शातिर बदमाश को छूट दे रखा है और कहा है कि कार्यवाही न की जाय । यही नहीं बहुत से काम राज्य गृह मन्त्री टेलीफून पर किया करते हैं इसलिए कोई स्थान नहीं जहां शातिर बदमाश को बचाने के लिये यह कोशिश न कर रहे हों ।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शासन के मंत्रियों विशेषकर, गृह राज्य मंत्री द्वारा अधिकारियों पर कथित दबाव डालकर असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री मित्रसेन—

शासन पर मैं आरोप लगा रहा हूं कि यह अपराधियों और डाकुओं को संरक्षण दे रहे हैं। इस बात की पुष्टि इनके इस पत्र से हो जाती है। इस पर आप चाहें, हमें सुन लें। इस सम्बन्ध में मैं आपसे बराबर निवेदन कर रहा हूं कि प्रदेश की शान्ति व्यवस्था और नीति के सम्बन्ध में विचार किया जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मोहन सिंह जो नाम से यदि सिंह निकाल दिया जाय और खाली मोहन रहे तो आप जो भी करें, तो मुझे कुछ नहीं कहना है क्योंकि दुनिया की मानी हुई मान्यताओं को तोड़ने के लिये मोहन का जन्म हुआ है।

श्री मोहन सिंह--

मैं आपका भांजा हूं इस लिए आप जो चाहे हटा दें।

सार्वजनिक निर्माण मन्त्री (श्री अम्मार रिजवी)—

मान्यवर, माननीय मोहन सिंह जी ने अभी एक पत्र के बारे में कहा और उसके बाद जो प्रक्रिया के बारे में कहा कि जहां तक सरकार का यह आदेश है कि कोई भी पत्र जो कि सरकारी माध्यम से नहीं जाता है उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। उन्होंने डाइरेक्ट पत्र लिखा है, इस लिए जो मुख्य मन्त्री ने आदेश दिये हैं उनका उल्लंघन हुआ है। मान्यवर, यह प्रक्रिया इसी कारण से की गयी कि बहुत से लोग तरह तरह के पत्र, दस्तखत, मोहर और पैड बना कर अधिकारियों के नाम से पत्र लिखा दिया करते थे, इस लिये यह प्रक्रिया की गयी कि सही रास्ते पर पत्र जाय। इसी के बाद यह प्रश्न 289-क का हवाला दिया जिसमें संशोधन हुआ है, उसका जिक्र आया। श्री मोहन सिंह ने कहा कि नियम 56 इससे किसी प्रकार प्रभावित नहीं होता है चूंकि यह नियम 289-क के अन्तर्गत यह संशोधन आया है। 289-क जिसमें मान्यवर, आपको और नेता सदन को एक पत्र भेजना आवश्यक है। मान्यवर, में नियम 289 की तरफ अपना ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं जिसमें पहले लिखा है प्रत्येक भाषण का विषय जो कुछ भी कहा जाय, जिस तरह उसमें कहा जाय चर्चाधीन विषय से सर्वथा सुसंगत होना चाहिये, इसके नीचे शर्तें लिखी हुई हैं।

मान्यवर, उसके बाद श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त ने कहा कि भाषण कहां है, यदि इसको न माना जाय, तो जो बोल रहे हैं यह माना जाय। नीचे देखें (2) में लिखा है--बोलते, इस लिये यदि भाषण से इंकार करें तो 'बोलते' शब्द है। इसलिए जहां तक नियम 289 और 289-क के अन्तर्गत जो दूसरे सबरूल्स है, उनका जहां तक सम्बन्ध है, उसका एरिया व्यापक है। वह नियम 56 उससे अलग है। इस लिये नियम 289 में (1) में प्रत्येक भाषण और जो यहां बोला जाय, वह नियमावली से गाइड होता है। यदि नियमावली बनाकर स्वयं उसके नियमों का पालन नहीं करते हैं तो संसदीय परम्परायें कैसे रह सकती हैं। कोई भी सदन किसी नियम और विधान से गाइड होता है और यहां आप बैठे हैं जो इंटरप्रेट करते हैं और हमको निर्देश देते हैं कि उसके हिसाब से काम हो, इसलिये नियमावली का जहां तक सम्बन्ध है उसमें यह संशोधन किया गया है जो सदन

[श्री अम्मार रिजवी—]

द्वारा पारित हुआ है । इस लिये मैं समझता हूं कि हम सब का कर्त्तव्य है कि नियम के अनुसार काम करें । ताकि सदन ठीक प्रकार से चल सके ।

मान्यवर, जो आरोप लगाया गया उसके सम्बन्ध में कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि सम्बन्धित मन्त्री यहां पर इस समय नहीं है । पत्र किस प्रकार चला गया है क्योंकि वह हमारी डाक से नहीं गया है और न सचिवालय से गया है । कोई भी किसी के दस्तखत करा कर दे सकता है जिसका छानबीन होना चाहिये । मान्यवर, आरोप लगाना आसान है लेकिन जब तक वह प्राइमा फासी सिद्ध न हो तब तक किसी के लिये कोई चीज कहना उचित नहीं है । इस लिये निवेदन है कि जहां तक नियमों का प्राविधान है, जो संशोधन किया गया है, वह इसी के लिये किय गया है कि सदन के अन्दर प्रदेश की जनता की आंखें लगी रहती है इस लिये हमारी बात जिम्मेदारी से निकले जिससे प्रदेश की जनता उससे मार्गदर्शन ले, इस लिये यह किया गया है । अतः निवेदन करूंगा कि कार्य स्थगन के लिये मान्यवर, आपने निर्णय दे दिया है लेकिन इसको नियम समिति में रखने का कोई औचित्य नहीं है । यह सदन की कार्यवाही को केवल और बढ़ाने के लिए इसको रखा गया है, इसलिये इसको स्वीकार न करें ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है लेकिन इनके मन्त्रीगण असामाजिक तत्वों को बचाने के लिये दरोगा को पत्र लिखते हैं, इसलिये इस सरकार की नीति के खिलाफ मैं और मेरा दल सदन का बहिर्गमन करता है ।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया जा रहा है । मैं दल के साथ सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री विद्यासागर नौटियाल अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री रियासत हुसैन—

मैं इसी सिलसिले में कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप अपने नियम 56 के बारे में कहें ।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, जो सार्वजनिक निर्माण मन्त्री जी ने कहा उसी सिलसिले में कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष—

उस पर मैं निर्णय दे चुका हूं । आप अपने नियम 56 के बारे में कहें ।

शासन के मंत्रियों विशेषकर, गृह राज्य मंत्री द्वारा अधिकारियों पर कथित दबाव डालकर असामाजिक तत्वों को संरक्षण देने के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री राम आसरे वर्मा--

[× × ×]

श्री मित्रसेन--

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष--

जो मेरी बिना आज्ञा के बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायगा।

श्री मित्र सेन--

मान्यवर, मुझे अपनी बात कहने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

(श्री मित्रसेन सदन त्याग कर चले गये।)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, आप चर्चा की इजाजत नहीं दे रहे हैं। इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री राम आसरे वर्मा सदन त्याग कर चले गये।)

श्री खैरूल बशर--

मान्यवर, मुझे अपनी बात रखने का अवसर नहीं दिया जा रहा है। मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री खैरूल बशर सदन त्याग कर चले गये।)

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, जैसा आपके सामने प्रश्न काम रोको की शक्ल में उपस्थित हुआ है, बाराबंकी जिले में वहां के एक दरोगा को एक राज्य मन्त्री ने पत्र लिखा।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय उप नेता विरोधी दल यह पुनरावृत्ति हो रही है।

श्री मोती लाल देहलवी--

मान्यवर, आप जानते हैं कि अपराध बढ़ने का एक कारण यह भी है कि राज्य गृह मन्त्री थानाध्यक्ष को पत्र लिखाते हैं। इस पर विचार की अनुमति आप नहीं दे रहे हैं यह बड़े अफसोस की बात है।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं आपको अनुमति नहीं देने के लिये, आपके द्वारा बाजाप्ता खत नहीं लगाने के कारण बाध्य हुआ। मैं इजाजत नहीं देता हूं।

नोट--[× × ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री मोती लाल देहलवी—

इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री मोती लाल देहलवी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

(तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी के नारे लगाये गये)।

सरस्वती कन्या विद्यालय, नरही, लखनऊ की छात्राओं, अध्यापिकाओं तथा अध्यापकों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

*श्री रियासत हुसैन--

मैंने जो नियम 56 की सूचना दी है वह काफी गम्भीर है और उसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं । श्रीमन्, बड़े खेद की बात है कि सरस्वती विद्यालय का जो मामला चल रहा है वह यहां के बहुत करीब नरही में स्थित है । इससे ज्यादा खेद और चिन्ताजनक और दुख की बात यह हो जाती है कि लखनऊ की दो-दो महिला सदस्य चुनी गयी हैं और दोनों विधायिका इस शासन में मन्त्री पद पर विराजमान हैं । लगातार कई दिनों से यह मामला चल रहा है । अपर हाउस में चला और वहां के नेता सदन ने आश्वासन दिया कि हम इस मसले को जल्दी ही हल कर देंगे । लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया कि यह मसला हल हो जाता । इसकी गम्भीरता इसलिये और बढ़ जाती है कि इस सदन के माननीय सदस्य श्री पंचानन राय भी इसमें डाइरेक्टली इन्वाल्व हैं । कल जो घटना हुयी उसके अन्दर उनको गिरफ्तार किया गया और एक दिन पहले भी उनको गिरफ्तार किया गया था ।

कल एक और गम्भीर घटना हो गयी है कि पुलिस ने लाठीचार्ज किया इस विषय पर कि लड़कियां यह प्रयास कर रहीं थीं कि जिस इमारत से उनका स्कूल हटा दिया गया है और सरकार की नोटिस में होने के बावजूद भी उसको हल करने में सरकार अभी कामयाब नहीं हुयी है सरकार उसको उतनी इंपारटेंस नहीं दे रही है । वह कहां पढ़ें इम्तहान करीब आ गये हैं, क्लासा कहां अरेंज हों, शिक्षा विभाग और सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया है इसलिये मजबूर होकर कुछ जिम्मेदार लोगों के नेतृत्व में जिसमें इस सदन के माननीय सदस्य और दूसरे सदन के माननीय सदस्य थे । उनके मशवरे से उनको यह फैसला करना पड़ा कि इमारत में क्लास चालू करें । सरकार की तरफ से बजाय मसले का हल किये जाने के, लाठीचार्ज किया गया, जिससे 50 लड़कियां जख्मी हुईं । उसके बाद तब ढेले भी फेंके गये । पुलिस फोर्स के भी चोटें लगीं । यह इतना गम्भीर विषय है और गम्भीरता प्रकट करता है, चूंकि यह मामला लखनऊ का ही है । माननीय मन्त्री जो ने दूसरे सदन में आश्वासन दिया कि इसको हल करेंगे । इस सदन के एक सदस्य खुद भागीदार हैं । यह सारी चीजें ऐसी हो गयी हैं कि मैं यह चाहता हूं कि तुरन्त सरकार कोई न कोई ऐसा रास्ता निकाले, आज शाम तक इसके बारे में कोई वक्तव्य दें या कुछ भी करें । हमारा मकसद यह नहीं है कि मामला बढ़े, हम यह चाहते हैं कि 1000 स्कूल की लड़कियों की जो पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिये ताकि इम्तहान सही तरीके से हो सके । इसलिये मैंने नियम 56 में ध्यान आकर्षित किया ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री गौरी शंकर भैय्या--

मान्यवर, कन्या सरस्वती इन्टर कालेज, लखनऊ का मामला चल रहा है, इसकी ग्राह्यता के सम्बन्ध में निवेदन करना है । राजधानी के अन्दर ही, जहां विधान सभा चल रही है, बड़े-बड़े अधिकारी, मन्त्री, विधायक हैं, उसके थोड़ी ही दूर पर उक्त कन्या इन्टर कालेज है, जिसका मामला 5 दिन से अधर में लटका हुआ है । कल जब विधान सभा और विधान परिषद् के सदस्य वहां गये और लड़कियों को कक्षाओं में प्रवेश करवाना चाहते थे तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ढेले चलाये, जिससे 50 लड़कियां घायल हुईं । शिक्षा मन्त्रालय और गृह मन्त्रालय दोनों से सम्बन्धित मामला बनता है । इसकी ग्रह्यता के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि आज की गृह मन्त्री, पहले शिक्षा मन्त्री रह चुकी हैं और शिक्षा मन्त्री पहले गृह मन्त्री रह चुके हैं, दोनों से सम्बन्धित मामला है, दोनों जानते हैं उसके बाद भी घटना हो रही है । दो महिलायें लखनऊ से चुनी गई हैं, दोनों मन्त्री हैं...।

श्री उपाध्यक्ष--

आप ग्राह्यता पर बोल रहे हैं ?

श्री गौरी शंकर भैय्या--

जी हां, मान्यवर, ग्राह्यता के सम्बन्ध में ही कह रहा हूं । महिलाओं पर लाठीचार्ज हुआ है, जब कि गृह मंत्री और प्रधान मंत्री दोनों महिलायें हैं । आपकी सूचना में लाना है कि यह इतना अविलम्बनीय मामला है कि परसों प्रायोगिक परीक्षा लेने के लिए एग्जामिनर आया हुआ था, उसको परीक्षा लेने की जगह नहीं मिली वह पर्चा लेकर वापस लौट गया और प्रायोगिक परीक्षा नहीं हो पायी ।

श्री ब्रह्मदत्त जी ने अपर हाउस में विधान परिषद् में जब मामला उठा था, वहां पर बोलते हुए स्पष्ट आश्वासन दिया कि 3 दिन से वहां मामला चल रहा है । उन्होंने कहा कि सरकार खुद वहां जायगी, लडकियों की कक्षा की व्यवस्था करेगी और इम्तहान कराने की व्यवस्था करेगी । खुद सरकार की जानकारी में यह मामला पहले से आया हुआ है, दो-दो मन्त्री हैं, एक का निर्वाचन क्षेत्र भी वहीं है । इसमें 5 दिन से बदमाशी चल रही है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की है । अविलम्बनीय और लोक महत्व का मामला है । इसकी सूचना भी आपको 9 बजे के पहले दी जा चुकी है, आपने ग्राह्यता पर सुनने की बात कही है । प्रस्ताव अभी हाल ही में घटित किसी घटना से सम्बन्धित होना चाहिये, वह भी है, यह घटना 5 दिन से चल रही है । आज भी वही हाल है, आज भी वहां पर ला एन्ड आर्डर की स्थिति खराब है । पूरे मोहल्ले भर के लोग वहां पर जुटे हुए हैं लड़कियां जुटी हुई हैं, भीड़ जुटी हुई है । वहां के लिए शिक्षक संघ ने आवाहन किया है सारे लखनऊ नगर के स्कूल और कालेजेज के लड़के और लड़कियों को कि सारे अध्यापक और लड़के अपना स्कूल बन्द करके यहां पर चले आयें जिससे कि इस सन्दर्भ में कोई उचित व्यवस्था शासन कर सके । लखनऊ नगर के कालेजों के सारे लड़के वहां जाने वाले हैं, भय है कि कहीं कोई काण्ड न हो जाय, इसलिए मैं चाहता हूं कि मान्यवर आप इस विषय पर चर्चा करवा लें ।

वित्त मन्त्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, मैं इस विषय पर कुछ कहना चाहता हूं क्योंकि यहां पर अभी विधान परिषद् का जिक्र आया और उस सम्बन्ध में मेरा भी नाम लिया गया है इसलिये मैं कुछ इस सन्दर्भ में कहना चाहता हूं। मान्यवर, यह बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो गयी है। वैसे यह व्यवस्था तो सामान्य प्रशासन से सम्बन्धित है क्योंकि यह मामला उससे सम्बन्धित है परन्तु वहां की स्थिति को लेकर जो भ्रम पैदा हो गया है उसे मैं साफ कर देना चाहता हूं। उस स्कूल की बिल्डिंग के दो हिस्से हैं। एक हिस्सा कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक का है और दूसरा हिस्सा कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक का है। इस समय परीक्षा कक्षा 1–8 तक की नहीं हो रही है बल्कि इस समय परीक्षा कक्षा 9 से लेकर कक्षा 12 तक की हो रही हैं या होने वाली हैं। तो कक्षा 1–8 तक की बिल्डिंग को कोर्ट के आर्डर के मुताबिक खाली कराई गई, इसका मामला हाई कोर्ट में था उसके बाद सिविल कोर्ट के आर्डर से यह बिल्डिंग खाली करायी गयी। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि बिल्डिंग की वजह से लड़कियों की परीक्षा नहीं हो पा रही है। वहां एक जिद पकड़ ली गयी है कि जब तक कक्षा 1 से 8 तक की बिल्डिंग खाली न कराई जाय तब तक हम कक्षायें नहीं चलने देंगे और न परीक्षा होने देंगे।

इसके लिये हम प्रयत्नशील हैं। इसके लिये हमने दो तरह की कार्यवाहियां की हैं। एक तो रिक्यूजीशन कर रहे हैं और उसके लिये नोटिस भी दे दिया गया है। इसके अलावा इन कक्षाओं को लगाने के लिये वैकल्पिक व्यवस्था भी करा रहे हैं, लेकिन वहां के लोगों ने उसे रोक रखा है।

कल विधान परिषद् में भी यह मामला आया। उसमें यह कहा कि लखनऊ आयुक्त पूरी जांच करके अपनी रिपोर्ट देंगे। मैंने खास करके अध्यापक समूह से निवेदन किया कि इस प्रकरण को आन्दोलानात्मक न बनायें क्योंकि हमे जबरन किसी की बिल्डिंग पर कब्जा नहीं कर सकते हैं। मेरा निवेदन है कि इसमें आप सब सहयोग करें। हम लोग कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के लिये वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिये प्रयास कर रहे है उसे चाहें वहीं कहीं करें या चाहे दूसरी जगह पर करें। जहां तक छात्राओं की पढ़ाई का सम्बन्ध है, उसके लिये उसमें कोई अवरोध नहीं है। जिद इसी बात की पकड़ ली गयी है कि उसी बिल्डिंग में सारी कक्षायें होनी चाहिये। इस बात को लेकर लखनऊ स्तर पर और प्रदेश स्तर पर पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मैं तो माननीय सदन के सभी सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस मामले को शान्तिपूर्वक व्यवस्थित करने में अपना सहयोग दें। मैंने उस सदन में भी यही बात कही थी, माननीय नेता विरोधी दल से भी यही बात कही थी कि वे इस बात को नियंत्रण करने के लिये प्रयास करें।

मान्यवर, जहां तक इसकी ग्राह्यता का प्रश्न है उस सम्बन्ध में मैं यही कह सकता हूं कि यह उत्पन्न परिस्थिति मजबूरी में है। इसमें सरकार का कोई दुराग्रह नहीं है। मैं इस माननीय सदन के सभी माननीय सदस्यों से अपील करता हूं कि अपने सहयोग से इस परिस्थिति को शान्तिपूर्ण ढंग से व्यवस्थित करने में हमारी सहायता करें।

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैं माननीय मंत्री जी से दो बातें कहना चाहूंगा। मुझे बड़ा अफसोस है कि माननीय मंत्री जी ने इस वाकये की गम्भीरता को तो

तस्लीम किया और कहा कि वे रिक्वीजीशन की कार्यवाही कर रहे हैं। सब जांच रिक्वीजीशन के सम्बन्ध में होगी, वाद-विवाद और प्रतिवाद कितना चलेगा, पता नहीं। मुझे अफसोस तो इस बात का है कि आपने कहा कि हम जबरन कोई कार्यवाही नहीं कर सकते हैं। जबरन आप घर से, रोटी खाते हुए, पकड़ कर गोली तो आप मार सकते हैं लेकिन एक हजार कन्याओं के जहां पढ़ने का मसला है, जहां आप का फर्ज है, संवैधानिक और हर प्रकार से कि आप उनके पढ़ने की व्यवस्था करें, आपने आश्वासन दिया लेकिन यह मामला बजाय तय होने के इतना बढ़ गया कि आज हमें आप के सामने नियम 56 के अन्तर्गत यहां विचार हो रहा है तो आप का यह टोटल....

श्री उपाध्यक्ष--

बजाय तय कराने की कोशिश के बावजूद भी।

श्री रियासत हुसैन--

अगर आप इसको तय करा देते तो ऐसी स्थिति उत्पन्न न होती। आपने स्वयं कहा कि बिल्डिंग के दो हिस्से हैं, एक में कक्षा एक से 8 और एक में 9 से 12 तक की कक्षायें लगती हैं। एक हजार बच्चियां बाहर खड़ी रहें और उसी बिल्डिंग में में दूसरी कक्षा में सुचारूरूप से शिक्षा और काम चल सके, यह सम्भव नहीं है, जब तक वहां का वातावरण पोसफुल नहीं होगा आप कैसे उम्मीद करते हैं कि दूसरी कक्षायें चलती रहेंगी। इसकी गम्भीरता को देखते हुए आज शाम तक कोई भी अरेंजमेन्ट करें कि कल को अखबारों में, हम लोगों के सामने, इस सम्बन्ध में कोई परेशानी सामने नहीं आनी चाहिए, मैं सिर्फ यह चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने आप दोनों की बातों को सुना। आपने अपनी ग्राह्यता के बारे में और मंत्री जी ने मौजूदा जो हालात हैं उनके बारे में जो प्रकाश डाला, उनको भी सुना। क्या उनके एफर्ट्स चल रहे हैं, उसके बारे में आपने माना कि उनके एफर्ट्स के बावजूद भी रास्ता निकल नहीं पाया है, यानी उनकी नीयत पर आप को कोई दुविधा नहीं है और आप ने यह भी कहा कि आप इस पक्ष में नहीं हैं कि जो नीयत हर तरह से दुरुस्त है तो दो घण्टे के बहस का कोई औचित्य तत्काल नहीं उत्पन्न होगा। इन बातों को देखते हुए नियम 56 में इसको उठाने की इजाजत नहीं देता लेकिन नियम 51 में सरकार इस पर आगे क्या कार्यवाही करेगी, इस पर वक्तव्य कब आवेगा? आप वक्तव्य कब से दे रहे हैं? नियम 51 में भी इसकी सूचनायें आयी हैं और मैं नियमों से ऊपर उठ कर बता रहा हूं, आप को, सदन को सन्तुष्ट करने के लिए यह बताना ही चाहिए जब 51 में इसे स्वीकार करूं तब जो जानकारी हो आप तब तक दे देंगे ताकि यह जो स्थिति अनिश्चितता की है वह दूर हो जाये। आज शाम तक आप के प्रयासों में क्या प्रगति हुई है, इसकी जानकारी आप आज शाम को प्रारम्भिक जानकारी देने के लिए सन्नद रहेंगे और डिटेल आगे जब मैं उसे स्वीकार करूंगा और आपसे डिटेल की बात चाहूंगा तो आप देंगे, लेकिन प्रारम्भिक जानकारी आज शाम को जरूर देंगे आप।

श्री बम्हदत्त--

इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब आप इसको नियम 51 में स्वीकार करेंगे तो प्रारम्भिक रूप से वही बात होगी और उसके बाद जो डेवलप्मेन्ट होगा तब भी वही बात होगी।

श्री उपाध्यक्ष--

आप शाम को देंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

नियम 110 के अन्तर्गत इस पर कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने जितना कुछ किया है मुनासिब यह था कि वह बता देते, उन्होंने बता दिया । अब 110 में नियम को स्थगित करके और तत्काल कुछ और जानने का प्रयास करना उसी बात की पुनरावृत्ति होगी इसलिए सभी बातों को जानने के लिए मैंने शाम का वक्त दिया है क्योंकि तब तक और जो भी प्रयास यह करना चाहें, करें । इसलिए नियम 110 के अनुसार कार्य को स्थगित करके उससे ऊपर उठने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती ।

प्रदेश में ट्रक आपरेटर्स की हड़ताल सम्बन्धी लिखित वक्तव्य पर दूसरे मंत्री के हस्ताक्षर होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय परिवहन मंत्री का वक्तव्य बंट गया ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव--)

जी हां ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मैं इसी पर व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष--

पहले उनको पढ़ लेने दीजिए ।

(कृषि मंत्री के खड़े होने पर)

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, मेरा यही व्यवस्था का प्रश्न है कि प्रदेश की विषम स्थिति और गम्भीरता को देखते हुए कई माननीय सदस्यों ने नियम 56 में इसे उठाया था और आपकी तरफ से वक्तव्य का निर्देश दिया गया था लेकिन वक्तव्य को आप देखें कितनी गम्भीरता से लिया है सरकार ने, इसको वह आप देखें । इस पर हस्ताक्षर हैं वीर बहादुर सिंह के लेकिन यहां पर न तो मुख्य मंत्री जी हैं और न परिवहन मंत्री हैं और एक फ्रो होल्डर मंत्री यहां पर बैठा दिए गए हैं । मैं आपसे चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें कि विषय की गम्भीरता को जानते हुए भी यहां पर ग्राम्य विकास मंत्री खड़े कर दिए गए इससे ऐसा लगता है कि सदन को गम्भीरता से लेना इन्होंने बन्द कर दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष--

यह बात सही है कि सरकार की तरफ से यह कहा जा सकता है कि मिनिस्ट्री की ज्वाइंट रिसपान्सिबिलिटी होगी, लेकिन यह सामान्य प्रक्रिया है कि अगर किसी

मिनिस्टर की जगह पर उसका कोई सहयोगी वक्तव्य पेश करने वाला हो तो उसे पीठासीन अधिकारी को सूचित करना चाहिए और वह औपचारिकता बरती नहीं गई ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

आप अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष—

लेकिन माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त की राय को ध्यान में रखते हुए जैसा कि उन्होंने कहा कि मैं अपने अधिकार का प्रयोग करूं वह एक वरिष्ठ सदस्य हैं, उनके सुझाव को तो टाल नहीं सकता । भविष्य में निश्चित रूप से पहले पीठासीन अधिकारी को इसकी सूचना दे दी जाय, लेकिन आज अपना वक्तव्य जारी रखें ।

प्रदेश के ट्रक आपरेटरो द्वारा हड़ताल किए जाने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य

पंचायती राज मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)—

सर्वप्रथम पहली मार्च, 1982 से ट्रक आपरेटरों द्वारा की जा रही हड़ताल की पृष्ठ भूमि की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा । ट्रक आपरेटरों द्वारा यह भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि मालकर में शासन द्वारा वृद्धि की गई है । मालकर पूर्व की भांति ट्रक भाड़े का 10 प्रतिशत ही है । नियमानुसार मालकर के निर्धारण के सम्बन्ध में निम्नलिखित दो प्रक्रियाओं का प्राविधान है :—

(1) वास्तविक भाड़े के आधार पर

(2) एक मुश्त धनराशि जमा करके

उक्त दोनों प्रक्रियाओं में दूसरा विकल्प सामान्यतः ट्रक आपरेटरों द्वारा अपनाया जाता है क्योंकि वास्तविक भाड़े के आधार पर मालकर के निर्धारण में उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रपत्र देने होते हैं तथा दैनिक भाड़े का लेखा रखना होता जिसमें उन्हें असुविधा होती है । एक मुश्त कर की दर शासन द्वारा मोटर वेहिकल्स ऐक्ट के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम भाड़े की दर को ध्यान में रखकर निर्धारित की जाती है । शासन द्वारा ट्रकों का अधिकतम भाड़ा पिछली बार जून, 1974 में निर्धारित किया गया था । यह सर्वविदित है कि विगत 7 वर्षों में ट्रकों के संचालन व्यय एवं ट्रकों द्वारा लिए जा रहे भाड़े में काफी वृद्धि हुई है । ट्रक आपरेटरों की स्वयं की मांग पर वर्ष 1980 के चुनाव के लिए 1977 में चुनाव हेतु निर्धारित ट्रकों के भाड़े में लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी । अतः स्पष्ट है कि पुरानी दर पर ही एक मुश्त कर देकर ट्रक आपरेटर अनुचित लाभ उठाते रहे हैं । इस प्रकार वर्ष 1974 की निर्धारित अधिकतम दर में संशोधन सभी दृष्टिकोण से अपेक्षित था । भाड़े का संशोधन करते समय राजकीय गजट में प्रकाशन द्वारा सर्वसाधारण से, जिनमें ट्रक आपरेटर भी सम्मिलित हैं, आपत्तियां मांगी गई थीं किन्तु कोई भी आपत्ति प्राप्त नहीं हुई । फलस्वरूप दिनांक 24 अक्तूबर, 1981 को जून, 1974 में निर्धारित अधिकतम भाड़े की दर में 50 प्रतिशत की वृद्धि की गई ।

[श्री बलराम सिंह यादव--]

जैसा कि स्पष्ट किया गया है कि ट्रकों को केवल अधिकतम भाड़े की दर को शासन द्वारा निर्धारित किया गया है । इसकी कोई अनिवार्यता नहीं है कि ट्रक संचालक इसी अधिकतम भाड़े को ही लें । वह प्राप्त हो रहे वास्तविक भाड़े पर मालकर देने के लिए स्वतन्त्र हैं और यदि वह एक मुश्त कर देने की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं तो वह इसके लिए निर्धारित दर से उसे दे सकते हैं । इस सम्बन्ध में यह कहना असंगत न होगा कि एक मुश्त कर की दर जो निर्धारित की गई है उसके लिए निर्धारित अधिकतम भाड़े के आधार पर केवल 38 किलो-मीटर का औसत दैनिक संचालन ही पर्याप्त है जबकि वास्तविक औसत दैनिक संचालन इससे कहीं अधिक होता है । इन तथ्यों को देखते हुए ट्रक आपरेटरों की यह मांग कि एक मुश्त मालकर की दर में की गई वृद्धि को वापस लिया जाय, का कोई औचित्य नहीं है ।

दिनांक 1-3-1982 से ट्रक आपरेटरों द्वारा की जा रही हड़ताल का कोई विशेष प्रभाव अभी तक नहीं पड़ा है । शासन इस बात की ओर सचेष्ट है कि ट्रक संचालकों की इस हड़ताल की पृष्ठभूमि में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति तथा आवागमन पर कोई प्रभाव न पड़े । दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं की उपलब्धता बनाये रखने के लिए समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निदेश दे दिए गए हैं । उन्हें यह भी निदेश दिए गए हैं कि वे किसी भी दशा में कृत्रिम अभाव का वातावरण न बनने दें । ट्रकों के सुगम संचालन में अवरोध उत्पन्न करने वाले असामाजिक तत्वों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा रही है ।

जहां तक कानपुर में हुई गिरफ्तारियों का प्रश्न है, दिनांक 1-3-1982 को कानपुर के ट्रक आपरेटरों ने कई बार सड़कों को जाम करने का प्रयास किया जिसे स्थानीय पुलिस की सतर्कता से सफल नहीं होने दिया गया । सड़कों पर यातायात में अवरोध उत्पन्न करने तथा शान्तिभंग करने के अंदेशा में उस दिन 8 व्यक्तियों को धारा 143/341/336 आई० पी० सी० के अन्तर्गत थाना छावनी की पुलिस द्वारा तथा 23 व्यक्तियों को धारा 107/116/151 सी० आर० पी० सी० व 147/323 आई० पी० सी० के अन्तर्गत चकेरी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया । उक्त सभी व्यक्तियों को उसी दिन जमानत पर रिहा कर दिया गया । गिरफ्तारी में हलका बल प्रयोग करना पड़ा । कोई लाठी चार्ज नहीं किया गया ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि ट्रक आपरेटरों द्वारा की जा रही हड़ताल का कोई औचित्य नहीं है और शासन इस बात पर दृढ़ संकल्प है कि उनकी इस अनुचित कार्यवाही से सर्वसाधारण को कोई असुविधा न होने पाये ।

श्री हुकम सिंह--

एक स्पष्टीकरण चाहूंगा ..

(श्री रियासत हुसैन तथा श्री विद्यासागर नौटियाल के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष --

सामान्यतया यह प्रक्रिया है नहीं लेकिन विशेष परिस्थिति में तीन स्पष्टीकरण की इजाजत देता हूं ।

श्री हुकम सिंह--

अभी माननीय मन्त्री जी ने कर बढ़ाने का औचित्य ठहराया । जो मैं आपके बयान पढ़ने के बाद समझ पाया, औचित्य आप ने यह ठहराया कि क्योंकि किराये में वृद्धि हो गई और उसी अनुपात में गुड्स टैक्स में वृद्धि कर दी है । मैं आप से यह जानना चाहता हूं कि जो किराये में आप ने वृद्धि की है क्या आपने इस बात का प्राविधान किया है कि जहां से यह माल लेते हैं, जिन एजेन्सीज से लोडिंग करते हैं वे एजेन्सियां आप के द्वारा निर्धारित दरों पर किराया देने के लिए बाध्य हैं। क्योंकि जहां तक सरकारी दरों का सवाल है उसमें आप कह सकते हैं कि यह दर देंगे लेकिन जो प्राइवेट एजेन्सी हैं जहां वह लोडिंग करते हैं उन पर आप का क्या नियन्त्रण है ? क्या आप इस बात का आश्वासन देंगे कि जब तक कोई निराकरण के लिए स्टेट्यूटरी पावर न आ जाय कि जो दर निर्धारित की हैं उनको दिया जाय तब तक जैसे कि स्टे किया हुआ था वसूली स्टे करेंगे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, ऐसा सरकार का कोई विचार नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन--

माननीय मंत्री जी ने यह तसलीम किया कि हड़ताल का औचित्य नहीं है परन्तु हड़ताल है । औचित्य नहीं है मगर हड़ताल है । अब आप ने खुद यह कहा कि आदेश जारी कर दिये गये हैं कि इसमें व्यवस्था की जाय कि कोई किसी किस्म के सामान के आने जाने में दिक्कत न हो, कोई आवश्यक वस्तुओं के मिलने में कठिनाई न हो । क्या आप यह बतायेंगे कि जब हड़ताल है तो आपने अलटरनेट व्यवस्था क्या की है जिससे कि माल का आवागमन चलता रहे ?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, इस हड़ताल का बहुत मामूली सा असर एक दो डिवीजनों में है बाकी डिवीजनों में स्थिति सामान्य है। जिन डिवीजनों में ट्रक थोड़े बहुत जाते हैं बाहर से उन ट्रकों से सरकार आवश्यक वस्तुओं के आवागमन का काम ले रही है। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आई है कहीं से कि आवश्यक वस्तुओं की कमी हो रही है या कोई दिक्कत पैदा हो रही है।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

श्रीमन् माननीय मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है इसके पहले पृष्ठ में इन्होंने लिखा है 'ट्रक आपरेटरों की स्वयं की मांग पर वर्ष 1980 के चुनाव के लिए 1977 में चुनाव हेतु निर्धारित ट्रकों के भाड़े में लगभग 35 प्रतिशत की वृद्धि की गई थी।' तो यह तो ट्रक मालिक और सरकार आपस में मिल जुल कर अब तक काम करते रहे क्योंकि 1980 के चुनाव के लिए विधान सभा के समने नहीं लाया गया, इस माननीय सदन के कोई इजाजत नहीं ली गई। मंत्री जी के विभाग ने और ट्रक मालिकों ने मिलकर के यह कह दिया कि भाड़ा 35 प्रतिशत बढ़ा दिया जाय। 35 प्रतिशत इसलिए बढ़ाया जाय कि इस प्रदेश की जनता....

श्री उपाध्यक्ष--

स्पष्टीकरण पूछिए।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

स्पष्टीकरण मांग रहा हूं इस प्रदेश की जनता के गरीब खजाने से ट्रक मालिकान को 35 प्रतिशत ज्यादा दिया जा सके, इसलिए यह टैक्स बढ़ा दिया गया था और आज जब यह 50 प्रतिशत बढ़ा दिया गया तो मंत्री जी स्वयं कह रहे हैं कि इसका किसी ने विरोध नहीं किया है। इसको भी विधान सभा में नहीं लाया गया, उसकी राय नहीं ली गई। मंत्री जी ने स्वयं अपने वक्तव्य में स्वीकार किया है कि दो डिवीजन हड़ताल से प्रभावित हुए हैं। इसके बारे में भी आपने विधान सभा को अंधकार में रखा है। वे कौन-कौन से डिवीजन हैं, जहां पर कि हड़ताल का प्रभाव पड़ा है? उन दो डिवीजनों के अंदर सरकार की ओर से वहां पर किसी तरह की परिवहन की समस्या पैदा न हो, क्या मुकम्मिल व्यवस्था की गई? क्या आपके द्वारा आदेश देना काफी नहीं है कि अधिकारी क्यों इस तरह से ऐक्ट कर रहे हैं? कौन सी कार्यवाही हो रही है?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, मेरी तो समझ में नहीं आया कि वे क्या क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। उन्होंने तो एक संक्षिप्त भाषण दे दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि वे कौन से दो डिवीजन हैं जहां हड़ताल का प्रभाव रहा?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, 2/3 डिवीजन हैं जहां हड़ताल का प्रभाव रहा है वे हैं, वाराणसी मेरठ और फैजाबाद। हमारे पास जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार इन मंडलों में हड़ताल का प्रभाव कुछ अधिक था। बाकी लखनऊ, कानपुर, मुरादाबाद गोरखपुर, पौड़ी-गढ़वाल ...

श्री उपाध्यक्ष--

उतना ही उन्होंने पूछा था।

श्री विद्या सागर नौटियाल--

मान्यवर, क्या व्यवस्था वहां की गई थी ताकि आवश्यक वस्तुयें वहां मुहैया की जा सकें?

श्री बलराम सिंह यादव--

मान्यवर, जो दूसरे डिवीजनों से ट्रक जाते हैं उनको ही हम लेकर ऐसे स्थानों पर भेजते हैं जिससे कि उस डिवीजन में यदि कुछ आवश्यक वस्तुयें भेजने की आवश्यकता होती है, उनको पहुंचाया जा सके ...

(व्यवधान)

श्री कुबेर भंडारी--

माननीय, एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने तीन स्पष्टीकरण पूछने की इजाजत दी थी, वह हो गये । आप बिराजें । माननीय कृषि मंत्री....

(व्यवधान)

श्री कुबेर भंडारी--

मान्यवर, यह सदन कैसे बैठा है, मैं उस पर व्यवस्था चाहता हूं । कल आपकी पीठ से यह निर्णय हुआ था....

(व्यवधान)

मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं । एक बहुत गम्भीर बात है । मैं आज सदन में नहीं आ रहा था । कल आपकी पीठ से सदन में यह फैसला हुआ था कि इसमें कोई संशय नहीं है कि मंत्री ने अपने पद का दुरुपयोग किया है । तो मेरी दृष्टि में आज सरकार है ही नहीं, सदन कैसे बैठा हुआ है ?

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने कृषि मंत्री को बुलाया है । मैं आपकी बात नहीं समझा । कृपया बैठें ।

श्री कुबेर भंडारी--

मान्यवर, कल आपकी पीठ से फैसला हुआ था कि....

श्री उपाध्यक्ष--

मेरी पीठ से नहीं मेरे आसन से ।

श्री कुबेर भंडारी--

मान्यवर, आपके आसन से कल यह फैसला हुआ था कि मंत्री जी ने अपने पद का दुरुपयोग किया है । मैं आज सदन में नहीं आ रहा था । आज यह सदन कैसे बैठा हुआ है....

श्री उपाध्यक्ष--

बहरहाल बैठा हुआ है, आप बैठें । कोई व्यवस्था की बात नहीं है । (श्री कुबेर भंडारी अपने स्थान से खड़े होकर घोर व्यवधान के बीच बोलते रहे) आप जो कुछ कह रहे हैं, कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

1982-83 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 9--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास), अनुदान संख्या 10--कृषि विभाग (कृषि), अनुदान संख्या 34--पशुधन विभाग, अनुदान संख्या 35--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) तथा अनुदान संख्या 38--मत्स्य विभाग

(12 बज कर 28 मिनट)

कृषि मंत्री (श्री भानु प्रताप सिंह)--

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9--कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,80,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10--कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 92,38,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष मे अनुदान संख्या 34--पशुधन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,69,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,93,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38--मत्स्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,51,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में अधिकतर लोग किसान हैं और उनकी तमाम समस्याओं के समाधान एवं उत्तर प्रदेश की जनसंख्या को खिलाने के लिए कृषि विकास और उत्पादन को बढ़ाने के लिए, किसानों को शिक्षित करने के लिए सरकार ने बीड़ा उठाया है। जहां अगर हम इस तरह प्रदेश कृषि उत्पादन पर दृष्टि डालें और सारे देश की ओर देखें तो उत्तर प्रदेश पूरे देश का 1/3 अन्न उत्पादन करता है वहीं इस प्रदेश के अंदर दलहन और तिलहन की फसल के विकास के लिए भी विभाग ने बहुत काम किया है।

यह सही है कि जितना दलहन और तिलहन की हमें आवश्यकता है उतना हम पूरा नहीं कर पाते हैं लेकिन फिर भी सारे प्रदेश की स्थिति को अगर हम गौर से देखें तो हम अपने प्रदेश की प्रगति से संतुष्ट हैं और जितना भी

संभव हो सकता है उतना विकास करने के लिए प्रयत्नशील हैं । इस दिशा में दलहन और तिलहन की पैदावार बढ़ाने के लिए हमारी प्रधान मंत्री जी ने भी चिंता व्यक्त की है और इस सिलसिले में हमारे जितने कृषि विश्वविद्यालय हैं उनके वैज्ञानिकों से अनुरोध किया है कि वे भी जो कार्य हो रहे हैं विकास के लिए उस दिशा में दलहन में जो कई किस्में निकाली गई हैं अरहर, मटर और मसूर आदि में उनकी प्रजातियों को और अधिक सुधारें और जो इनके पकने में अधिक समय लगता है वह थोड़े समय में पक सकें । इसके लिए अरहर को पहले एक प्रजाति निकाली गई "प्रभात" अरहर की जो 120 दिन में पक जाया करती है उसके बाद किसान दूसरी फसल ले लिया करता है उसके बीज को फिर से नये सिरे से अच्छे ढंग से तैयार किया जाय और वह प्रजाति उच्चतर की पैदावार दे सके और 120 दिन के कम समय में पक सके इस तरफ सरकार ने वैज्ञानिकों का ध्यान आकृष्ट किया है । इसी तरह एक टाइप 21 जो नस्ल है जो इस प्रदेश के अंदर बोई जाता है वह अपने निश्चित समय के अन्दर पके । इसमें थोड़ी सी कठिनाई होती है कि नीचे की फली पहले पक जाती है और ऊपर की बाद में पकती है उससे किसान को कठिनाई होती है और एक प्रकार से हमें पूरा लाभ नहीं मिल पाता है ।उस दिशा में भी हमने वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है । वहीं तिलहनों की किस्मों वरुणा व टाईप-9, जो रिलीज वैरायटी हैं, जिनमें गिरावट आई है और जो लोकल किस्में हैं उनके विकास की ओर भी हमारे विभाग ने वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया है और यह भी उनसे निवेदन किया है कि हमारे जितने प्रक्षेत्र हैं - उसमें से वह वहां भी जगह पसन्द करें, स्थान का चयन करें, हम उन्हें वहां उन प्रजातियों का परीक्षण करने के लिए पूर्ण सहयोग देंगे । जितना भी यह प्रजातियां हैं, उसमें आइसोलेशन डिस्टेन्स की वजह से एक समस्या आई है और उसकी वजह से एक डिट्रियोरेशन हुआ । जो उनकी उपज देने की क्षमता थी और जो उनका करेक्टर था, उसमें गिरावट आई और समय इनका बढ़ गया । इसकी वजह से यह करना पड़ा ।

इस प्रदेश में हमारे आलू की उपज उद्यान विभाग से सम्बन्धित है । इस प्रदेश में पूरे देश की एक बटा दो पैदावार होती है । पूरे देश की आधी पैदावार यह आपका प्रदेश करता है । लेकिन मान्यवर, इस साल जो परिस्थितियां हैं, उसमें किसान काफी दिक्कत में फंसा हुआ है और उसकी दिक्कतों में कुछ व्यापारियों और कोल्ड स्टोरेज के मालिकों की मिलो-भगत है । इसी वजह से तमाम कोल्ड स्टोरेज के मालिकान ने शासन पर और हम पर जबरदस्त प्रेशर डाला था कि मैं उनके रेट बढ़ा दूं । उन्होंने इसके लिए हर तरह से मुझे प्रभावित करने की कोशिश की । लेकिन तमाम किसानों के व्यापक हितों को देखते हुए, अभी विभाग और सरकार ने इस विषय में कोई निर्णय नहीं लिया है । हम समझते हैं, जितनी वृद्धि हम आलू के दाम में उचित समझते हैं उतनी उसके न होने से, कोल्ड स्टोरेज के किरायों को बढ़ाने का कोई औचित्य सिद्ध नहीं होता है और वह अबतक सिद्ध कर पाए हैं मैं फिलहाल इसको उचित नहीं समझता हूं क्योंकि इससे किसानों का कोई हित नहीं होने वाला है, बल्कि अहित की ही बात है ।

(इस समय 12 बजकर 35 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री हुकम सिंह पीठासीन हुए ।)

[श्री भानु प्रताप सिंह--]

हम सभी यहां बैठे हुए लोग, चाहे इस पक्ष में हों या विरोध पक्ष में हों - हम सब किसानों के बीच से आते हैं, सब किसानों से चुने जाते हैं. उनके हितों की रक्षा करना हमारा फर्ज हो जाता है ।

मैं जानता हूं कि लोगों के मन में वह जानने की इच्छा होगी कि इस विषय पर हम क्या करने जा रहे हैं । तो मैं आपका बताना चाहता हूं कि हमने इस विषय में उनको कोई आश्वासन नहीं दिया है और न सरकार किसानों के हितों की उपेक्षा करके शीतगृहों के मालिकों का हित साधन करना चाहती है । आलू की उपज अब हर जिले में होने लगी है, पहले फर्रुखाबाद और पश्चिमी जिले आलू की खेती में अग्रणी माने जाते थे और पूरे प्रदेश की एक चौथाई पैदावार अकेले फर्रुखाबाद में हुआ करती थी। मैंने अपने वहां के दो दौरों के समय, जब वहां पर अधिकारियों, कर्मचारियों और तमाम किसानों से चर्चा की तो हमें यह देखकर अत्यन्त खेद हुआ कि हमारे उद्यान विभाग ने इतनी तमाम प्रगतिशील जातियां-प्रजातियां इस प्रदेश में फैलाई हैं, फिर भी इस सबके बावजूद फर्रुखाबाद के किसान लोग अपनी परम्परागत खेती से अभी तक प्रभावित हैं, उसी से अभी तक चिपके हुए हैं । वह उससे अपने को हटा नहीं पाए हैं । इसलिए उनको अपनी आलू की उपज का पूरा लाभ नहीं मिलता है, वह उससे वंचित रह जाते हैं । क्योंकि वह 55 से 60 प्रतिशत तक पुरानी प्रजातियां अपने खेतों में बोते हैं । 1645 उनकी एक मुख्य पुरानी जाति है । जबकि मिलिट्री स्पेशल टाईप 2708-चन्द्रमुखी और 3798 ऐसी किस्में हैं, जो उसी रंग से और साईज से मिलती हैं, उनमें भंडारण की क्षमता अधिक है, उनके ट्रांसपोर्टेशन में भी सुविधा और सुरक्षा है और सबसे बड़ी बात 1645 से ज्यादा उसकी पैदावार होती है और 1645 में बीमारियां ज्यादा लगती हैं ।

हमारी इन प्रजातियों में जो हमारे विभाग द्वारा बांटी जाती हैं हमारा बीज रोग मुक्त है और जो हमारी संस्था है, बीज उत्पादन करने के लिए उसका प्रामाणीकरण, उत्तर प्रदेश राज्य संस्था है, के द्वारा कराया जाता है । और 2-3 स्टेजेज पार करने के बाद ही यह बीज किसानों को दिया जाता है लेकिन फर्रुखाबाद में जो प्रजाति चाहिए था जिससे वहां के किसानों को ज्यादा लक्ष्य मिल सके, वे हमारे बीज को नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि उनकी जो पुरानी परम्परायें, धारणायें और मान्यतायें हैं, उनसे वे हट नहीं पाये हैं जबकि प्रदेश के उन जिलों में जहां आलू पैदा नहीं होता था, वहां पर आज उनसे अच्छी किस्म का आलू पैदा किया जाता है । सरकार के पास से अगर वे बीज लेंगे तो उनको रोग मुक्त बीज मिलेगा और उनकी पैदावार भी बढ़ेगी ।

फर्रुखाबाद में आलू के लदान के लिए वैगन्स की बड़ी समस्या थी । इस पर हमारे माननीय मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय सरकार के कृषि मंत्री से बातचीत की और मैं दोनों का ही आभारी हूं कि उन्होंने इस ओर प्रयास किया । विभाग के अधिकारियों से मिल कर जो प्रयत्न किया गया है उसके अनुरूप हम पिछले साल में भी बराबर वैगन्स उपलब्ध करा लेते थे । यह आरोप लगाना कि कोल्ड स्टोरेज वालों और व्यापारियों से सांठ-गांठ के कारण वैगन्स नहीं मिल पाये, ठीक नहीं है हमने 2300 वैगन्स लिए जिनमें के 1100 वैगन्स सरेन्डर किए और फिर 600 वैगन्स और सरेन्डर किया । जब मैंने इस बारे में चर्चा की व्यापारियों से तो मुझे बताया गया कि जब वे इस आलू को आसाम या देश के अन्य प्रदेशों में ले जाते हैं तो उनको लाभांश बहुत कम मिलता है । यह उनका संकुचित और

व्यापारिक दृष्टिकोण है जिससे कम कीमत पर वे आलू खरीद सकें । इस बार हमने 300 टन आलू नैफेड, एम0 सी0 एफ0 और पी0 सी0 एफ0 द्वारा खरीदने का निश्चय किया है जिसे हम अपने स्टोरों में भंडारित करेंगे और जो अच्छी किस्म का आलू है उनको कवाल टाउन्स में ले जायेंगे । मंडी यार्ड में जो बोली बोली जाती थी वहां पर 4-6 रुपया ज्यादा देकर आलू खरीदते थे ताकि आलू का भाव ठीक रहे ।

अब सरकार ने निर्णय किया है कि हम किसानों के खेतों से ही खरीदें । उसमें देखा जायेगा कि हम किस साइज का आलू लेंगे । अगर हम कटा या सड़ा हुआ आलू खरीदते हैं तो वह रेलवे वैगन्स से उतरते ही सड़ जाता है और उसकी कीमत भी हमें नहीं मिल पायेगी और सरकार को नुकसान होगा । इससे किसानों का जो मार्केट है वह भविष्य में आरक्षित हो जायेगा क्योंकि दूसरे जो प्रदेश हैं, उनका जो मार्केट है जैसे आज फर्रुखाबाद में हो गया है और जब वहां पर मार्केट और आढ़ती होते हैं तो लोग कहते हैं कि इनमें भन्डारण की क्षमता नहीं है । तो जब हम बाहर ले जाते हैं उनमें गलन और सड़न हो जाती है, इसलिए वहां के आलू की मांग कम हो गई है । मैंने वहां के किसानों से निवेदन किया है कि आप इस वर्ष सरकार से बीज लें जो कि रोग मुक्त है और जिसके लिए सरकार गारन्टी भी देती है और नये ढंग से नई टैक्नीक भी सीख कर हमारे बीज को सुरक्षित करा लें । हम यह भी प्रयास कर रहे हैं कि भविष्य में खेती करने वालों को शिक्षित किया जाय जिससे उन्हें तकनीकी ज्ञान भी हो सके । जब तक हम प्रदेश के किसानों को शिक्षित नहीं कर पायेंगे तब तक किसान अपने खेतों में उपज, खाद, पानी पूरा करने के बाद भी उससे भरपूर उपज नहीं ले पायेंगे । क्योंकि उससे कोई तकनीकी जानकारी फसल की रक्षा के उपाय आदि के बारे में उनको नहीं हो पाती । इसलिए सरकार पहली रबी की फसल के प्रारम्भ से ही यह काम किया कि किसानों को इसमें आवश्यक जानकारी दो और यह काम भविष्य में किया जायेगा ।

इस प्रदेश में आलू को एक राजनीति बना लिया है और कभी गन्ने को राजनीति बना लिया जाता है, कभी आलू को राजनीति में घुसेड़ दिया जाता है । यह एक संकुचित दृष्टिकोण है, हमें चाहिये कि हम इस चीज को एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें । हम सभी माननीय सदस्यों को भी चाहिये कि वे सरकार की नीति के बारे में, सरकार के कार्यक्रमों के बारे में किसानों को अपने-अपने क्षेत्रों में जानकारी दें और किसानों को जागृत करें । अकेले सरकार ही इस काम को नहीं कर सकती, इसमें माननीय सदस्यों के सहयोग की भी आवश्यकता है ।

अभी मान्यवर, बरेली में बंगाल के माननीय कृषि मंत्री आये थे ...

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

मन्त्री जी ने आलू के विषय में विस्तार के साथ अपनी बात बतायी, पर पर्वतीय आंचल में आज आलू 5 रुपये प्रति क्विन्टल भी नहीं बिक पा रहा है, वहां की समस्या के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया, उसके बारे में क्या सोचा है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

माननीय नौटियाल जी सारी बात जानते हैं, उसके बाद भी ऐसा प्रश्न करते हैं । जहां तक मुझे याद है, सरकार ने 50 और 55 रुपये क्विन्टल से वहां पर भी आलू खरीदा है माननीय सदस्य कहते हैं 5 रुपये क्विन्टल बिक रहा है ।

(व्यवधान)

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल--

जोशीमठ में और उत्तरकाशी में आज भी आलू पड़ा हुआ है और 5 रुपये क्विन्टल पर भी कोई उठाने को तैयार नहीं है, यह मेरी निजी जानकारी है ।

श्री भानु प्रताप सिंह--

मैं माननीय नौटियाल साहब का अभारी हूं कि उन्होंने मेरा ध्यान इस ओर आकर्षित किया है । मैं उसे दिखवा लूंगा कि जो बात आप कह रहे हैं, वह क्या सत्य है । अगर ऐसा है तो हम पूरी व्यवस्था करायेंगे । चाहे गढ़वाल के लोग हों, चाहे पूर्वांचल के हों, चाहे मध्य उत्तर प्रदेश के हों, सभी इस प्रदेश के निवासी हैं और सभी की मदद करना हमारा कर्त्तव्य है ।

वर्ष 1982-83 को माननीय प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उत्पादकता का वर्ष घोषित किया है और इस सरकार का यह प्रयास है कि हर क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन हो ।

मान्यवर, एक बहुत बड़ी समस्या इस प्रदेश की हमारी आबादी है और जिस प्रकार से आबादी बढ़ रही है, मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि वह खतरे की घंटी है, वहीं हमें पूरे देश को एक युनिट मानकर चलना पड़ेगा और उसी दृष्टि से देखना पड़ेगा । उत्तर प्रदेश में हमारे पास सरप्लस है, तो दूसरे प्रदेशों में कहीं कम भी है । हमें और ज्यादा व्यापक दृष्टि से देखना पड़ेगा । हमारे गेहूं का जो परिक्षेत्र है उसको हम चाहते हैं कि हमारी पैदावार बहुत ज्यादा, जितनी भी है, उससे ज्यादा बढ़े । वहीं सरकार का यह निर्देश है कि इस प्रदेश में जितनी गेहूं की खेती होती, वहां ग्राम्य स्तर पर एक सर्वेक्षण कुछ इस प्रकार का हो जाय और किसानों में इस प्रकार की चेतना जागृत कर दी जाय कि जितनी खेती सिंचित है, जितनों को पानी उनको आसानी से मिल सकता है और जितनी जमीन में पानी आसानी से नहीं मिल सकता है, वहां दो तरह से हम खेती करायें । उन सिंचित उपज देने वाली प्रजातियों की तरह बोआई करायें । जहां सिंचाई का साधन कम है, वहां वहां पर मक्का, मटर, चना आदि की बोआई की जाय । इसके लिए हमारी सरकार प्रयत्नशील है ।

मैं अपने तमाम साथियों से चाहता हूं कि इस दिशा में सरकार को मार्गदर्शन करें । वह किस प्रकार से चाहते हैं कि अपने क्षेत्र में काम करें, ताकि वहां पर पैदावार हम बढ़ा सकें । इस देश और प्रदेश के अन्दर जो आबादी प्रति दिन बढ़ती चली जा रही है, उसी प्रकार से हमको अन्न का उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा, अन्यथा हम भविष्य में संकट में पड़ सकते हैं । मान्यवर, इस प्रदेश के अन्दर दो दिक्कतें हैं । एक तो फर्टिलाइजर का उपयोग । दूसरा कृषि रक्षा का उपाय । जब हम फर्टिलाइजर के उपयोग पर दृष्टि डालते हैं, तो एक अजीब चीज

हमको कहीं-कहीं दृष्टिगोचर होती है । इस प्रदेश के अन्दर पश्चिमी सेक्टर में जहां से मान्यवर, आप आते हैं, वहां किसान अपने खेतों में कम्पोस्ट का ज्यादा इस्तेमाल करता है और फर्टिलाइजर का भी प्रयोग उसी अनुपात में करता है । लेकिन प्रदेश के अन्दर कुछ जिले ऐसे हैं, जहां लोगों की रुचि पशु पालने में नहीं है । जैसे मैं अभी फर्रुखाबाद गया था, यहां के 500 किसानों से मैंने बात की, तो चर्चा में ऐसी बात कि वहां पर ऐसे भी बहुत से खेत हैं, जिसमें 30 साल से आज तक उसमें कम्पोस्ट नहीं पड़ी है । तो जब हम अपने खेतों में उर्वरक डालते हैं, तो उनकी प्रति वर्ष उत्पादन लागत तो बढ़ जाता है और उनकी उपज गिरती चली जाती है । तो इस प्रकार से उत्पादन लागत बढ़ जाती है, लेकिन उपज घट जाती है । मिसाल के तौर पर आलू का जिक्र मैं कर देना चाहता हूं। वहां पर भिन्न कोटि का आलू पैदा होता है, इसलिए कि वहां पर कम्पोस्ट का इस्तेमाल किसान नहीं करते हैं । जहां पर प्रदेश के कुछ जिलों में पशुओं को पालने की जिज्ञासा है, वहीं पर कुछ जिलों में हमको अच्छी नस्ल के पशु देखने को नहीं मिलते । लगता ऐसा है कि उनकी इच्छा भी नहीं है । लेकिन मान्यवर, खेती करने के लिए बहुत आवश्यक है । ट्रैक्टर की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है और जन-संख्या भी बढ़ती जा रही है और हम रे जितने संयुक्त परिवार थे, यह बराबर घटते जा रहे हैं । कुछ दिनों में ऐसी स्थिति आ जायेगी कि एक आदमी के पास इतना खेत ही नहीं रहेगा कि वह ट्रैक्टर से खेती कर सकें। उसके लिए दो विकल्प हैं । एक तो तमाम प्रदेश के अन्दर एग्रो इंडस्ट्रियल कारपोरेशन द्वारा जुताई और बुआई के लिए किसानों को ट्रैक्टर उपलब्ध कराया जाय, दूसरा हर किसान के लिए बहुत अच्छे हल खींचने वाले बैलों को उपलब्ध कराया जाय ।

अभी मान्यवर, मैंने पूर्वी जिलों का दौरा किया तो बड़ा आश्चर्य हुआ, यहां पर बहुत छोटे-छोटे बैल देखकर । गोंडा में हमारे विधायक साथी शायद हों, उस वक्त मैंने कहा था कि अगर तमाम बैलों को जो इन गांवों में नजर आ रहे हैं दें तो मैं अपने कोट और पैंट को उतार कर भाग जाऊंगा, लेकिन इनको स्वीकार नहीं करूंगा । क्योंकि इनका उपयोग क्या है । मैं यह निवेदन कर रहा था कि जितने पशु विकास का काम हुआ इस प्रदेश के अन्दर दो चीजें हुईं । एक तो यह कि या तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की ओर ध्यान नहीं दिया गया या पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों के अन्दर रुचि जागृत नहीं की गई । मैंने विभाग को निर्देश दिया है कि अच्छे किस्म के सांड तमाम विकास खंडों में जितने हैं, उनका एक सर्वे करें और इस बात की जानकारी सरकार के पास हो कि कितने हरियाणा और मुर्रा के साड़ हैं । पूर्वी जिलों और तमाम उत्तर प्रदेश के अन्दर । जहां साड़ नहीं क्या वहां पर कृत्रिम गर्भाधान की व्यवस्था है, इस बात की भी जानकारी की जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

यह बस्ती गोंडा में भेजे जायेंगे ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

हमारे यहां तो हैं पश्चिमी जिलों में भेज दें ।

श्री भानु प्रताप सिंह—

मैंने अर्ज किया कि पूर्वी जिलों में देखा और उसके बाद उत्तर प्रदेश का सर्वे करने का निर्देश दिया। मान्यवर, 10–10, 12–12 घरों के छोटे–छोटे गांव हैं उनके विकास के लिये मान्यवर, मैंने जानकारी चाही थी कि क्या वहां पर सांड़ उपलब्ध नहीं है या उनकी क्षमता बढ़ाने के लिये उनको मजबूत करने के लिये ताकि वह गाय और भैंस का गर्भाधान कर सके, उनके उपाय किये जायं। मान्यवर, इसके दो उपाय हैं। एक तो किसी एक व्यक्ति को सांड़ खरीद कर दे दिया जाय और जो गाय या भैंसों को गर्भन कराये उससे पैसा ले लें। दूसरा सरकार स्वयं पूरी तरह से पूरा भार वहन करे और खर्चा दे। मैं समझता हूं कि अगर किसान जागरूक है और ऐसे लोगों को जो सक्षम है जागरूक रहना चाहिये। अगर जो जागरूक है सक्षम रहते हैं और प्रति विकास खन्ड के अन्तर्गत, मान्यवर, एक जानकारी मेरी यह भी है कि सरकार हरा चारा उपलब्ध नहीं करा पा रही है उसकी वजह से बहुत से विकास खंडों में जो हमारे....

डाक्टर शिवानन्द नौटियाल—

मान्यवर, मन्त्री जी ने पर्वतीय क्षेत्र और पूर्वांचल के सांड़ों के बारे में कहा। मान्यवर आपने कहा कहां–कहां भेजना चाहिये, उसको मैं नहीं कहना चाहता। मैं मन्त्री जी को बताना चाहता हूं कि पर्वतीय अंचल में बड़े–बड़े सांड़ भेजकर वहां एक प्रकार से पशुधन का ह्रास हो रहा है। इसलिये मैं मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वहां नस्ल सुधारने हेतु छोटे–छोटे बैलों सांड़ों को वहां का भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखकर भेजने की कोई योजना उनके पास है ?

श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, श्री नौटियाल जी ने ठीक प्रश्न किया। मान्यवर, हमने वैज्ञानिक ढंग से उनकी जो समस्या है उसको समझा कि अगर आपकी छोटी गायों को फ्रीजर नस्ल के सांड़ से गर्भाधान करा देंगे और यदि वह गाय गर्भित हो गयी तो वह मर जायेगी, मैं इसको जानता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

इनकी गायों की साइज का आप ध्यान रखें।

श्री भानु प्रताप सिंह—

मान्यवर, जैसा माननीय सदस्य ने कहा तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि पहाड़ों में गायें छोटी होती हैं जिसका ज्ञान विभाग को है। इसलिये वहां जर्सी सांड़ों की व्यवस्था की गयी है। विभाग की इस ओर दृष्टि है कि वहां नस्ल को धीरे–धीरे बढ़ायेंगे, इसलिये पहले छोटा, फिर थोड़ा बड़ा और उससे बड़े सांड़ों की व्यवस्था कर रहे हैं। इससे वहां की गायों को जो दूध देने की क्षमता में कमी है उसमें अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी होगी। वहां हरियाणा के सांड़ नहीं दे रहे हैं, यदि वह देंगे तो आपको लाभ होने के बजाय हानि होगी, इसलिये जर्सी सांड़ों के नस्ल की व्यवस्था की गयी है जो वहां सफल होगी। मान्यवर. वहां के किसान गरीब हैं, उनको जागृत करने के लिये हम सब को मिलकर प्रयत्न करना होगा ताकि कृत्रिम गर्भाधान से जो गायें गर्भित करते हैं तो उससे जो बच्चा पैदा होता है, वह बड़ा होने पर हल्द्वानी में गायों को 2–3 हजार रुपये में बिकते देखा गया है। देखा गया है कि लोग उनके बच्चों को पालते नहीं हैं यदि पालें

तो दुबारा जो बच्चे होंगे वह उत्तम होंगे जो जुताई के काम में और उनसे दूध में अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी होगी। इस तरह का दृष्टिकोण पहाड़ों के लिये हमने बनाया है।

मान्यवर, मैदान में जो सांड़ों के खरीदने की व्यवस्था है उसमें थोड़ा परिवर्तन करने का हम लोगों ने विचार किया है कि जो सांड़ खरीदे जायेंगे वह उन्हीं पशुपालकों से लेंगे जो उनके मां-बाप का ब्यौरा दे सकें, जहां तक संभव होगा सरकारी फार्मों से लेंगे और उनको ही सप्लाई करेंगे जिससे किसानों को इस बात का ज्ञान हो सके कि अमुक सांड़ से जो बच्चा पैदा होगा उसके दूध देने की क्षमता क्या होगी ? चूंकि उसके मन में होगा कि जो बछिया पैदा होगी उसका पालन-पोषण करेंगे तो उसका दूध 10 से 20 किलो से ज्यादा होगा। इसलिये उनकी प्रत्येक अस्पताल में वंशक्रमावली रखी जायेगी जिससे वह ज्ञान कर सकें। यह भी होगा कि जिस दिन गाय गर्भित की जायेगी उनको जानकारी दी जायेगी कि 21 दिन बाद में पुनः गाय लायें, उसका कार्ड हम देंगे, यदि 3 महीने में गाभिन हो जाती है तो बियाने की तिथि कार्ड में लिख देंगे। इसलिये यह आवश्यक है कि लोगों को पशुओं के विषय में हम जागृत कर सकें और उनको लाभ कमाने की जानकारी दे सकें। चूंकि खेती में पशुओं के गोबर की आवश्यकता है और जब तक गोबर और कंपोस्ट खाद उपलब्ध नहीं होगी, तो कृत्रिम खाद पर न तो फसलों की क्षमता और न धरती की उर्वरा शक्ति को हम बनाये रख सकते हैं। इसलिये आवश्यक है कि नस्ल सुधारने की ओर काम करें।

मान्यवर, नस्ल में सुधार हो जाय, गाय भैंस ज्यादा दूध देने लगें तो उत्पादन का क्या होगा। इसलिये प्रदेश में चूंकि बहुत सी डेरियों का काम संतोषजनक नहीं है। क्योंकि दूध विकास का जो काम होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। पशुपालन विभाग और उनका जो कोआरडिनेशन होना चाहिये वह ठीक से नहीं हो पाया है जिसके कारण जाड़ों में दूध ज्यादा और गर्मियों में कम उपलब्ध होता है। चूंकि प्रदेश में लोग भैंसों के दूध को ज्यादा पसंद करते हैं और गाय के दूध को कम। इस दिशा में प्रयत्न किया है कि जहां-जहां हमारी डेरियों का स्ट्रक्चर है, उनका एक कार्य क्षेत्र को निर्धारित करेंगे, किसानों की कोआपरेटिव सोसाइटी बनायेंगे और वहीं एक जगह पर उनका दूध लेंगे। वहीं पशुओं के लिये संतुलित आहार हम उपलब्ध करायेंगे और कृत्रिम गर्भाधान की सुविधा देंगे और इस प्रकार की व्यवस्था करेंगे कि जाड़ों में दूध और गर्मियों में बराबर दूध मिलता रहे। यदि जाड़ों में मिलता रहेगा और गर्मियों में कम तो निश्चित रूप से डेरियां ठीक नहीं होंगी।

मान्यवर, इसके लिये श्री रियासत हुसैन के जिले में दलपतपुर डेरी में दूध का काफी अव्यवस्था थी, उसको दूध पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिये माननीय मन्त्री श्री दलजीत सिंह ने अपने जनपद रामपुर के क्षेत्र बिलासपुर का इंस्पेक्शन किया और वहां से पर्याप्त दूध दिलाने की व्यवस्था किया चूंकि बिलासपुर में दूध सरप्लस है। इसी तरह मान्यवर, फैजाबाद क्षेत्र की डेरी की स्थिति संतोषजनक नहीं है।

श्री कुबेर भंडारी--

वहां पर अधिकारियों की हालत अच्छी है । वहां पर काफी गबन हो रहा है ।

श्री भानु प्रताप सिंह--

मैं माननीय सदस्य से आग्रह करूंगा कि मैं साफ हृदय से जो हमारी गलतियां हैं उनको स्वीकार करना जानता हूं । जो अच्छाइयां हैं उनको हाई लाइट करना चाहता हूं । अगर मैं गलतियों को स्वीकार न करूं तो इस प्रकार की आपत्ति उठाना मुनासिब होगा । मैंने अभी मिसाल के तौर पर दो डेरियों का नाम लिया । फैजाबाद में जो डेरी है उसमें सुधार की आवश्यकता है । तो चाहे हमारी रूलिंग पार्टी के सदस्य हों या उधर बैठने वाले सदस्य हों, इस प्रदेश में दूध का उत्पादन बढ़े इसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है । फैजाबाद का जो इलाका है तो वहां के लोग बहुत गरीब हैं केवल कुछ लोग ही बहुत मालदार हैं । वहां पर कोआपरेटिव के स्ट्रक्चर को सक्षम बनाने की आवश्यकता है ।

मैंने उप मन्त्री जी से विचारविमर्श किया था और विभागीय अधिकारियों के समक्ष सबको सुझाव दिया था कि कोआपरेटिव सेक्टर को मजबूत बनाया जाय । वहां गाजर के इलाके में जहां दूध ज्यादा है वहां पर सेंटर कायम किये जायं जो दूध इकठ्ठा करें और जहां पर दूध की कमी है वहां पर बैंक से फाइनेंस किया जाय ताकि वहां पर लोग अच्छे पशु खरीद सकें और दूध अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सके और डेरियां चल सकें । अगर आवश्यकतानुसार दूध उपलब्ध नहीं है या भविष्य में उपलब्ध नहीं होगा तो मैं यह कहना चाहता हूं कि डेरियां कभी भी सफल नहीं हो पायेंगी । अगर हम प्रदेश के किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत करना चाहते हैं और उनको खुशहाल रखना चाहते हैं तो राजनीति से परे हटकर सबको सहयोग करना पड़ेगा और जो उनको आर्थिक सुविधा दिलाना है या तकनीकी ज्ञान दिलाना है वह हम सब मिलकर उनको दिलायें तो यह कार्य केवल सरकार में बैठे हुये हमारे दल के लोग नहीं कर सकते हैं सबके सहयोग की उसमें आवश्यकता है । हम इलेक्शन लड़के जब यहां आयें तो जो समय है उसमें हम चरित्र हनन की प्रक्रिया अपनायें या दोषारोपण न करें बल्कि हम उत्पादन बढ़ाने का काम करें या हम पशुओं की नस्ल सुधारें, दूध का उत्पादन बढ़ायें यह हमारे सामने विकल्प हैं । हम अपने क्षेत्र की जनता से वायदा करके आते हैं कि जब हम चुनकर जायेंगे तो आपके क्षेत्र का विकास करेंगे, तो जब हम यह वायदा करके आते हैं तो विकास तभी कर सकेंगे जब सरकार जो विकास के कार्य कर रही है उसको लागू करायें । अगर अधिकारी कोताही करते हैं तो दोनों पक्षों के लोग मिलकर उस गलती को सुधारने में मदद करें ताकि लोगों का जीवन-स्तर ऊंचा हो सके अन्यथा जब तक किसान की आय नहीं बढ़ेगी, वह मजबूत नहीं हो पायेगा तब तक हम जो उनकी मदद करने का वायदा करके आते हैं वह पूरा नहीं हो पायेगा । मान्यवर, उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालन का भी एक धंधा है ।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

आपने मछली खिलाई नहीं कभी ।

श्री अधिष्ठाता--

आपके 45 मिनट हो गये हैं और आज का सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है । बहुत से माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहेंगे ।

श्री भानु प्रताप सिंह--

मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं ।

मान्यवर, मैं जल्दी ही समाप्त करने जा रहा हूं ।

माननीय विष्ट जी ने कहा मछली खिलाने की व्यवस्था की जाय । मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस लखनऊ शहर के अन्दर हमने एक चलता-फिरता "पारलर" चलाया है यानी मोबाइल गाड़ी में मछलियां रहेंगी और दो प्रकार की व्यवस्था रहेगी । अगर वैसे चाहें तो डेढ़-दो रु0 में प्रति प्लेट उपलब्ध करा सकते हैं और अगर बच्चा चाहे तो बजाय 20 रु0 के 14 रु0 में प्रति किलो में अच्छी से अच्छी मछली उपलब्ध करा सकते हैं ।

इस प्रदेश के अन्दर सबसे ज्यादा गरीब लोग मछुआ समुदाय के हैं और वे जो मछली मारने का काम करते थे, वे प्राकृतिक जलाशयों में छोटे-छोटे पोखरों में, नदी और नालों में मछली मारने का काम करते थे और उसके द्वारा अपना जीविकोपार्जन किया करते थे । अब तालाबों के आबंटन का कम सरकार ने किया है । इस सम्बन्ध में यह व्यवस्था की गयी है कि अगर ग्राम प्रधान चाहे कि उनको न दें तो परगनाधिकारी को यह अधिकार दिया गया है कि वह मछुआ समुदाय के लोगों का सीधे पट्टा दे दे और ग्राम समाज या ग्राम समिति की राय की कोई आवश्यकता नहीं है । मछुआ समुदाय के लोगों को मछली पालने के लिये शिक्षण का भी काम किया गया है । पट्टे जो तालाबों के दिए जायेंगे, उस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री जी ने चिन्ता व्यक्त की कि मछुआ समुदाय के लोगों को अगर पट्टे दे दिये तो वे तालाबों को विकसित कैसे करेंगे ? मछली पालने का काम कैसे करेंगे । क्या बैंक उनका फाइनेन्स करेगा ? इन्हीं सब चीजों को देखते हुये माननीय मुख्य मंत्री जी की सहमति और अनुमति से उनको बैंकों से लोन दिलाया जायगा । मछली के बच्चे 6 प्रजातियों के उनको उपलब्ध कराये जायेंगे जो एक दूसरे को नहीं खाते हैं और बहुत तेजी से उनका विकास होता है ।

मछुओं के लिये जितने बड़े-बड़े जलाशय हैं, अगर मछुओं की रजिस्टर्ड समितियां हैं, तो उच्चतम बोली पर 25 प्रतिशत छूट उनको देने का निर्णय किया गया है । उच्चतम बोली बोलने के लिये यदि कोई पूंजीपति आता है तो वह इन मछुओं का शोषण करेगा, इसलिये यह व्यवस्था की गई है । नदियों में मछली पकड़ने के लिये इनको लाइसेन्स भी दिये जायेंगे ताकि स्वतन्त्र रूप से मछली मारने का काम कर सकें । शिक्षण और पालन दो अलग-अलग चीजें हैं, इसके लिये इस बात की व्यवस्था की गयी है कि बड़ी-बड़ी "फिशरीज" बनायी जायं । मछली के बच्चे उपलब्ध करने के लिये पूरे प्रदेश के अन्दर 11 प्रजनन केन्द्र स्थापित किये जायेंगे । जो 5 करोड़ की अभी तक मांग थी, वह अब बढ़कर 12-13 करोड़ होने जा रही है; उसके लिये बहुत आवश्यक है कि हमारे प्रजनन केन्द्र चलें और बच्चे पैदा करने के बाद हम उन्हें मछुआ समुदाय के लोगों को सस्ती दरों पर दे सकें । इन शब्दों के साथ में माननीय सदस्यों से चाहूंगा कि वह अपने बहुमूल्य सुझाव देने का कष्ट करें ताकि विभाग के क्रिया-कलापों पर दृष्टि डाली जा सके और जो हम आगे काम करना चाहते हैं प्रदेश के अन्दर वह कर सकें ।

श्री अधिष्ठाता--

इससे पूर्व कि माननीय शंकर सिंह अपना कटौती का प्रस्ताव रखें, मैं दो निवेदन करना चाहता हूं, एक तो कटौती के प्रस्तावक का समय 30 मिनट और बाकी और दूसरे जितने माननीय सदस्य बोलेंगे 7 मिनट का समय होगा क्योंकि इस विषय पर बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने नाम दिये हैं, जो समय निर्धारित है, उसी समय के अन्दर अपनी बात को समाप्त करने की कृपा करें ।

श्री शंकर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी एक घंटे से ऊपर बोले और मुझे उनका जवाब देना है । उनकी एक मिनट की बात का जवाब मैं दो मिनट में दे पाऊंगा । यह कम समय में कैसे होगा ? मुझसे तो हो नहीं पायेगा । परन्तु आपका आदेश शिरोधार्य है ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 9--कृषि विभाग (औद्योनिक विकास)-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10--कृषि विभाग (कृषि)-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 34--पशुधन विभाग सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35--पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास)-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं अनुदान संख्या 38--मत्स्य विभाग-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

इन सभी अनुदानों में कमी करने का उद्देश्य--विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को मैंने बड़े ध्यान से सुना । पहली चीज मान्यवर, मुझे यह कहनी है कि इस प्रदेश में और देश में किसानों के लिये केवल थोथी बातें, जब न से प्रस्तुत की जाती हैं, किसानों के लिये कोई ठोस योजना बनी ही नहीं है । मंत्री जी ने जो भाषण दिया उसमें कहा कि इस प्रदेश में, देश में जितना खाद्यान पैदा होता है उसका 1/3 खाद्यान्न पैदा होता है । यह उनकी जानकारी साबित करती है कि उनको इसके बारे में कितना ज्ञान है । मेरी जानकारी है कि पिछले वर्ष 13.20 करोड़ का उत्पादन देश में हुआ है । उनकी किताब में प्रदेश में 242-240 लाख टन उत्पादन दिया हुआ है । इसमें तो 1/3 उत्पादन होने का प्रश्न उठता ही नहीं है । 17 प्रतिशत के करीब होता है ।

मान्यवर, यह किताब इनके कृषि विभाग का दिग्दर्शन, जो हम लोगों को दिया गया है इसमें विभाग की नीतियां बतलाई गई हैं उसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान ले जाना चाहता हूं । इसमें पेज 65 पर राजकीय ग्रामीण

कार्यक्रम के बारे में लिखा है इसमें दिया है, इसकी छठी लाइन में लिखा है कि ऐसे निर्माण-कार्यों में वरीयता दी जायेगी जो मुख्-तः अनुसूचित जाति और अनुसूचित-जनजाति के लिए कि वे भूमि विकास योजना में लाभप्रद न हों।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उनके विभाग ने कोई ऐसी नीति बनाई है कि ग्राम में जो सबसे ज्यादा गरीब हैं, वह अनुसूचित जाति ही है उनको इसमें लाभ लेने का अवसर न मिले ? जो विशेष रूप से इसमें उनके लिये उल्लेख कर दिया गया है ? यदि आपने ऐसी योजना नहीं बनाई है और यह मिसप्रिन्ट है, तो इस पर हमें कुछ नहीं कहना है और यदि ऐसी योजना ही बनाई है और मिसप्रिन्ट नहीं है तो समझ लीजिये कि आपको कितनी दिलचस्पी उसके लिये है। कितनी आपके अधिकारियों को दिलचस्पी उनके लिये है कि किसी ने नहीं देखा कि जो विभागीय नीति की घोषणा कर रहे हैं उसमें कहीं मिसप्रिन्ट तो नहीं हो गया है।

अब मान्यवर, चाहे मंत्री जी मछली खिलायें और विष्ट जी खायें इसमें मुझे कुछ नहीं कहना है परन्तु जो मछली का कांटा होता है वह प्रदेश के किसान के गले में अटका हुआ है, वह नहीं निकल रहा है। मान्यवर, दुनियां के 125 देशों में आप देखें कि 10 देश जो सबसे गरीब हैं, उसमें हमारा देश आता है।

और मान्यवर, प्रदेश और देश में 56 प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। पन्त नगर युनिवर्सिटी के डाक्टर बी0 डी0 सिंह की एक रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी क्षेत्र की बात अभी आप कर रहे थे, वहां 85 फीसदी लोग हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। ऐसे व्यक्ति और क्षेत्र हैं जहां लोग होटलों की जूठन के लिए इस तरह से टूटते हैं जैसे कुत्ते। देश में जो पांच पंचवर्षीय योजनायें चलायी गयी उनमें आप देखें 2 लख 53 हजार 671 रुपय और दूसरी तरफ से देखें तो 25 हजार प्रति परिवार के हिसाब से योजना में खर्च किया है लेकिन लाभ किस को मिला, केवल 10 प्रतिशत लोगों को जो पूंजी-पति थे। गरीब और गरीब होता गया, अन्त कहां पर है ? आपकी 84 प्रतिशत जनसंख्या गांव में है और कृषि में वर्किंग फोर्स उसमें कितनी है, 78 प्रतिशत आदमी कृषि में लगा हुआ है और जहां पर 78 प्रतिशत वर्किंग फोर्स हो, इनका टोटल प्लान एक्सपेंडीचर 25 प्रतिशत भी वहां नहीं है। उद्योगों तथा और धंधों में जिनमें केवल 10 प्रतिशत लोग हुए हैं उनमें कृषि से ज्यादा धन आवंटित किया गया है। इससे हुआ क्या, इस देश, प्रदेश की गरीबी का कारण यही है। महात्मा जी कहा करते थे, भूखा आदमी एक टुकड़े अन्न के लिए आजादी भी बेच सकता है लेकिन जो योजना बनाने वाले विद्वान थे, इस तरफ ध्यान नहीं दिया।

मान्यवर, आप पश्चिमी क्षेत्र से आ जाते हैं, उसके बारे में जिक्र किया गया। मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, ये सब कृषि प्रधान जिले हैं, कृषि उत्पादन के बल पर केपिटा इनकम भी बढ़ाई, 5 सौ रुपये के करीब पहुंच चुकी है, यही नहीं आपके बल पर जाने कितने उद्योग वहां खड़े हो गये हैं। वहां किसानों की परचेजिंग पावर बढ़ी है, परचेजिंग पावर बढ़ने से उद्योग बढ़ते हैं और देश में धीरे-धीरे उन्नति होगी।

(1 बजकर 28 मिनट)

[श्री शंकर सिंह---]

लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डा0 रणजीत सिंह हेड आफ इकोनामिक्स ने स्वयं कहा कि कानपुर तथा लखनऊ जैसे शहरों में सारे प्रदेश के उद्योग डाल दिये गये, ये शहर अपने जिलों की परकैपिटा इनकम को उठाने में सफल नहीं हो सके। पंजाब, हरियाणा का उदाहरण है जहां बड़े उद्योग बहुत कम हैं और दूसरी ओर बिहार, बंगाल, ऐसे प्रान्त हैं जहां सभी बड़े-बड़े उद्योग लगे हैं, पंजाब और हरियाणा के मुकाबले गरीब हैं और पंजाब, हरियाणा चोटी पर हैं और वह भी केवल कृषि के कारण।

आपके सामने एक आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं।

इस प्रदेश में 1920 तक देश के बाहर फूड एक्स्पोर्ट होता रहा, 4 लाख टन 1920 में किया और फिर 1976 तक भारी आयात होता रहा। 1977 में भी जब तक कांग्रेस सरकार रही, आयात किया गया।

जब जनता गवर्नमेंट आई उस समय खाद्यान्न टोटल आयात बन्द हुआ था, वह आप देखें। उस समय कृषि की तरफ विशेष बल देने के लिए, किसानों की हालत सुधारने के लिए ऐसी नीतियां अपनाई गईं जिनसे किसानों का हित हो सके। उसके बाद फिर जब आपकी सरकार आई तो फिर अशांन्ति शुरू हो गया 16 हजार 178 करोड़ रु0 का गल्ला देश में 1977 तक बाहर से आया अगर उतना रुपया हमारे किसानों के ऊपर लगाया जाता तो कृषि की कितनी उन्नति होती, इसकी कल्पना की जा सकती थी। आपने सिक्स्थ प्लान में प्रोडक्शन के बढ़ाने की 5.5 प्रतिशत की दर रखी है लेकिन इसको मेन्टेन करना आसान नहीं है। इसको मेन्टेन करने के लिए आपको कृषि की तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा। दुनिया में एक करोड़ से अधिक जनसंख्या के 55 देश हैं और इन 55 देशों में अपने देश का 43 वां नम्बर है उत्पादन में पर एकड़ में और यह स्थिति उस वक्त है जब कि यहां की जलवायु इतनी अच्छी ह क्योंकि यहां पर सूरज सबसे अधिक देर तक रहता है। इतनी अधिक अच्छी जलवायु और कहीं की भी नहीं है। यहां हिमालय की नदियों का पानी आता है, वह हमको मिलता है लेकिन फिर भी कृषि की हालत अच्छी नहीं है। डाक्टर स्वामीनाथन मेम्बर, प्लानिंग कमीशन ने कहा है कि देश में भूमि के अन्दर तथा बाहर के क्षेत्रों से 113.33 मिलियन हेक्टेयर सिंचित करने की हमारी क्षमता है लेकिन उसमें देश के 50.01 मिलियन हेक्टेयर सिंचित कर पाये। इसी तरह से फर्टिलाइजर का केवल 26 किला पर हेक्टेयर आपका औसत है जब कि जापान में 300 के0 जी0 पर हेक्टेयर दिया जाता है और उस पर आप कहते हैं कि हमने बहुत फर्टिलाइजर दिया है।

आपको अनुसंधान पर बल देना चाहिए। जो नये तरीके हैं वैज्ञानिक ढंग से अनुसंधान करने के उन पर आपको बल देना चाहिए। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार कहा गया है कि जो विकसित देश हैं उसमें जितना उत्पादन होता है उसका 2 परसेन्ट अनुसंधान पर खर्च होता है लेकिन हमारे यहां केवल 31 परसेन्ट यानी एक रुपये में तिहाई अनुसंधान पर खर्च होता है। आज होना यह चाहिए कि पैदावार बढ़ाई जाय लेकिन पैदावार आप बढ़ा नहीं सकते। जो आपका विभाग है, आप एक कल्पना कर लीजिए कि अगर कृषि विभाग समाप्त कर दिया जाय तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप कहेंगे कि हम बीज देते हैं तो केवल 2 परसेन्ट आप बीज देते हैं। जितना आपका लक्ष्य है उससे बहुत कम देते

हैं। 1979-80 में यह 1 लख 68 हजार का लक्ष्य था जब कि आप केवल 1 लाख 39 हजार दे पाये और 80 में 49 हजार कम कर दिया। इस साल 82-83 में 1 लाख 55 हजार कर दिया। इस तरह से आप अपना लक्ष्य बराबर कम करना चाहते हैं। जो दो परसेंट आप बीज देते हैं उसमें रूखा-सूखा और घुन लगा हुआ बीज ही किसान पाते हैं और उसी को बोया जाता है और वैसी ही उपज होती है। इसी तरह से खाद आपका विभाग 6 प्रतिशत के करीब देता है बाकी जो सहकारिता से मिलती है एग्रो से मिलती है या प्राइवेट तरीके से मिलती है उससे किसी तरह से किसान पूर्ति करता है। आपकी जो पत्रियां निकलती हैं वह सूचना विभाग को दे दीजिए, वह छापकर दे देंगे।

हार्टिकल्चर डिपार्टमेन्ट को अपने अलग कर ही रखा है। आप कृषि विभाग के फार्म डिप्टी कलेक्टर को सौंप दें तो वह भी इसे देख लेगा। कहां रही आवश्यकता आपके विभाग की ? आपका विभाग ऐसा होना चाहिये जो कृषि की दिशा में कुछ कार्य कर सके। इसके लिये आपको कोई रास्ता निकालना जरूरी है। इसके लिये आप अनुसंधान का प्रबन्ध करें। आपका जो विभाग है उसे आप टेक्निकल घोषित कीजिये। अगर इस विभाग को टेक्निकल विभाग घोषित कर दिया जाय तो बहुत सी समस्यायें हल हो जायेंगी। आपके एग्रीकल्चर अधिकारी हेड क्वार्टर पर रहते हैं। फील्ड पर देखने के लिये तो वे जाते नहीं। फील्ड देखने के लिये तो ग्राम सेवक है। लेकिन वह भी अब पुराना हो गया। उसे भी आपने अधिकारी कर दिया है तो वह फील्ड क्यों देखे, वह भी नहीं देखेगा कृषि विभाग के अन्दर वह है भी नहीं। आपने स्वयं बतलाया है कि फर्रुखाबाद में तमाम किसान जानते ही नहीं और वे पुरानी पद्धति से ही आलू पैदा करते जा रहे हैं। नये तरीके से आलू कैसे पैदा किया जाता है इसका उनको ज्ञान ही नहीं है। आखिर कोई पेट से सीख कर तो आता नहीं है। आप भी स्कूल में पढ़े हैं, हम भी स्कूल में पढ़े हैं और स्कूल में जब पढ़ेंगे तो वहां पर सिखाया जायेगा टेकनीक किसानों के खेतों तक ले जाने की आवश्यकता है।

कानपुर विश्वविद्यालय में आपने एक्सटेंशन का 21 जिलों का कार्य सौंपा है लेकिन वहां कोई एक्सटेंशन का कार्य नहीं हो रहा है। कानपुर में मेला देखने से ही किसानों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। किसानों को फील्ड में ले जाना चाहिये टेकनीक तभी वे उस ज्ञान को जान पायेंगे कि यहां का स्वायल कैसी है, इसमें कितने फर्टिलाइजर की जरूरत है। अगर किसान को कोई बीज दे दिया जाय और कहा जाय तो उसे पता नहीं लग सकेगा कि किस जगह कौन सी फसल बोने से ज्यादा पैदावार हो सकेगी। उर्वरक भी वह नयी पद्धति से न देकर अभी पुरानी पद्धति से ही देता है। इसका नतीजा यह है कि आज प्रदेश का किसान उतना लाभ नहीं उठा पा रहा है। अधिकांश में जो उत्पादन होता है वह सिंचित भूमि में होता है। हमारे यहां देश में केवल 30 प्रतिशत सिंचित भूमि है और 70 प्रतिशत असिंचित भूमि है। प्राइवेट ट्यूबवेल्स वगैरह लगा कर आपने आंकड़े बढ़ा दिये हैं। 30 प्रतिशत जो सिंचित में है उसी में देश के सारे उत्पादन का 60 प्रतिशत होता है और बाकी जो आपकी भूमि है 70 प्रतिशत उसमें केवल 40 प्रतिशत उत्पादन होता है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के वैज्ञानिकों ने यह बात कही है और बतलाया है कि वहां के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि 6 करोड़ टन की पैदावार को

[श्री शंकर सिंह--]

बढ़ा कर 21 करोड़ टन तक अनुसंधान के जरिये विकसित कृषि को अधुनिक तकनीक से किया जा सकता है। यह बतलाया गया है कि जो भूमि कटाव है, जो ऊसर जमीन है उसको कैसे रोका जाये उस पर विचार करने के लिए एक कमेटी राष्ट्र संघ के खाद्य एवं कृषि संगठन की कृषि समिति 11-4-81 को रोम में बैठी थी जिसने चेतावनी में कहा है कि भारत में जितनी कृषि योग्य भूमि है उसमें से 51 प्रतिशत भूमि कुछ दिनों के बाद कट जायेगी, बेकार हो जायेगी या ऊसर हो जायेगी। आज उत्तर प्रदेश की 12 लाख हेक्टेयर भूमि ऊसर है और जाने कितने वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं बारह लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि, 12 लाख हेक्टेयर ऊपर भूमि। आखिर इस 12 लाख हेक्टेयर भूमि में कभी कमी होगी या नहीं। 12 लाख हेक्टेयर और बढ़ जायगा। आपने कहीं पर कहा है, मैंने पढ़ा था, कि 800 एकड़ जमीन का सर्वे किया जा चुका है। तीस लाख एकड़ भूमि है। आप सर्वे करते रहिये। मेरे ख्याल से दो-चार युग बीत जायेंगे और तब तक इस धरती में कयामत हो जयगी। जब 1978 में हमारी सरकार थी तो उस वक्त निर्णय लिया गया था कि भूमि सेना बनेगी। इस ओर कुछ नहीं किया गया। फन्ड दीजिए, देखिये कि यह भूमि सेना खड़ी हो, किस तरह से जो कटान की भूमि है, ऊसर भूमि है, उसका प्रबन्ध किया जाय। कटाव की भूमि है, इटावा, जालौन आदि क्षेत्रों में। कहीं फूलन देवी बसी तो कहीं छबिराम बसे हैं, बीहड़ों में। लोगों के पास खाने को होता नहीं, जंगलों में चले जाते हैं। जंगल पास है। तो जो आपकी भूमि सुधार योजना है उससे देहात का सुधार करें, बीहड सुधार करें, लोगों को जमीन मिलेगा, रोजगार मिलेगा। यह जो सरकार करोड़ों रुपये पुलिस पर खर्च कर रही है उसमें फर्क होगा। ध्यान सरकार का सारा का सारा उधर है।

इसी तरह से आपने कहा है कि शुद्ध बीज देंगे। शुद्ध बीज के लिए एक तो आपने तराई विकास निगम बनाया है और दूसरा बीज प्रमाणीकरण एजेन्सी है। इसका एक काम तो यह है कि किसानों को जो बीज मिलता है उसमें मिलावट तो नहीं है....

श्री अधिष्ठाता--

माननीय शंकर सिंह जी, बैठें। एक माननीय सदस्य उधर बैठे हैं जरा उनको जगा दें और व्यवस्थित भी कर दें।

एक सदस्य--

डाक्टर भेजिये....

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, यह माननीय सदस्य का दोष नहीं है लेकिन कृषि के प्रति सत्तारूढ़ दल का क्या दृष्टिकोण है इसका परिचायक है।

श्री भानु प्रताप सिंह--

हम आपका भाषण ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, अब इन्होंने जो जो बीज के सम्बन्ध में बीज प्रमाणीकरण एजेन्सी बनायी है, वे बीज का प्रमाणीकरण करते हैं, माननीय मंत्री जी तराई निगम में कितना

घोटाला है । आपके पड़ोस में है तराई रोजन । माननीय मंत्री जो आपकी तवज्जह चाहूंगा । तराई बीज निगम आपके पास में पड़ता है । बहुत बड़ी रिपुटेशन पंत नगर की बन गई थी प्रदेश में ही नहीं प्रदेश के बाहर भी । पंजाब, हरियाणा ने अपना उत्पादन बढ़ाया पंत नगर के बीजों से । लेकिन अब क्या स्थिति हो गई है, कहते हुये शर्म आती है । जो बीज निगम से आता है वह कितने घटिया दर्जे का आता है । बुन्देलखंड में पिछले साल माननीय मंत्री बलराम सिंह जी ने घोषणा की थी कि प्रोसेसिंग प्लान्ट बनायेंगे । पुखरायां में लगा दिया । वहां से हमारे बुन्देलखंड के जिलों को बीज दिया जाता है । आप उसको देखें । उसमें से बीज के लिए गेहूं दिया, चना दिया । चने के बारे में विश्वास के साथ कहता हूं । मेरे परिवार ने स्वयं बोया । बिल्कुल घुन लगा हुआ । मैंने डाइरेक्टर, तराई निगम के हैं, उनको पत्र लिखा कि इस तरह के बीज चना का दिया जा रहा है, आप इस सम्बन्ध में देख लें । आज तक कोई उत्तर नहीं आया । जो प्रोसेसिंग प्लान्ट वहां पर खोला है इन्होंने क्या किया कि 11 परसेन्ट की नमी गेहूं में दिखा दर बगैर तोले । किसान चिल्लाता रहा । बीज कर्मचारियों ने बेचना शुरू कर दिया बोरी से चार सौ कुन्तल की कमी पड़ी । वहां पर जो प्रोसेसिंग प्लान्ट लगा है वह बीज छानता है और उसको छानन रह गई थी उसको बीज मे मिला दिया गया है । सीड सर्टिफिकेट वालों ने इस पर एतराज भी किया । यदि इस तरह से छानन को बीज कहा जायेगा और उसको दिया जायेगा तो सब देश का कल्याण हो गया ।

एक मटर बोनविला हमारे जालौन में बोयी गई । आपके हार्टिकल्चर विभाग में बह गई । किसान ने उसको बोया । उसमें यह पता चला कि 50 प्रतिशत से ज्यादा मिलावट है । किसान ने उस पर लागत लगाई है, खेत में डाला है और उम्मीद की कि टी0 डी0 सी0 निर्धारित मूल्य पर बेचेगा यदि किसान ने बाजार में 200 रुपये क्विन्टल बेचा होगी तो इस मटर की किस्म को वह टी0 डी0 सी0 में 400 रुपये बेचेगा । लेकिन उसमें 50 प्रतिशत मिलावट पायी गई । यह सब किसका दोष है । इसमें उन अधिकारियों का दोष है जिसको आप कहते हैं कि बड़े ईमानदार हैं और प्रदेश का उत्पादन बढ़ाने में सहायक होते हैं । इन अधिकारियों ने इस तरह का एक धन्धा बना लिया है । इस तरह से मिलावट का बीज वितरित करके अपनी कोठियां खड़ी करते जा रहे हैं और बैंक बैलेंस बढ़ाते जा रहे हैं । इसी तरह से मसूर की भी हालत है । उसका बीज दिया गया किन्तु टैग प्रमाणीकरण के नहीं दिये गये । जब इस बात की शिकायत की गई तो यह कहा गया कि उन को बाद में दे देंगे । फिर जो टैक्स किसानों को दिये गये तो उन्हें सीड सर्टिफिकेशन वालों को जांच के लिये दिखाया गया । उसके बाद मालूम हुआ कि वह टैग मसूर के लिये नहीं था बल्कि गेहूं के लिये लगाया जाता है, उसके लिये था । वह टैग चोरी चले गये थे वही चोरी करके कुछ किसानों को दे दिये गये । फर्टिलाइजर की हालत आज किसी से छिपी हुई नहीं है । डी0 ए0 पी0 198 रुपये बिक रही है और यूरिया 72 रुपये से 122 रुपये बोरी हो गई है । उसमें भी कितनी मिलावट है, यह भी सब जानते हैं ।

आज जो बफर गोदाम हैं, आप कहते हैं कि एफ0 सी0 आई0 से उर्वरक मिलते हैं उसमें बालू मिली होती है, अन्डर सप्लाई होती है और गांव में केन्द्र पर 11 बजकर 59 मिनट पर माल पहुंचता है जब किसान खाद की सख्त जरूरत में

[श्री शंकर सिंह---]

होता है जिससे उनको यह धन्धा करने का मौका मिल जाता है । इस तरह से एक बोरो में 5/6 किलो तक कम खाद जाती है, कोयला उसमें पड़ा होता है, बालू, कंकड़ और मिलावट होता है डी० ए० पी० खाद की ओरीजिनल की जगह पर कहीं उसमें काला रंग हो जाता है, कहीं छोटे दाने का दे देते हैं, कहीं बड़े दाना का हो जाता है । मान्यवर, इस तरह से आप देखें कि जो सीड के बफर स्टाक इन्चार्ज हैं वे रातों-र त लखपति हो गये हैं ।

इतना ही नहीं, आप अपने विभाग के अन्दर देखें कि उसमें कितना भ्रष्टाचार व्य प्त है । उसके बारे में जो लोक लेखा समिति की रिपोर्ट में कहा गया है, उसे सभी माननीय सदस्य जानते हैं । क्या भ्रष्टाचार का नमूना है, यह उसमें देखने को मिलता है । एक उदाहरण उसके सम्बन्ध में मैं आपको बताना चाहता हूं । मेरठ मंडल में जो चना आपने खरीदा, वहां पर जो श्री ब्रह्मानन्द शर्मा, कृषि उप निदेशक हैं वे मेरठ के ही हैं, अपने ही गृह जनपद में पोस्टेड हैं । प्रदेश के लिये 14,605 कुन्तल चने का बीज खरीदना (राजस्थान से) था जो कि 20-10-81 तक खरीदना था श्री शर्मा को यह कार्य करना था । किन्तु श्री शर्मा ने 29-10-81 तक खरीदा । जब कि आदेश आपके यह थे कि 20 अक्तूबर, 1981 तक खरीद लिया जाय । इस तरह से आपके आदेशों को अवहेलना करके वहां पर 10 हजार कुंतल बीज शेष गोदामों तथा स्टोरों पर रह गया । यह भी आदेश थे कि इन बीजों का जरमिनेशन टेस्ट कराया जाय किन्तु वह भी नहीं किया गया । बीज आवंटन के अनुसार जनपद के अधिकारियों को स्वयं ढुलाना था परन्तु शासनादेश के खिलाफ श्री शर्मा ने उसकी ढुलाई कराई इस तरह से जो रेट था वह भी ड्योढ़ा हो गया । इसी बीज को ट्रीट करके दवा में इसी तरह से कितना भ्रष्टाचार किया है, यह भी किसी से छिपा नहीं है । चूंकि बीज ट्रीटेड नहीं था इसलिए कस्बे की दवा बानस्टीन 1 7 कि० ग्राम, जिसका मूल्य 518·90 रु० प्रति किलोग्राम है, को शर्मा जी अलग से लेकर बेंच दिये और भारी रकम कमा ली । पूरे काण्ड में लाखों रुपया खाया गया है ।

एक मि० किशन कुमार गोयल, उप-निदेशक कृषि रक्षा हैं लखनऊ में वह 10, 12 सालों से यहां पर हैं । उस पोस्ट पर रहते हुए रैलिस इण्डिया, जो उर्वरक बनाते हैं उसमें अपने पुत्र को रखवा दिया । उनके पुत्र बड़ी जगह पर पहुंच गये हैं तो वह अपने पुत्र की रक्षा करने में लगे हैं और कृषि रक्षा नहीं करते हैं । उस कम्पनी को दवाओं का बड़ा भारी आर्डर देकर उनकी दवा बिकवा रहे हैं । एक रैलिस इंडिया को जुलाई, 1981 में एक उर्वरक एन०पी०के० बगैर नोटीफिकेशन के रिलीज कर दिया गया । कीमत 3,200 रु० प्रति टन, डी० ई० पी० का मूल्य 3,600 रु० प्रति टन है ।

श्री अधिष्ठाता---

आपको 30 मिनट से ज्यादा हो गये ।

श्री शंकर सिंह---

अभी तो मैं मान्यवर, बोल नहीं पाया हूं । तो मैं डी० ई० पी० की बात कर रहा था उसमें परसेंटेज होता है वह एन० पी० के० से डेढ़ गुना होता है फिर भी कीमत में इतना कम अन्तर था । उस परसेंटेज में वह बेच नहीं सकता है । तो बगैर परीक्षण से, बगैर नोटीफिकेशन के उसे बेचने का लाइसेंस दे दिया

गया । जब यहां विधान सभा में सवाल हुआ तब जाकर लाइसेंस रद्द किया गया तब तक न जाने लाखों रुपये का फर्टिलाइजर वह बेच गये और रुपया कमा लिये ।

इसी तरह से मि0 श्रीवास्तव हैं वह पहाड़ पर हैं । पहाड़ में फसलों को कोई एक रोग लगता है कुरमिला उसके लिए जो दवा नहीं लगनी चाहिये वह उन्होंने बेच डाली । तो विभाग में जितना सीड, फर्टिलाइजर आदि हैं उनमें भ्रष्टाचार होता है । मैं नहीं कहता कि सब बेईमान हैं, ईमानदार भी हैं उनसे आप कहें कि जरा ऐसे लोगों को कसें और उन पर नियंत्रण रखें और जो दोषी अधिकारी हैं उनको दन्डित किया जाय ताकि जो खाने वाले हैं उनको सबक मिले । अब मैं थोड़े आंकड़े देना चाहता हूं ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप दो मिनट में समाप्त करें । समय का ध्यान रखें ।

श्री शंकर सिंह--

दो मिनट में कैसे हो सकता है । अब मैं ट्रेड बैलेंस के बारे में कहना चाहता हूं । 1978 में ट्रेड बैलेंस कृषि उत्पादनों तथा दूसरी वस्तुओं में 45 परसेंट के अन्दर था और 1978 के बाद हर चीज के दाम चाहे वह डीजल आयल, किरोसीन या चाहे वह ट्रैक्टर हो सब चीजों के दाम दुगने हो गये हैं । जब उस समय किसान को घाटा हो रहा था तो अब मान्यवर, जब सब चीजों के दाम बढ़ गये हैं उसको कहां से फायदा होगा। मैं आंकड़े पेश नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि आप लालबत्ती जला कर बैठा देंगे । तो चाहे गेहूं हो, चाहे आलू हो, चाहे धान हो किसी में फायदा नहीं है । अगर आप पैदावार बढ़ाना चाहते हैं तो किसान को हर तरह से इनसैंटिव देना पड़ेगा । अगर इसैंटिव देंगे तो प्रदेश में उत्पादन बढ़ेगा । आलू के सम्बन्ध में ध्यान दिलाना चाहता हूं । एक एकड़ में 15 सौ का सीड पड़ता है, एक हजार की खाद पड़ती है, एक हजार का लेबर चार्ज पड़ता है । बाकी लेबर चार्जेज सर्विसिंग सिंचाई आदि को लेकर करीब 4,500 रु0 खर्च आता है । आपका आलू का भाव 30 रु0 चल रहा है और 4,500 रु0 हेक्टेयर में उसका खर्च हो रहा है और एक हेक्टेयर में 100 कुन्टल आलू की पैदावार हुई तो 3,000 रु0 हुई इस तरह 1,500 रु0 प्रति हेक्टेयर किसान का नुकसान हुआ । आपने आश्वासन दिया था, पिछले वर्ष माननीय बलराम सिंह जी ने दिया था और माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि फर्रुखाबाद में वेअर हाउस में आलू रखने पर 30 रु0 के आधे पैसे किसान को दे दिये जायेंगे ।

मैं समझता हूं कि किसानों को वेयर हाउसिंग से कुछ नहीं मिल रहा है और यदि मिलता भी है तो उसका 8-10 रुपये का तो बोरा ही आता है । अब मैं बैंक क्रेडिट के बारे में मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जितना पैसा ग्रामीण क्षेत्र का वेयर हाउस कारपोरेशन में जमा है उसमें से किसानों को ऋण देना केवल 50 परसेंट है और सेमी-अरबन का ऋण 49 परसेंट है और 79 परसेंट बड़े-बड़े शहरों में जमा के एवज में ऋण है । राष्ट्रीय बैंकों के देश भर के ऋण बंटवाने के हिसाब को देखें तो कुछ जमा रकम का किसानों

[श्री शंकर सिंह---]

के पास केवल 10 परसेंट क्रेडिट है और 50 परसेंट बड़े-बड़े उद्योगपतियों तथा थोक बाजार के पास है। इसके अलावा ब्याज की दर में भी बड़ा अन्तर रखा गया है। मेरा निवेदन है कि आप खेती को उद्योग क्यों नहीं मानते हैं जिससे किसानों को भी कम रेट पर ऋण मिल सके। आप बड़े-बड़े पूंजीपतियों और उद्योगपतियों को तो चार-पौने चार परसेंट पर देते हैं और किसानों से 12 परसेंट लेते हैं, यह कहां तक उचित है। इसके अलावा लाखों करोड़ों रुपया मिल वालों पर वर्षों-वर्षों तक बकाया रहता है, उससे उनकी वसूली के लिये कोई सख्ती नहीं की जाती है, जबकि किसानों पर जो बकाया होता है उसके लिए उस गरीब की कुर्की तक कर ली जाती है और उसे बन्द करके जेल भेज दिया जाता है। बंधियां बनवाने के लिए भी किसानों ने जो लोन लिया है 100-50 रुपये का उसके लिए भी गरीब किसान जेलों में बन्द होते हैं।

आप किसानों के साथ हमदर्दी रखें जब किसान किसी तरह से बैंक का लोन नहीं दे पा रहा है। सहकारिता विभाग ने अपने विभाग की वसूली के लिए एक अभियान भी चलाया है सन् 81 में परन्तु जनवरी से अप्रैल तक और उसके फलस्वरूप 300 करोड़ रुपये में से केवल 60 करोड़ निकला। 48 परसेंट केवल बैंकों का वसूल हो पा रहा है शेष नहीं। इसका कारण यह है कि आज किसान की माली हालत ऐसी नहीं है कि वह अपने ऋण को चुकता कर सके। उसका रोम-रोम कर्ज में डूबा हुआ है। फिर भी उसके साथ कितना अन्याय हो रहा है, वह कहने के काबिल नहीं है। पम्पिंग सेट्स व दूसरे कर्जों आदि में उसका आधा पैसा भी उसे नहीं मिलता है। ट्रैक्टरों से सेल्स टैक्स हटाकर उसको आप सस्ता कर सकते हैं। हरियाणा में ट्रैक्टर सस्ता मिलता है, इसलिए किसान वहां जाकर लेता है। आप यह व्यवस्था अपने यहां क्यों नहीं करते हैं। इसलिए उसके इस्तेमाल के जो इन्पुट्स हैं, उनको आप सस्ता कीजिए और उन्हें उसे बिना परेशानी के आसानी से दिलवाने की व्यवस्था कीजिये।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता---

आप दो मिनट में समाप्त कर दें।

श्री शंकर सिंह---

बुन्देलखंड के बारे में मुझे कहना है, मैंने जनपद जालौन में खेतों की बन्धी डलवाने की एक जिला योजना पढ़ी है, उसमें यह है कि चूंकि सिंचाई के साधन उस जनपद में बन नहीं सकते हैं और नहरें निकल नहीं सकती हैं, इसलिए बन्धियों को कराया है। तो ऐसी बात नहीं है, वहां भी जितने सरकारी नलकूप बने हैं, सब काम कर रहे हैं, एक भी फेल नहीं हुआ है। जो क्षेत्र उपेक्षित है, उसको आप और उपेक्षित करते जा रहे हैं। कदौरा विकास खण्ड में भू-संरक्षण की एक इकाई काम करती थी, उसने 25-30 गांवों में काम भी किया, दो-तीन साल से काम कर रही है। अब उस इकाई से कहा जा रहा है कि वह वहां से हट जाये और इस तरह से उस काम को अधूरा छोड़ा जा रहा है। आपका वह ब्लाक डी0 पी0 ए0 में है, अधूरा काम छोड़ कर आप न इधर के रह रहे हैं और न उधर के रह रहे हैं।

माननीय, अब मैं दूध के सम्बन्ध में केवल एक सेन्टेंस में कहना चाहूंगा कि आप जो कर रहे हैं, वह पर्याप्त नहीं है। केन्द्र के सम्बन्धित मंत्री माननीय आर० वी० स्वामीनाथन ने राज्य सभा में कहा है कि उत्तर प्रदेश राज्य में जो दूध का काम चल रहा है, उससे हम सन्तुष्ट नहीं हैं और वह काम करीब-करीब वहां फेल है। दुनिया में जितने पशु हैं, उनका 1/4 हिन्दुस्तान में है लेकिन दूध केवल 5 प्रतिशत है। इससे आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि आपके प्रदेश में दूध का कितना विकास हुआ। आप मुर्रा सांड की बात कर रहे हैं। आप बता दें कि कितनी संख्या में पशु दूध दे रहे हैं। यह नक्कारखाने में तूती के समान है और समुन्दर में एक बूंद के समान है। तो इससे कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। अब मैं एक शेर कह कर अपनी बात समाप्त करता हूं और अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। कोई मेरे दिल का हाल पूछता नहीं, सब कह रहे हैं कि तेरी सूरत बदल गयी। यही देश के किसान का हाल है।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया।

श्री अधिष्ठाता--

मैंने तो आपको बोलने का अवसर दिया, आप समर्थन करें या उसका विरोध करें।

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

मैंने माननीय कृषि मंत्री जी का भाषण और माननीय शंकर सिंह जी, जिन्होंने इस बजट पर अपना कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, के विचारों को भी सुना। माननीय शंकर सिंह जी ने समय तो बहुत लिया लेकिन यह निश्चय कर लें कि हर बात की आलोचना ही करना है तो उसका कोई इलाज नहीं है।

(एक सदस्य के रास्ते के बीच में खड़े होकर माननीय कृषि मंत्री से बात करने पर)

श्री अधिष्ठाता--

मंत्री जी एक व्यवस्था यह रही है कि जब कोई माननीय सदस्य बोल रहे हों उनके और अध्यक्ष पीठ के बीच में कोई सदस्य नहीं आयेंगे। तो इस व्यवस्था को बनाये रखें ?

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

माननीय, इतने लम्बे भाषण में माननीय शंकर सिंह जी ने कोई रचनात्मक सुझाव नहीं दिया, ऐसा नहीं रहा कि जिससे प्रदेश के किसान का भला हो सके।

माननीय, कृषि विभाग की उपलब्धियों का जहां तक सवाल है, मैं बहुत नम्रता के साथ कहना चाहता हूं। माननीय कृषि मन्त्री, यह सरकार और उत्तर प्रदेश का कृषि विभाग इन उपलब्धियों पर गर्व कर सकता है। माननीय, अगर सारे देश के खाद्यान्न के उत्पादन को ले लिया जाय तो उत्तर प्रदेश....

एक सदस्य--

इन्दिरा जी का भी नाम ले लीजिये ?

श्री विमल प्रसाद तिवारी--

उनका नाम तो सारा देश ले रहा है, और आपकी परेशानी के बावजूद भी लेता रहेगा।

यह आपकी खसुसियत का नमूना है कि आप सत्य बात नहीं सुनना चाहते हैं। सारे देश में खाद्यान्न का जो उत्पादन हुआ है, उसमें सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में हुआ है। क्या यह गर्व की बात नहीं है ? उसके बाद नम्बर 2 पर अगर कोई प्रदेश रहा तो वह मध्य प्रदेश है और सारे देश के खाद्यान्न के उत्पादन का 17·52 प्रतिशत उत्पादन उत्तर प्रदेश में हुआ है। मध्य प्रदेश जो नम्बर 2 पर है, उसमें केवल 8·8 प्रतिशत उत्पादन हुआ। (माननीय कुबेर भन्डारी के हरियाणा के बारे में कुछ कहने पर।)

माननीय कुबेर भन्डारी जी ने शायद गेहूं की बात कही है इस लिये उन्होंने हरियाणा का नाम लिया है। क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि गेहूं हरियाणा में ज्यादा पैदा होता है। लेकिन गेहूं के उत्पादन में भी सबसे ज्यादा उत्पादन हमारे प्रदेश में ही है। सारे प्रदेश में देश का 32·27 प्रतिशत गेहूं का उत्पादन हमारे प्रदेश में हुआ है। नम्बर 2 पर पंजाब है जिसने 20·71 प्रतिशत गेहूं का उत्पादन किया है। तो इन सारी उपलब्धियों पर हमें गर्व है।

दलहन का जहां तक सम्बन्ध है जिसके उत्पादन पर हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी जी जोर दे रही हैं। उसमें भी 19·41 प्रतिशत सारे देश की उपज का हमारे प्रदेश में होता है। सरसों राई का भी सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में हो रहा है। और 58·53 प्रतिशत पूरे प्रदेश के उत्पादन का है। नम्बर 2 पर है राजस्थान जहां सारे देश का 10·95 प्रतिशत उत्पादन हुआ।

खाद की बात शंकर सिंह जी ने कही। इस सम्बन्ध में अधिक से अधिक सुदृढ़ व्यवस्था माननीय मन्त्री जी ने की है और उसके वितरण की व्यवस्था भी ठीक करने के लिये मन्त्री महोदय सचेष्ट हैं। वे स्वयं भी एक कृषक हैं और इस दिशा में हर तरह के उचित कदम उठा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो आंकड़े हैं उनको देखते हुये हमारा प्रदेश और सारे प्रदेशों के मुकाबले में गर्व कर सकता है। खाद के मामले में आज प्रदेश के अन्दर वर्ष 1981-82 में जो प्रदेश के अन्दर खाद की खपत हुई वह है 1·20 लाख टन अधिक पिछले वर्ष के मुकाबले में। यह पिछले साल के मुकाबले में अधिक उपयोग में लायी गयी जबकि मुल्क में और 18 सूबों को मिला कर भी इतनी खाद प्रयोग में नहीं आयी है। मैं इस बात को कह सकता हूं कि प्रदेश के किसानों के हित के काम जितने अधिक इस सरकार ने किये हैं उतने कभी पिछले 3 सालों में आपने भी नहीं किये।

मैं मान्यवर, उस जिले से आता हूं जहां आलू का उत्पादन सबसे अधिक होता है और आलू की जो दुर्दशा हमारे यहां हुई वह सब जानते हैं, वह कोई नयी बात नहीं है। एक तरफ सरकार यह जोर दे रही है कि आलू का उत्पादन बढ़ाया जाय और जब उत्पादन बढ़ता है तो यह स्थिति सामने आती है और हम देखते हैं कि किसान का शोषण हो रहा है, उसको उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। यह बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। इस तरफ सरकार को ध्यान और अधिक देना चाहिये। सारे प्रदेश में हर जिले में आलू का उत्पादन होता है और

यह मांग की जाती है कि उनको आलू का उचित मूल्य मिले, किन्तु लागत के बराबर भी मूल्य नहीं मिल पा रहा है। सारे प्रदेश के आलू किसान की एक ही कहानी है, लेकिन फर्रुखाबाद जिले में आलू की अजीब ही कहानी है। उत्तर प्रदेश में 46 लाख मैट्रिक टन आलू पैदा हुआ है जिसमें से करीब 10 लाख टन आलू खाली फर्रुखाबाद में ही पैदा हुआ है।

माननीय मन्त्री जी ने कहा कि फर्रुखाबाद का किसान रूढ़िवादी है, वह केवल 1645 किस्म का ही आलू बोता है, इस कारण वह आलू अच्छा नहीं होता वही उनके घाटे का कारण है, यह उन्होंने बताया। अगर फर्रुखाबाद का किसान 1645 किस्म का आलू बोता है, वह उसको नहीं छोड़ पा रहा है, तो मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि उसके लिये आपके विभागीय अधिकारी जिम्मेदार हैं, यह आपके अधिकारियों की ही असफलता है जो वे उनके लिये अच्छी जाति के बीज की आवश्यकता को पूरा नहीं करते। अगर उनको अच्छा बीज उपलब्ध हो जावे तो वे क्यों इसे बोयें। इससे मान्यवर, किसान की समस्या हल होने वाली नहीं है। आलू का उत्पादन बढ़ा है और जब यह उत्पादन बढ़ता है तो उसके मूल्य में गिरावट आती है। व्यापारी, रेलवे अधिकारी, कृषि विभाग के अधिकारी ये मिल कर किसानों का शोषण करते हैं। आप सचेष्ट हैं, आप सजग हैं किसानों की समस्या की तरफ।

मैं आप से निवेदन करना चाहूंगा कि आलू के उत्पादकों की समस्या का स्थायी हल केवल एक है कि कोई आलू पर आधारित कारखाने की स्थापना की जाय, जिसकी 1975 से निरन्तर इस सदन में अनेकों बार सरकार की ओर से घोषणा की जा चुकी है। मैं आशा करता हूं कि माननीय विश्वनाथ प्रताप सिंह और माननीय भानु प्रताप सिंह के कार्यकाल में निश्चित ही आलू पर आधारित कारखाना लगा कर आलू उत्पादकों की समस्या का स्थायी हल निकाला जायगा।

श्री राम गोविन्द--

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे कृषि विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया है। मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्रीमन्, निश्चित ही कृषि विभाग उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण विभाग है। किसानों की तकदीर से इसका सीधा सम्बन्ध है और अच्छा भी है कि प्रदेश को सरकार किसानों के हित की रक्षा करने के लिये सब कुछ करे लेकिन हो नहीं रहा है, हो रहा है ठीक उल्टे, किसानों के हित की रक्षा हमारी जनता पार्टी की सरकार ने किया था। हम लोगों ने यह सोचा था श्रीमन्, कि अगर देश को मजबूत बनाना है, देश से गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना है, तो निश्चित रूप से देश और प्रदेश के किसानों की सुरक्षा होनी चाहिए और हमने किया भी। 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी और उससे पहले कांग्रेस की गवर्नमेन्ट थी उसने जो खाद का दाम रखा था, जो सिंचाई की दरों में वृद्धि किया था, इन्होंने जो बिजली की कटौती कर दी थी, हमने किसानों की दशा सुधारने के लिए खाद के दामों में बढ़ी हुई कीमत में, सिंचाई की दरों में कमी किया और श्रीमन्, जो इन्होंने बिजली हिंडालकों को दी थी, हमने किसानों के हित की रक्षा को ध्यान में रखते हुए, हिंडालको की बिजली काट कर किसानों को दिया था।

[श्री राम गोविन्द—]

फिर भी यह कहते हैं कि हम तो किसानों के हितैषी हैं । आप इसको जानें और आपकी सरकार इसे जाने ।

श्रीमन्, कृषि विभाग से दवा का छिड़काव होता है, उस समय किसानों के पास पैसा नहीं रहता है । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि किसानों को निःशुल्क दवा का छिड़काव किया जाय । अगर ऐसा नहीं हो सकता है, तो लगान के साथ उसका दाम वसूल किया जाय । श्रीमन्, ये उस समय दवा का दाम वसूल करने का काम करते हैं, जब किसानों के पास पैसा नहीं रहता है और उस समय किसानों से दवा का दाम वसूल करने से उनको परेशानियां बढ़ जाती हैं । प्रदेश में 3–3, 4–4 रिसर्च विश्वविद्यालय हैं, आचार्य नरेन्द्र देव, कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद, कानपुर तथा पन्तनगर में हैं । लेकिन ये टोटली फेल्योर हैं । किसी ने प्रगतिशील बीज का आविष्कार नहीं किया । इन्होंने सर्वप्रथम 65–66 में बड़े हायर वैरायटी की घोषणा की । लरम रोजी, सोनरा 64 जो आया था, इन्ही को बदल कर इ0 टी0 262 कर दिया, आर0 आर0 21 का नाम बदल कर यू0 पी0 2003 रख दिया । इन्होंने किसी भी बीज में 50 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी नहीं की है ।

मैं दूसरी बात आप से कहना चाहता हूं कि जितने भी सरकार के फार्म हैं, टोटली फेल्योर हो गये हैं, जबकि किसानों से अधिकतर सुविधा उनको खाद, पानी, बिजली की व्यवस्था की गयी है, अच्छे–अच्छे किस्म के उनको बीज दिये जा रहे हैं, इसके बावजूद भी वह घाटे में चल रहे हैं, इसका क्या कारण है ? वहां पर घोटाला हो रहा है, काम नहीं हो रहा है । इसलिए मैं कहता हूं कि मन्त्री जी अपने सरकारी फार्मों की भी देख भाल करें । दूसरी बात मैं कह दूं जो दवा छिड़कने वाली मशीन है वह दो तरह की है । एक गन्ना विभाग में जो 25 प्रतिशत छूट पर किसानों को मिलती और दूसरी कृषि विभाग में जो 50 प्रतिशत छूट पर मिलती है । किसान एक तरह का है वही किसान गन्ना बोता है और वही किसान गेहूं बोता है । तो एक में 25 प्रतिशत छूट पर मशीन मिले और एक में 50 प्रतिशत पर ।

मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि इन दोनों को एक कर दिया जाय, बराबर कर दिया जाय । आलू की बड़ी गोहार किया । आलू बोआई के समय आलू के बीज की कीमत 130 रुपया कुन्टल थी और आज आलू की कीमत 30 रुपया कुन्टल है । यह कौन सा किसान का हित है मैं नहीं समझ पाता हूं । आलू बोने के लिये 130 रुपया और बोने के बाद फसल की कीमत 30 रुपया मिले तो यह सरकार कैसे किसानों की हितैषी है । मान्यवर, गेहूं का मूल्य ए0 पी0 सी0 ने 142 रुपया निर्धारित किया है । पिछले साल 130 रुपया था । लेकिन पिछले साल से इस साल कास्ट प्रोडक्शन में 50 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हो गई है । खाद का दाम बढ़ गया, बिजली की दर बढ़ गई, सिंचाई की दर बढ़ गई । बीज के दाम बढ़ गये उसके बावजूद 142 रुपया ए0 पी0 सी0 ने खरीद–दारी का मूल्य रखा है । मैं माननीय मंत्री जी से मांग करता हूं कि कम से कम 175 रुपया प्रति कुन्टल गेहूं का खरीद मूल्य किया जाय । तब तो यह कहा जा सकता है कि आप किसानों के हित में सोचते हैं अन्यथा यह माना जायेगा कि आप टोटली फेल हैं । मान्यवर, मण्डी समिति को 1963 में ही पास कर दिया गया था । लेकिन आज तक न तो उसका चुनाव हुआ और न मण्डी स्थल के लिये सब जगह स्थान ग्रहण किया है । जो वसूली मण्डी समिति की की जाती है वह टैक्स सब घोटाले में है कोई हिसाब–किताब उसका नहीं है । जो लोग वसूली

करते हैं वह सब रख लेते हैं। इन बातों की तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। एक बात मैं और कहना चाहता हूं। ए0 डी0 ओ0 जो आज के बीस साल पहले कृषि विभाग में मर्ज किये गये लेकिन आज भी 64-66 ऐसे लोग हैं जिनकी सीनियरटी यह नहीं तय कर पाये। मैं 2-3 बात अपने जिले के बारे में कहना चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा कि पूर्वी जिलों में छोटे-छोटे बैलों को देखा और वह छोटे-छोटे बैलों से सन्तुष्ट नहीं हुये न जाने उन्होंने पूर्वांचल के साड़ को देखा या नहीं देखा।

मैं कहना चाहता हूं कि आप पूर्वांचल के छोटे बैलों पर अफसोस न करें। आज वहां की गरीबी और बेबसी पर आसूं बह रहे आखिर क्या कारण हैं। आजादी के इतने वर्षों के बाद भी आज पूर्वांचल का किसान गरीबी की रेखा से नीचे का जीवन जी रहा है। 85 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे है। आपने 30 वर्ष तक इस देश में शासन किया, अगर आपने पूर्वांचल की गरीबी को दूर करने के लिये ध्यान न दिया तो वहां के किसानों की स्थिति किसी दशा में सुधार नहीं सकते हैं। मैं मांग करता हूं कि सरकार बलिया में निश्चित रूप से वहां पर एग्रीकल्चर सेन्टर खोले, किसानों को नये ढंग से खेती करने के लिये शिक्षा दे और वहां पर विभाग खोले जो उनको सुझाव दें। मान्यवर, आज इस देश में हर चीज का मोटर, गया का भैंस का आदमी का सब का जीवन बीमा होता है। मैं मांग करता हूं जो किसान मेहनत करके खेती करता है और उसकी फसल पर कभी ओला पड़ता है कभी सूखा, वर्षा से और तरह-तरह से फसल नष्ट हो जाती है उसके लिये जीवन बीमा भी अन्य की तरह फसलों का भी बीमा कराने की घोषणा मंत्री जी करें जिससे किसानों का हित हो सके। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्रीमती महारानी दोहरे—

सम्मानित अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कृषि मंत्री जी के बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देती हूं और सहृदयता से माननीय कृषि मंत्री जी के बजट का समर्थन करती हूं और कटौती के बजट का विरोध करती हूं। मैं माननीय कृषि मंत्री को धन्यवाद देना चाहती हूं कि मंत्री जो कृषि से सम्बन्धित व्यक्ति हैं और जिनको कृषि से सम्बन्ति समस्याओं का पूर्ण रूपेण ज्ञान है। लेकिन एक निवेदन माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से करना चाहती हूं कि अगर हम कृषि का उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं और किसान की प्रगति करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हमें यह देखना होगा कि हमारी जनसंख्या बहुत अधिक है। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। जनसंख्या बृद्धि का प्रभाव सर्वप्रथम खेती पर पड़ता है। दूसरी बात यह है कि यदि हम खेती में खुशहाली देखना चाहते हैं तो हमको किसानों को अधिक सुविधा देनी होगी। इस बजट का सम्बन्ध केवल कृषि से ही नहीं है इसका सम्बन्ध सिंचाई विभाग और परिवहन विभाग से भी है। क्योंकि किसान के लिये तीन चीजों की सबसे बड़ी आवश्यकता होती है एक तो उसको समय पर बीज मिले और अच्छा बीज मिले। दूसरी चीज उसको खाद मिले और समय पर सिंचाई के लिये पानी मिले। अगर इन बातों पर सोचेंगे तो माननीय मंत्री जी आप किसान की बढ़ोत्तरी कर सकते हैं। जिस समय किसान खेत में

[श्रीमती महारानी दोहरे---]

दाना बोता है उस समय उसको अच्छा बीज बड़ी मुश्किल से उपलब्ध हो पाता है । अगर उपलब्ध होता है तो उस बीज की कीमत अधिक होती है । जब वह परिश्रम करके फसल तैयार करता है तो उस समय मंडी में अनाज के भाव गिर जाते हैं । लेकिन सरकार को जनहित में फैसला करना पड़ता है और किसान को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है । किसान की उपज का मूल्य, खाद, पानी, बीज आदि सभी चीजों की लागत के आधार पर देना चाहिये । तभी आप प्रदेश की जनता के सामने कह सकते हैं कि किसान को उचित मूल्य मिला है ।

मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहना चाहती हूं कि मेरा आगरा कमिश्नरी से बहुत गहरा सम्बन्ध है । एटा और मैनपुरी से मेरा खून का रिश्ता है । सबसे ज्यादा आलू फर्रुखाबाद में पैदा होता है । जो आंकड़े की किताब है उससे इस साल 48 लाख मीट्रिक टन आलू के उत्पादन होने की आशा है । 1983 की जो योजना है उसमें 49 लाख मीट्रिक टन पैदा होने की आशा है । हमारे पास 631 शीतगृह अब हो गये हैं । इन शीतगृहों की क्षमता केवल 17 लाख टन है । जैसा कि किताब से आंकड़े मिलते हैं 49 लाख मीट्रिक टन आलू के उत्पादन होने की आशा है । तो मैं निवेदन करुंगी कि यदि वास्तव में इन जिलों में आप किसानों को सही मूल्य दिलाने के लिये प्रयत्नशील हैं तो आप शीतगृहों की तरफ विशेष ध्यान दें । केवल शीतगृहों की बिल्डिंग बनाने से काम नहीं होगा, जब तक बिजली की व्यवस्था उचित रूप में नहीं होगी तब तक आलू को सुरक्षित ढंग से नहीं रखा जा सकता तब तक इन किसानों को सही रूप में लाभ नहीं पहुंच सकता । मैं इटावा जनपद से आयी हूं, जिसका आधे से ज्यादा भाग बीहड़ से सम्बन्ध रखता है, जिसे चम्बल के नाम से उत्तर प्रदेश में जाना जाता है । बेहड़ी ग्राम में योजना लागू की गयी है, माननीय प्रीतम सिंह जी उसका सर्वे करके आये हैं, मेरा उनसे वार्तालाप हुआ । मैं निवेदन करती हूं कि किसान को अगर हमें लाभ पहुंचाना है तो उस बीहड़ को देखिये जहां किसान को उसके परिवार को जो लाभ पहुंचाना चाहिये, उससे वह बंचित है । माननीय मंत्री जी से मांग करती हूं कि बीहड़ योजना के बजट को बढ़ाइए ताकि वहां के किसान लाभान्वित हो सकें ।

चम्बल की बटिया की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाती हूं, जहां कुंए 160 फिट की गहराई पर खुदे हुए हैं । वहां पर जानवर क्या इन्सान को भी पीने का पानी नहीं मिलता है । जानवरों में रोग पैदा होता है । मैं माननीय मंत्री जी से मांग करती हूं कि चम्बल पार, जहां 10 ग्राम सभायें जिस एरिया को कवर करती हैं, एक अस्पताल खुलवाने की व्यवस्था करें ताकि चम्बल में जानवरों की रोगों से सुरक्षा की जा सके ।

*श्री छत्तर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने श्री शंकर सिंह जी के द्वारा रक्खे गये कटौती के प्रस्ताव के लिये बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद देता हूं ।

कृषि का बजट मंत्री जी ने रक्खा, यह सोचा ही नहीं कि देश के किसान की क्या हालत हो गयी है । आप यह देखते हैं कि जो खेती में काम आने वाली वस्तुयें हैं, उनके दाम कितने बढ़े हैं और जो हम उनका मूल्य किसान को देते हैं, वह कितना कम मूल्य देते हैं । खेती में काम आने वाली चीजें--खाद, बिजली, पानी, डीजल, ट्रैक्टर सभी के दाम पिछले एक साल के पीरियेड में ही बढ़े हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जब जनता सरकार गयी थी, यूरिया का दाम 75 रु0 था, इन्दिरा गांधी की सरकार ने आते ही 50 रु0 प्रति कट्टा यूरिया का दाम बढ़ा दिया और 125 रु0 का कट्टा कर दिया । डीजल का दाम रु0 2·85 से रु0 3·23 तक कर दिया । किसान को खेतों में जो काम आने वाली वस्तुयें हैं, उनके मिलने की यह स्थिति है । आपकी जो चन्द्र शेखर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है कानपुर में, उनके कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं । उन्होंने निकाला है कि धान पर जो खर्च आता है, जो प्रोडक्शन कास्ट है, उन्होंने दर्शाया है कि वह 152·08 रु0 प्रति क्वि0 आती है, जबकि पिछले साल आपने 115 रु0 प्रति क्वि0 धान का मूल्य दिया । यूनिवर्सिटी के आंकड़े के अनुसार गेहूं की एक क्वि0 की लागत आती है 177·45 रु0, मगर इन्दिरा गांधी की सरकार ने पिछले साल किसानों को केवल 130 रु0 दिया, 47 रु0 प्रति क्वि0 किसान को नुकसान दिया गया, यह तो इनका किसान प्रेम है । इससे साफ मालूम हो जायगा कि यह किसान को खुशहाली देखना चाहते हैं या उसका खून चूसना चाहते हैं । आलू की स्थिति यह है कि आज आलू की 24 रु0 की बोरी है, जिसमें करीब 90 कि0 ग्रा0 आलू आता है, 18 रु0 20 रु0 की बोरी मिल जाती है जब कि आलू को उगाने के लिये किसान ने रात में पानी लगाया होगा, खाद डाली होगी, लेबर लगाया, उसको क्या मिला, किसान कैसे सोचे पैदावार बढ़ाने की ।

दूसरी बात मंत्री जी ने कहा कि नेफिड के माध्यम से आलू खरीद रहे हैं, उससे तो दलाल कमायी कर रहे हैं, दलाल पहले आलू खरीद लेता है फिर नेफिड को बेंच देता है । एक संस्थान अलीगढ़ में है । 14-5-75 तक इसके अपने अधिकार में रखा फिर 15-5-75 से इसको निगम में परिवर्तित कर दिया । केवल 5 साल के पीरियड में इसको एक करोड़ 16 लाख का नुकसान हुआ है । वहां के आफिसर, मैनेजर, अध्यक्ष को अगर लखनऊ आना है तो वे पहले दिल्ली जायेंगे फिर दिल्ली से लखनऊ हवाई जहाज से आयेंगे । इसी प्रकार अगर अलीगढ़ जाना है तो दिल्ली हवाई जहाज से फिर अलीगढ़ बाई कार जायेंगे । इस प्रदेश की जनता की गाढ़ी कमायी वे गुलछर्रों में उड़ा रहे हैं । 2 सौ काम करने वाले कर्मचारियों ने मांग की है कि इस संस्था को सरकार वापस ले ले फिर पहले की तरह ही फायदा होगा लेकिन निगम के अधिकारी यह नहीं चाहते हैं । प्रोटीन मान्यवर, तिलहनों से, दलहनों से हमें ज्यादा मिल पाती है । लेकिन कृषि विभाग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है । जो बड़ी कटोरी थाली में पहले रखी जाती थी उसका आकार आज इतना छोटा हो गया है कि आप समझ सकते हैं कि इसमें दाल है भी या नहीं । पशुपालन विभाग के कर्मचारी कागजों में फर्जी आंकड़े दिखा देते हैं कि इतने गांव में टीके लगाये । अगर आप किसी दूसरी एजेंसी से इसकी इन्क्वायरी करायें तो आपको पता लग जायेगा कि इतने टीके नहीं लगे और सारी दवा बाहर बाजार में बेंच दी जाती है । मत्स्य पालन, मंत्री जी बैठे हैं, मेरे शहर में इनकी एक नर्सरी है, पहले भी सवाल उठा था लेकिन उत्तर साफ नहीं आया था, सारे कस्बे का गन्दा पानी उसमें जाता है । ऐसी स्थिति मे क्या वहां नर्सरी चल सकती है, एक घास होती है, इस तरह से छाई रहती है कि एक इंच पानी नहीं दिखाई पड़ता और जो खाने बने हुए हैं मछली पालने के लिए, वहां हालत यह है कि, बिल्कुल साफ पड़े

[श्री छत्तर सिंह---]

हैं कर्मचारी बेकार को को तनख्वाह भर रहे हैं। हार्टी कल्चर के बारे में, प्रदेश को सबसे ज्यादा बागवानी का क्षेत्र बुलन्दशहर है। वहां आम और अमरूद इतना पैदा होता है कि हम कानपुर, आगरा को सप्लाई करते हैं मगर हार्टिकल्चर विभाग आम और अमरूद पर ध्यान ही नहीं देता है, वह जनता को सुविधा नहीं प्रदान करता है जो कि की जानी चाहिये।

श्री अधिष्ठाता---

अब आप का समय समाप्त हो गया।

श्री छत्तर सिंह---

बस एक मिनट और। मन्डी समिति के बारे में मान्यवर, हमारे यहां शाहनाह में एक इंस्पेक्टर गया और वहां पर उसने इन्सपेक्शन किया यह इन्सपेक्शन उसने दिसम्बर में किया। उसके पहले उस समिति की आमदनी 53 हजार रुपये थी और एक महीने के बाद जब इन्सपेक्शन हुआ तो पता चला कि उसकी आमदनी 1 लाख 63 हजार रुपये हो गयी। मान्यवर, एक महीने के अन्दर जहां पर पहिले 53 हजार थी और बाद में 1 लाख 63 हजार हो गयी। इस तरह से हर मन्डी समिति के अधिकारी भारी घोटाला कर रहे हैं, इसको दिखवाइये।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कृषि के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं। मान्यवर हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है जिसमे इस देश की 19 प्रतिशत पैदावार जो है यह हमारे प्रदेश में पैदा होती है।

मान्यवर, अभी हमारे साथी श्री विमल प्रसाद तिवारी ने आंकड़े देकर बताया था कि किस-किस चीज की पैदावार इस प्रदेश में सबसे ज्यादा है। इस प्रदेश के अन्दर खाद्यान्न की जो पैदावार होती है वह इस पूरे भारत वर्ष में सबसे ज्यादा है। मैं अपने माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि अभी उन्होंने हार्टिकल्चर के, जो कि एग्रीकल्चर ही में है, उस संस्था से सम्बन्धित जो फैक्ट्रियां थीं उनमें जो करोड़ों रुपये का नुकसान होता था, उस पर उन्होंने रोक लगा दी है यह बड़ा काम उन्होंने किया है। हमारे विपक्ष के सदस्यों को भी इस काम के लिये मन्त्री जी को बधाई देनी चाहिए कि किसी ईमानदार मन्त्री ने इतनी हिम्मत दिखाई और जो भ्रष्टाचार पल रहा था उस पर रोक लगायी।

हमारे माननीय मन्त्री जी स्वयं भी कृषक हैं वह जानते हैं कि कृषकों के हित के लिये क्या काम करने चाहिए। मान्यवर, इस सम्बन्ध में वे कुछ सचेत भी हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारी प्रधान मन्त्री ने जो उत्पादन वर्ष का नारा दिया है उसमें 260 लाख उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, वह जरूर पूरा होगा।

मान्यवर, पशुओं की नस्ल सुधारने के लिए अभी बहुत कुछ करना है।

श्री माता प्रसाद पांडेय--

माननीय, व्यवस्था का प्रश्न है कि जब बजट पर बहस हो रही है तो कैबिनेट रैंक का कोई मंत्री सदन में उपस्थित नहीं है ।

अनेक सदस्य--

एक मंत्री जो हैं तो बाकी सब पीछे लाबी में लन्च कर रहे हैं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

मंत्री को बडी तलब लगी है । एक सुरमा बैठा हुआ तो है[×××] ।

श्री अधिष्ठाता--

माननीय पांडेय जी, नियमावली में जो मंत्री की परिभाषा दी हुई है उसमें उप मंत्री, राज्य मंत्री या कैबिनेट मंत्री अलग-अलग नहीं है । इसमें सभी मंत्री समान हैं ।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल--

तो मान्यवर, हमारे प्रदेश में नस्लों के सुधारने में काम बहुत कम हो सका है । मान्यवर, राणा जी हंस रहे हैं, हम तो समझते हैं कि अभी तो उन्हीं की जरूरत है नस्ल को सुधारने के लिए । अभी हमारे मंत्री जी ने घोषणा की थी कि खाने के लिए मछली का उन्होंने कोई विशेष प्रजाति का उत्पादन किया है और उसे वे आटोमोबाइल वेन द्वारा सप्लाई कराने की व्यवस्था भी करा रहे हैं ।

मान्यबर, हमारे प्रदेश में फलों के उत्पादन में जिस किस्म का फल पैदा होता है, उसमें भी सुधार करने की आवश्यकता है और इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था होनी भी आवश्यक है कि वह जनसाधारण को सुगमता से उपलब्ध हो सके और हर वर्ग के लोग उससे लाभान्वित हो सके । मान्यवर, अभी हमारे प्रदेश में जो डाइरेक्ट्रेट हैं उनमें एक कृषि का और दूसरा उद्यान का है । इसमें मान्यवर, बहुत घोटाला है ।

कृषि विभाग में फिर भी काफी काम हुआ । देश के उत्पादन में काफी हिस्सा हमारे प्रदेश का है, लेकिन इसमें हमारे यहां के एक संयुक्त सचिव हैं, जो कृषि विभाग में थे, उसके बाद उनको आई० ए० एस० बनाया गया और उसी विभाग का इस्टेब्लिशमेन्ट देखने का काम दे दिया गया । उन्होंने अपना ग्रुप बना लिया, गुटबन्दी कर ली और जातिवाद के नाम पर वहां बडी अव्यवस्था फैल रही है । मान्यवर, मैं नहीं समझता कि उनके पास कौन से ऐसे साधन है, जिनसे वह सबको पटा लेते हैं । उनके पास कृषि विभाग और उद्यान विभाग की दो जीपें हैं और दो ड्राइवर हैं । मैं चाहता हूं कि इसको मंत्री जी देखें कि यह शासन के पैसे का

नोट--[×××] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री ओम प्रकाश जिंदल--]

इस तरह से दुरुपयोग क्यों किया जा रहा है और उनको 2 जीपें क्यों दी गई हैं ।

मान्यवर, द्वितीय श्रेणी के कर्मचारियों का उनको इस्टेब्लिशमेन्ट दिया गया है, जिससे वह कर्मचारियों को परेशान करते हैं, इसलिये मैं मन्त्री जी से मांग करता हूं कि उनको तुरन्त वहां से हटा लिया जाय और किसी अच्छे अधिकारी को इस्टेब्लिशमेन्ट दिया जाय । मान्यवर, इसी प्रकार वह पुरानी रंजिशों के आधार पर बदले भी ले रहे हैं । हर्टिको के अन्दर जो आलू की उपज होती है, वह उद्यान विभाग के अधिकारियों के अन्तर्गत आती है । विभाग के उच्च अधिकारी अपना आलू तो बीज के रूप में बेच देते हैं और सरकारी आलू विभाग में पड़ा सड़ता रहता है, लेकिन कागज में जो हिसाब होता है, उसको ऐसा फिट रखते हैं कि दूसरों को उसका पता नहीं चल पाता । मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि जो कृषि एवं उद्यान विभाग के बीज घोटाला है, उसकी किसी निष्पक्ष अधिकारी से जांच कराई जाय और जो अफसर दफ्तरों में बैठकर ऐय्याशी करते हैं और जातिवाद को बढ़ावा देते हैं, उन्हें तुरन्त हटाया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री ओम प्रकाश जिन्दल--

अन्त में मैं माननीय मन्त्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका तहे दिल से समर्थन करता हूं और माननीय शंकर सिंह से प्रार्थना करता हूं कि उन्होंने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसे वह वापस ले लें ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, जो मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया और जो विभिन्न मांगों के ऊपर शंकर सिंह ने कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसकी विभिन्न दरों के अनुसार मन्त्री जी को कुल 5 रु0 मिलेंगे अगर हमारा कटौती प्रस्ताव पास हो जायेगा । जिस हिसाब से सरकार काम कर रही है, सरकार को 5 रु0 से ज्यादा नहीं मिलना चाहिये । माननीय शंकर सिंह जब कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहे थे तो उधर कुछ पक्षी चहचहाने लगे थे, क्योंकि हम विपक्षी कहे जाते हैं ।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

किसी भी गिद्ध को देखकर छोटे पक्षी चिनचिनाने लगते हैं ।

श्री विद्यासागर नौटियाल--

अभी जब माननीय तिवारी जी बोल रहे थे तो उन्होंने आंकड़े तो विभाग के दिए, लेकिन बात हमारी बोल गये । आलू की बात कही गई । आज प्रदेश के अन्दर जो आलू पैदा हो रहा है, उस आलू के कृषकार की कमर टूट गई है । उसको अगर यह सरकार किसी तरह से सहायता दे सके तो बहुत बड़ी बात होगी, अभी डाक्टर शिवानन्द नौटियाल ने मन्त्री जी से एक प्रश्न किया था कि पहाड़ी क्षेत्रों में आलू की क्या स्थिति होगी तो मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि आप पहाड़ी क्षेत्र में आलू देखें, इसके प्रति मैं मंत्री जी को धन्यवाद अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि माननीय मन्त्री जी पहाड़ के अन्दर केवल आलू नहीं देखेंगे, अरबी

देखेंगे मिर्चा और अदरक को भी देखेंगे । मैं माननीय मन्त्री जी को दावत देता हूं कि एक बार वे पहाड़ पर आयें तो आपको मालूम होगा कि जौनसार भावर के काश्तकार जो इन चीजों को पैदा करते हैं, उनके पास कहीं 4 इंच भी जमीन नहीं है, जहां वे अपना माल लाकर रख सकें । क्योंकि पूरा चकराता कंटूनमेन्ट एरिया है । मजबूरी की हालत में अपना पूरा माल उनको सहारनपुर लाना पड़ता है । और एक बार जब काश्तकार अपना माल सहारनपुर ले कर चला आता है तो उसे अपना माल लूट के भाव बेचना पड़ता है । लिहाजा अगर सरकार यह चाहती है कि पहाड़ के अन्दर काश्तकार जिन्दा रहे तो बजाय इसके कि वहां के नाम पर, जौनसार भावर के नाम पर अफिसरों और तथा कथित समाजसेवी संस्थाओं को दान करें, आप सरकार पर जोर डालें कि वह चकराता को सिविल एरिया घोषित करे । मेरे जिले की बात है, वहां दो भेड़ प्रजनन केन्द्र मिलता और बामर में हैं । दोनों जगह अमेरिकन भेड़ें और रूसी भेड़ें हैं । लेकिन पिछले 15 वर्ष से वहां कोई भी ट्रेंड डाक्टर नहीं है और बगैर डाक्टर के ही वहां प्रजनन केन्द्र चल रहे हैं । वहां अगर प्रशिक्षित डाक्टर भेज दिए जायें तो बड़ी कृपा होगी । सरकार बार–बार कहती है कि गरीब वर्ग को ऊपर उठाया जायेगा । गरीब वर्ग को ऊपर उठाने के लिये मैं आपको यह सुझाव देना चाहता हूं कि पहाड़ के अन्दर एक–एक जिले के अन्दर इस तरह के बोर्डिंग फार्म खोले जहां सरकार बछड़े पैदा करके उसे काश्तकारों को दे दें ।

श्री अधिष्ठाता––

सरकार कहां से बछड़े पैदा करेगी ?

श्री विद्यासागर नौटियाल––

सरकार तो अपने बछड़े इधर–उधर देती ही रहती है । पंतनगर विश्व–विद्यालय ने रानीचौरी में पहाड़ों के लिये एक रिसर्च सेन्टर खोला है । पन्तनगर विश्वविद्यालय वहां बहुत अच्छा काम कर रहा है । लेकिन रानीचौरी में विश्वविद्यालय को अभी तक उस अनुसंधान केन्द्र के लिये आपके विभाग के द्वारा भूमि नहीं उपलब्ध हो पायी है । इसकी वजह से वहां रिसर्च करने वाले जो लोग रहते हैं, उनको बड़ी भारी दिक्कत होती है । इससे वहां रिसर्च का काम भी ठीक से नहीं चल पा रही है । अब मैं मत्स्य पालन के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं । जितनी पहाड़ी नदियां हैं, जितने तमाम पहाड़ी नाले हैं, वहां मत्स्य पालन का काम बहुत अच्छा शुरू किया जा सकता है । लेकिन हमारी सरकार इस ओर कतई ध्यान नहीं देती है । कृषि विश्वविद्यालय, फैजाबाद में 15, 15 सालों से लोग काम कर रहे हैं और जो दैनिक मजदूरों के रूप में काम कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज को बार–बार खतम कर दिया जाता है और उनको स्थायी नहीं किया जाता । शारदा सहायक ऐसी भूमि पर जिनका अधिग्रहण नहीं किया गया है, उस पर जबरदस्ती नालियां बनाई जा रही हैं, उनमें भी बालू लगा है और कच्ची ईंटें लगाई गई हैं । इन शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

*श्री लाल प्रताप सिंह––

अधिष्ठाता महोदय, मैं अपने पूर्व वक्ता माननीय सदस्य के भाषण को बड़े ध्यान पूर्वक सुन रहा था । उन्होंने बहुत सी अच्छी और रचनात्मक बातें कहीं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री लाल प्रताप सिंह--]

बहुत से तथ्य भी उन्होंने रखे, जिनमें बहुत से हम सहमत हैं जो कुछ तथ्य हमारे सामने आये हैं, उनको ध्यान में रखते हुये मैं कुछ अपने विचार आपके सामने रखता हूं। इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आलू का उत्पादन हमारे प्रान्त में बढ़ा है। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि आलू के उत्पादन में हमारा प्रान्त दूसरे नम्बर पर है और यह भी बताया कि पहाड़ों में भी आलू का उत्पादन बढ़ा है। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है। यह भी सुझाव माननीय सदस्यों की मारफत आया है कि यहां कोई औद्योगिक इकाई होनी चाहिये जिससे कि आलू की खपत हो सके।

मेरा ख्याल है कि मंत्री जी इस सुझाव पर गम्भीरता से विचार करेंगे। एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं और वह बड़ा गम्भीर विषय है। उसे हर गांव का निवासी समझता है और उससे प्रभावित भी हो रहा है कि यह श्यामल धरती, यह खूबसूरत जमीन आज बांझ होती जा रही है। इसका क्या कारण है, इसकी ओर ध्यान दें। जल भराव के कारण, जमीन कटाव के कारण, जमीन क्षरण के कारण ऐसी स्थिति पैदा होती जा रही है। आगे आने वाले दिनों में जो हमारी कृषि योग्य भूमि है, जिस पर खेती होती है, उसका अधिकांश भाग क्षय की दृष्टि उपस्थित करेगा और उससे उत्पादकता कम हो जायेगी। यही कारण नहीं है। यूनाइटेड नेशन्स स्टडी के मुताबिक दुनिया का एक बहुत बड़ा भूभाग उत्पादकता से समाप्त हो गया है, उसकी उत्पादकता समाप्त हो गई है। उसके मुताबिक इस वर्ष भारत वर्ष, पाकिस्तान, सीरिया, ईराक और मिश्र पूरी तरह से जल भराव की समस्या से प्रभावित है। यही नहीं, अन्धाधुन्ध पेड़ों के कटने से, वनों के काटने से चारागाह के साफ हो जाने से स्थिति गम्भीर होती जा रही है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस बात की तरफ बहुत ध्यान पूर्वक देखने की आवश्यकता है। इसका कारण नहरें भी हैं। इसकी तरफ आप देखें। बहुत बड़ी नहर परियोजनाओं को हमारे प्रदेश में न चला कर के जो मीडियम और माइनर इरीगेशन हैं, उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए और जो नहरें तब बन चुकी हैं, उनको मजबूत किया जाना चाहिये, पक्का किया जाना चाहिये, नालियां उन पर बनायी जानी चाहिये। तब स्थिति संभल सकती है। इस सम्बन्ध में मैं आपके सामने कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। कृषि का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाय, कैसे उसकी व्यवस्था की जाय। इसके अन्दर बहुत कुछ करने की जरूरत है, बहुत कुछ कहने की आवश्यकता है। कुछ सुझाव मैं मुख्तसर में कहना चाहता हूं। बहुत से विभाग एक दूसरे से सम्बन्ध हैं, ग्राम्य विकास विभाग है, नहर विभाग है, वन विभाग है, कोआपरेटिव है इन सब विभागों को मिला कर एक कोआर्डिनेटिंग कमेटी (समन्वय समिति) बना देनी चाहिए और उसे मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में या किसी सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर की अध्यक्षता में होना चाहिए अगर ऐसा नहीं होगा तो एक विभाग एक तरफ से खींचतान करेगा और दूसरा विभाग दूसरी तरफ से खींचतान करेगा कि जिससे कि एग्रीकल्चर और उसका प्रोडक्शन सफर करेगा।

दूसरा सुझाव मेरा यह है कि जिस जमीन को रीक्लेम किया जाना चाहिये, उसको रीक्लेम किया जाय और उसको कृषि योग्य बनाया जाय और तब अगर आप उस जमीन को हरिजनों या भूमिहीनों में तकसीम करें तो वह ज्यादा फायदेमन्द होगा। आप जमीन को रीक्लेम कराकर तब उसको बांटें तब उससे अच्छा अनाज पैदा हो सकता है।

बड़ी-बड़ी नहर परियोजना जो हैं उनको आप इस वक्त रोक दें और माइनर और मीडियम इरिगेशन पर ज्यादा ध्यान दें। उससे पोजीशन बेहतर होगी और हम समझते हैं कि वह चीज आगे बढ़ेगी।

दो, तीन और बातें कहूंगा। बहुत से कार्यकर्ता गांव पंचायत से सम्बन्धित हैं जैसे वी0 एल0 डब्लू0 हैं, लेखपाल पहले ही से रहता था, आजकल डक्टर भी घूमने लगे हैं। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि सबको हटा कर एक गांव का अधिकारी रहे। उसी को सारा काम आप सौप दीजिये। एक लेखपाल मुकर्रर कर दीजिए। वह दवा भी बाटेगा, डिमान्स्ट्रेशन भी करेगा। उसका एक हेडक्वटर कर दीजिए। ये तमाम वी0 एल0 डब्लू0, अधिकारी आप रखे हैं, इसका नतीजा यह हो रहा है कि नीचे से लेकर ऊपर तक ब्यूरोक्रेसी की इतनी लम्बी फौज बढ़ती जा रही है। यह चीज आपके सामने एक समस्या उपस्थित किये हुये हैं और इसका कोई प्रेक्टिकल लाभ जनता को नहीं मिल रहा है।

इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि उनके माध्यम से एग्रीकल्चर में तरक्की आगे दिनों में होगी।

*श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं शुक्र गुजार हूं कि आपने मुझे माननीय शंकर सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया।

मान्यवर, बहुत से साथियों ने बहुत कुछ कहा। मैं अपने जनपद की समस्यायें माननीय सदन के सामने रखना चाहता हूं।

मान्यवर, पिछली जो बाढ़ आई उससे किसान की हालत जब खराब हो गई तो इस सरकार ने नेशनल सीड कारपोरेशन के बीज सबसीडाइज्ड रेट पर दो रुपये पांच पैसे प्रति कुन्टल के हिसाब से बस्ती जनपद को आवंटित किये। श्रीमन् चार हजार कुन्तल बीज हमारे जनपद को आवंटित किया गया। और हालत यह हुई कि सारा का सारा बीज गोरखपुर और बिहार के जो प्राइवेट विक्रेता थे उठा ले गये क्योंकि उसी बीच में बलिया, आजमगढ़, देवरिया, बिहार के बार्डर में, सीड डिस्ट्रिब्यूशन नहीं हुआ। यह बीज सबसीडाइज्ड रेट पर दिया जा रहा था और यही बीज मारकेट में तीन, साढ़े तीन, चार रुपये के हिसाब से बिक रहा था। मेरी निश्चित जानकारी है। मैंने जिलाधिकारी, बस्ती को भी बताया था। नियम 301 में भी यह मामला उठाया। एक लाख रुपय का घोटाला इस गेहूं काण्ड में हुआ। श्रीमान् आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं। यह सारा बीज बस्ती जनपद में आया और सीड स्टोरों को दिया गया 20 कुन्तल, 40 कुन्तल, 50 कुन्तल। जब यह गेहूं नहीं उठा रहे थे तो प्राइवेट विक्रेता आये। इन्होंने बस्ती के प्रोजेक्ट आफिसर से बात की। भ्रष्टाचार के मसीहा वहां पर बैठे हैं सबसे ज्यादा हमारे गोरखपुर के डिप्टी डाइरेक्टर साहब शहजाद सिंह उनकी साजिश से विक्रेताओं से रेट तय किया गया साढ़े तीन रुपये का।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मालिक मुहम्मद कमाल युसुफ—]

बस्ती में एक अन्सारी साहब हैं एडीशनल डी0 ओ0 उन्होंने ट्रक नम्बर- मेरे पास ट्रक नम्बर भी है लिया सीड स्टोर के लिए। ो रुपये पांच पैसे के हिसाब से पेमेन्ट कराया और सीड स्टोर इन्चार्ज को लिफ्ट करने के लिए ट्रक दे दिया। फर्जी लोगों को दिख. कर खारिज कर दिया। इस तरह से 12 ट्रक मेरे जिले के गुप्ता बीज भंडार है वह उठा ले गये, और बिहार चला गया। सब से ताज्जुब की बात तो यह है कि डाइरेक्टर साहब ने कहा बस्ती में सरपल्स बीज पड़ा हुआ है। देवरिया. आजमगढ़ से रिप्रिजेन्टेटिव आये और एक हफ्ते बस्ती में मारे-मारे फिरते रहे, प्रोजेक्ट आफिसर के दफ्तर का चक्कर लगाते रहे और उनसे यह कह दिया कि मेरे जिले में सरपल्स बीज नहीं है। आप इसकी जांच करायेंगे। दो हजार कुन्तल से ज्यादा बीज सरपल्स वहां पड़ा हुआ था।

एक लाख रुपया उस बीज बिक्रेता ने अंसारी और प्रोजेक्ट आफिसर को दिया और सब बीज बिहार और बलिया के बार्डर पर चला गया। मेरे पास ट्रक नम्बर मौजूद है, सीड स्टोरों के नाम मौजूद हैं और कह दिया गया कि सीड नहीं है। हालत यह है जि आज भी सीड मौजूद है जिन सीड स्टोरों में रास्ते में पानी भरा था वहां पर सीड पड़ा है।

आपके यहां जो गबन हुआ है यह लाखों करोड़ों में है, सीड स्टोर इंचार्जों पर मुकदमे चल रहे हैं, आपके वकील वकालत नहीं करते हैं, मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने दूसरे वकील रखिये क्योंकि आप अभी तक जितने मुकदमे हैं उसमें ज्यादातर में हार जाते हैं और जो लोग गबन करते हैं वह जीत जाते हैं। तो इससे आखिरकार आपका कितना नुकसान हो रहा है। मेरे जिले के अन्दर फतेह बहादुर सिंह और रामदेव सिंह के सम्बन्ध में यहां सवाल आया था। 27-27 और 28-28 हजार रुपये गबन किये हैं यह 1979 में सस्पेंड किये गये थे लेकिन आपने उन्हें बहाल कर दिया और अब वह सीना फुला कर चल रहे हैं। इसी तरह शहजाद सिंह है जो हजारों का गबन किये हैं। अगर आप गबन का रुपया ही वसूल लें तो आपको यह जो बजट लाये हैं इसकी जरूरत नहीं होगी। आपके यहां जातपांत बड़े जोरो से चल रही है। भगवान सिंह पर 85 हजार का गबन है, शिव संपत सिंह पर 50 हजार का गबन है, ब्रह्मा सिंह पर 50 हजार का गबन है, बीरबहादुर सिंह पर 70 हजार का गबन है, राम देव सिंह पर 40 हजार का गबन है, फतेह बहादुर सिंह पर 50 हजार का गबन है, अनुग्रह नारायण सिंह पर 5 लाख का गबन है, ठाकुर प्रसाद सिंह पर 50 हजार का गबन है और यह लोग सीना फुला कर घूम रहे हैं।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

आपको सिंहों से क्या परेशानी है। सिंहों से देश चलता है।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ—

मुझे कोई परेशानी नहीं है आप छूट दे दीजिये। तो दूसरी तरफ जिन पर एक हजार दो हजार के गबन के आरोप हैं जैसे रामनरेश पांडे, श्रीपाल और बी0 बी0 लाल गुप्ता यह बरखास्त कर दिये गये हैं। माननीय रिजवी साहब यहां पर

बैठे हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं--

शहरे पुरनूर में जुल्मात का शिकवा न करो,
ताज को देखो यहां रात का शिकवा न करो,
धड़कनें दिल की मिला करती हैं पत्थर में यहां,
ऐसी बस्ती में किसी बात का शिकवा न करो।

मेरी मांग है कि इस शहजाद सिंह को जो आपके लिए कलंक हैं बहुत चाहते हैं तो डायरेक्टर ग्राइव रिटायर होने वाले हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठें।

श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ --

तो डायरेक्टर रिटायर होने वाले हैं उनकी जगह इनको रख दें।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे कृषि मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं इसका समर्थन करता हूं।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता--

कृपया शांति रखें।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

श्रीमन्, इससे पहले कि मैं इस विभाग के विषय में कुछ रचनात्मक और उपयोगी सुझाव प्रस्तुत करूं। उससे पहले मेरा यह फर्ज हो जाता है कि मैं इस प्रदेश के मुख्य मंत्री माननीय श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को आभार प्रकट करूं, उनको हृदय से धन्यवाद दूं कि उन्होंने एक ऐसे किसान के बेटे को इस कृषि का महकमा सौंपा है जो सही मायने में किसान का बेटा है और जिसने इस विभाग का भार लेने के बाद जो विकास और प्रगति के आवश्यक काम हो सकते थे, उनको कार्यान्वित किया है।

श्रीमन्, आज के हमारे जो कृषि मंत्री जी हैं, उनमें काम करने की तड़फ है लालसा है और उनका विगत इतिहास बताता है कि जिस विभाग में भी वह रहे, उन्होंने पूरी कर्मठता, ईमानदारी और लगन से उस विभाग को आगे बढ़ाया है और इस प्रदेश का सौभाग्य है कि आज कृषि मंत्री जी जैसे किसान के बेटे को इसका भार सौंपा गया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो कमियां हैं, तमाम कमियों के बावजूद, उनका निराकरण हो सकेगा और भ्रष्टाचार दूर हो सकेगा। मैं आभार मानता हूं अपने मंत्री जी का। मुझसे पूर्व सत्ता पक्ष

[डा० कृष्ण वीर सिंह कौशल—]

के मेरे साथी ने कहा है उद्यान विभाग में भ्रष्टाचार के बारे में और उन्होंने बधाई भी दी मंत्री जी को। मैं आभार मानता हूं सदस्य महोदय का कि उन्होंने मंत्री जी का एक ध्यान आकर्षित किया और मंत्री जी को बधाई दी। मैं भी बधाई देना चाहूंगा कि आगरा उद्यान के अधीक्षक, वर्तमान और भूतपूर्व अधीक्षक, जिनके खिलाफ लाखों रुपये के घोटाले का मामला था, एक रिटायर भी हो गये, लेकिन एक जो काम कर रहे थे, उनके सामने जब मामला लाया गया, तो निर्भीकतापूर्वक मंत्री जी ने उसपर कार्यवाही की। इस बात को मैं ज्यादा महत्व नहीं देता हूं, लेकिन मैं इस चीज को अवश्य-महत्वपूर्ण मानता हूं कि जब कुछ निहित स्वार्थी लोगों ने मंत्री जी पर अपना प्रभाव डाला-चाहे राजनीतिक प्रभाव या और कोई प्रभाव, मंत्री जी उससे झुके नहीं और उन्होंने उसमें अपने सच्चे कर्तव्य का पालन किया है। यह एक ईमानदार और निर्भीक मंत्री ही कर सकता है। जब कभी एक माननीय सदस्य ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये मंत्री जी को बधाई दी और वहीं दूसरी तरफ सचिवालय के एक अधिकारी की आलोचना की और भर्त्सना की क्योंकि वह उनके व्यक्तिगत और निहित स्वार्थों के आगे झुके नहीं। इस सदन की मान्यवर, कुछ परम्परायें हैं जो व्यक्ति इस माननीय सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके नाम लेकर उन पर आरोप नहीं लगाये जा सकते हैं, क्योंकि उनको अपने आरोपों की सफाई के लिए यहां मौका नहीं होता है। लेकिन यदि अधिकारी के खिलाफ आपके पास पक्के आरोप हैं, सबूत हैं, तो उनका कर्तव्य हो जाता है कि वह सदन में और मंत्री जी के सामने उनको प्रस्तुत करें और उस अधिकारी को बख्शना नहीं चाहिये और उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिये। लेकिन एक हल्के तरीके से सदन में उठा देना, मैं सदन की एक अच्छी परम्परा नहीं मानता हूं। इस सम्बन्ध में एक और हास्यास्पद स्थिति यह हुई कि उन्होंने उस अधिकारी पर यह आरोप लगाया कि यह अधिकारी उस जाति से सम्बन्ध रखता है, जिससे छविराम सम्बन्ध रखता है और इस अधिकारी ने इटावा, एटा तथा मैनपुरी के जिलाधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं कि छविराम को आप मारिये नहीं। इससे ज्यादा और हास्यास्पद बात क्या हो सकती है कि वह तीन जिला अधिकारियों को निर्देश दे रहा है कि आप डाकू को मारिये नहीं। अब तो छविराम मारा गया है तो अगर यह आरोप लगाये हों तो वापस ले लें विधायक जी।

अब मैं राजकीय दुग्धशाला, आगरा जो सार्वजनिक क्षेत्र में स्थित है, के बारे में कुछ जिक्र करना चाहता हूं। आज उसकी स्थिति यह है कि जिस आशय से, जिस उद्देश्य से उसकी स्थापना की गई थी, उनमें हमारे माननीय मंत्री जी विफल हो रहे हैं। आज हालत यह है कि जो सार्वजनिक क्षेत्र की दुग्धशाला है वहां पर सड़ा हुआ, और बदबूदार दूध मिलता है। उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी बहुत पीछे चली गई है।

यह जो दुग्धशाला विकास के सम्बन्ध में हमें पुस्तिका दी गई है इसमें जो आंकड़े दुग्धशाला द्वारा किए गए दुग्ध उपार्जन के दिए गए हैं उनसे स्पष्ट होता है कि वर्ष 1975-76 में यह 744 लीटर दैनिक औसत था, वर्ष 1978-79 में यह 6,515 और वर्ष 1981-82 में (नवम्बर तक) यह घटकर 2,924 लीटर हो गया और दुग्धशालाओं द्वारा की गई हैंडलिंग का जहां तक सम्बन्ध है वह वर्ष 1975-76 में 7956 लीटर दैनिक औसत था जबकि वर्ष 1981-82 में (नवम्बर, 1981 तक) यह 4020 रह गया,

(लाल बत्ती होने पर।)

श्री अधिष्ठाता--

आपको बोलते 7 मिनट हो चुके हैं । अब आप बैठ जायें ।

डा0 कृष्ण वीर सिंह कौशल--

जहां तक दुग्ध विक्रय की बात है वर्ष 1975-76 में 6899 लीटर दैनिक औसत था और वर्ष 1981-82 (नवम्बर, 1981 तक) में वह 317. 6 लीटर दैनिक औसत रहा ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी--

माननीय कृषि मंत्री जी बहुत समझदार व्यक्ति हैं किसी के राजनीतिक प्रभाव में आने वाले नहीं हैं ।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल--

यदि इस दुग्धशाला के स्तर को ऊंचा उठाना है और जनता को लाभ पहुंचा है तो किसी रिसीवर को ही पोस्ट कर दें ताकि वह वहां की जांच करे और जो वहां पर घपले हैं, उनको दूर कर सकें ।

इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसका मैं समर्थन करता हूं ।

*श्री जसवन्त सिंह विष्ट---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आज कृषि विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । हमारे माननीय मंत्री जी को कृषि और पशुपालन का अच्छा अनुभव है और वे स्वयं भी कृषि और पशुओं का का काम करते हैं ।

(हंसी)

मान्यवर, मैं भी एक कृषक हूं लेकिन अन्तर केवल इतना जरूर है कि वे फार्मर हैं और इनके पास बहुत लम्बे चौड़े खेत हैं और हमारे यहां पर लंगोटी जैसे खेत होते हैं लेकिन इन 34 वर्षों में जिस प्रकार से खेती का उत्पादन बढ़ना चाहिये और शोध का कार्य करना चाहिये था वह नहीं हुआ । गर्म घाटियों में आर-124 गेहूं होता है लेकिन अधिकांश भूमि असिंचित है, जिसमें किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ है । मैं आपके माध्यम से, माननीय अधिष्ठाता महोदय, कृषि के सम्बन्ध में 2-3 सुझाव देना चाहता हूं । पहली चीज तो यह है कि पर्वतीय अंचल में एक जिवली धान होता है उसका पौधा काफी ऊंचा होता और उसकी पैदावार भी काफी होती है, कम पानी में भी हो जाता है लेकिन झड़ने में सख्त होता है । एक बार मैं पंतनगर युनिवर्सिटी में गया तो इस बीज के बारे में पूछा कि क्या आप इसके पौधे को छोटा कर सकते हैं जिससे इसकी पैदावार और अच्छी हो जाये लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ है । इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्र

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जसवन्त सिंह बिष्ट---]

में खरीफ की फसलों में मत्वा और झुंगरा होता है । ये चीजें ऐसी हैं जिनकी पैदावार ज्यादा नहीं होती है और न उनसे लोगों को अधिक पैसा ही मिल पाता है । हमारे यहां पौध बढ़ाने का काम बिलकुल नहीं किया गया ।

हमारे यहां एक मुरलीमक्का होती है जिसका पौधा छोटा होता है और इसमें 10 बार भुट्टा आता है । इसके साइज को बड़ा करने पर अनुसंधान किये जाये । अगर यह बड़ा हो जाये तो उत्पादन बढ़ेगा और उससे किसानों का भी हित होगा ।

पर्वतीय प्रंचल में थानड़ लकड़ी का हल बनाया जाता है । इसी का हल बनता है पर अब सरकार ने उस पेड़ को काटने पर रोक लगा दी है जिसके कारण किसानों को बड़ी परेशानी होती है । लोहे का हल घाटियों पर तो चल जाता है, पर वह अधिक ऊंचाई पर नहीं चल पाता । वहां पर इसी लकड़ी का हल चल पाता है क्योंकि यह हलका होता है । इसलिए सरकार को चाहिये कि वह इस प्रतिबन्ध को समाप्त करे । किसानों को थानड़ लकड़ी हल के लिये मिलनी चाहिये ।

अब मैं पशुपालन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । हमारे यहां काफी गायें और बछिया हैं पर उनकी नस्ल अच्छी नहीं है । हमारे यहां अच्छे किस्म के सांड भेजने की व्यवस्था करनी चाहिये । कृत्रिम गर्भाधान के लिए जो सीमन भेजा जाता है वह भी अच्छा नहीं होता, उससे करीब 30 प्रतिशत से अधिक तो गाभन ही नहीं पातीं, वे बांझ रह जाती हैं । इसलिए इस ओर भी मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप कृपया बैठें, आपका समय समाप्त ।

श्री श्यामलाल बाजपेयी---

मान्यवर, माननीय सदस्य को कृत्रिम गर्भाधान के बारे में कुछ और जानकारी कर लेने दें ।

(हंसी)

श्री जसवन्त सिंह बिष्ट---

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राम सिंह (सहारनपुर)--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का समय दिया । मैं इस बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं । माननीय कृषि मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है वह निश्चय ही एक ऐसा बजट है जो प्रदेश की प्रगति के लिये, कृषि की प्रगति के लिये एक अच्छा बजट कहा जायेगा और इससे निश्चय ही कृषि में प्रगति होगी, उसका विकास होगा । माननीय शंकर सिंह जी ने अपना जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया और जो बातें कहीं उससे ऐसा लगता है कि उन्हें ही केवल किसानों का सारा दर्द हो, और हम लोगों को, जिन्होंने कि इतने क्रान्तिकारी परिवर्तन किये हैं, नहीं

है । आप अगर इतिहास के पन्ने उठाकर देखें तो पता चलेगा कि कांग्रेस सरकार ने ही सबसे पहले किसानों को मालकी अधिकार दिये । जमींदार जो किसानों का शोषण किया करते थे उसको समाप्त किया । जब आदमी समझता है कि वह जमीन का मालिक है, हि इज दि ओनर आफ दी लेंड, तो वह उसमें स्थायी उन्नति करने का प्रयास करता है ।

इफ यू गिव दि ओनर शिप आफ ए पीस आफ डिजर्ट टू ए फार्मर, ही बिल कन्वर्ट इट इन्टू ए शार्डन, एन्ड इफ यू गिव ए गार्डन आन लीज टू ए फार्मर ही बिल कन्वर्ट इट इन्टू एकडिजर्न ।

मान्यवर, अगर आप किसान को ओनरशिप के आधार पर डिजर्ट भी दे देंगे तो उसको वह परिवर्तित कर लेगा लेकिन किसान को अगर लीज पर जमीन देंगे तो वह उपजाऊ जमीन को ऊसर बना देगा । मान्यवर, जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट किसके द्वारा पास किया गया है । कांग्रेस सरकार के द्वारा पास किया गया । मान्यवर, कहा गया कि आज हमारे किसानों को अच्छे किस्म के बीज नहीं मिल पाते हैं । इस पर कोई अनुसंधान नहीं किया गया । मैं कहना चाहता हूं जो इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है कि हम पंजाब और दूसरी जगहों से अच्छे बीज लेते हैं । इस तरह का आरोप नहीं लगना चाहिये । हमारे वैज्ञानिक रात दिन तनमन और धन से इस प्रदेश की सेवा कर रहे हैं । पन्त नगर का बीज इस बात का द्योतक है उन्होंने इस प्रकार के बीज का अविष्कार किया है जिससे इस प्रदेश की उपज दुगुना और तीन गुना हो गई है ।

मैं स्वयं एक कास्तकार हूं और मान्यवर, आप स्वयं पश्चिमी जिले से आते हैं । हमारे यहां पहले 12 मन प्रति एकड़ अनाज पैदा होता था आज हमारे यहां इस प्रकार के अच्छे बीजों के कारण 42 और 45 मन पैद होता है । यह इस बात का द्योतक है कि हमारे यहां के किसानों ने उन्नति किया है । जहां यह सारा का सारा क्षेत्र सरकार को है वहीं हमारें जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने तनमन धन लगाकर इन बीजों का अविष्कार किया है उनका बहुत बड़ा हाथ है । मान्यवर, दलहन में हमारे उर्द नहीं पैदा होता था वटर लागिंग के कारण। आज हमारे वैज्ञानिकों ने इस प्रकार के बीज का अविष्कार किया है जिसको मार्च के प्रथम सप्ताह में बोकर जून के प्रथम सप्ताह में काटा जा रहा है । इस प्रकार तीन महीने में किसान उर्द की एक फसल पैदा कर रहा है । इस प्रकार हमारे किसानों के लिये वैज्ञानिकों ने दलहन के बीज का अविष्कार किया । श्रीमन् मछली पालन में किस प्रकार की प्रगति हुई है । पहले हमारे यहां 2 करोड़ का मछली का बीज उत्पादित होता था अब मछली का बीज 11 करोड़ का उत्पादन हो रहा है । जब से सरकार ने इसको वारफुटिंग पर लिया है कितनी प्रगति हमारे यहां मछली पालन में हुआ है । मान्यवर, हमारे यहां जो तमाम नदियां थी उसको एक कानून के तहत अब तक मछुहारों के बीच में जो बिचोलिया होते थे उनको दूर करके मछुआरों को मछली पालने का काम दिया गया है । जिससे 20 सूत्रीय कार्यक्रम की ओर हम अग्रसर हुये हैं । एक मैं यह कहना चाहता हूं हमारे क्षेत्र में एक घनौरी फार्म है वहां पर अनुसंधान होना चाहिये क्योंकि वहां की जलवायु मेरठ से भिन्न है ।

[श्री राम सिंह---]

वहां पर मूजी और मूंगफली की खेती है । वहां पर इस प्रकार की फसलों के लिये सभी साधन मुहैया होना चाहिये ।

श्री अधिष्ठाता---

मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वह 5 मिनट से अधिक न बोले क्योंकि अभी बहुत से माननीय सदस्यों को बोलना है । प्रत्येक माननीय सदस्य 5 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें ।

श्री विजय सिंह राना---

मान्यवर, आपने मुझे कृषि के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, माननीय कृषि मंत्री से लेकर सत्ता पक्ष के जितने सदस्यों ने भाषण किया उन्होंने कृषि से हटकर बात कही । किसी ने कृषि मंत्री की तारीफ किया लेकिन जितने भाषण हुये उनका कृषि से कोई सामंजस्य नहीं था । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूं जो पुस्तिका दी गई है उसमें जो आंकड़े दिये गये हैं उसमें 2 बातों का उल्लेख किया गया है । वह सरकार दो काम कर रही है । एक तो उन्नतिशील बीज देने का काम और दूसरा पैदावार का आंकड़ा देने का । माननीय अधिष्ठाता महोदय, पैदावार के आंकड़ों से इस सरकार का कोई सम्बन्ध नहीं है । अधिष्ठाता महोदय, इस प्रदेश का दुर्भाग्य यह है कि आज तक हम यह नहीं समझ पाये कि कौन सी जमीन से किस चीज को कितनी उपज ली जा सकती है ।

हमारे यहां स्वायल कंजरवेशन एक बहुत बड़ा डिपार्टमेन्ट खुला हुआ है । अगर मैं आप से आंकड़ा लेना चाहूं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि इस प्रदेश में कितनी जमीनें ऐसी हैं जिसमें गेहूं पैदा हो सकता है, कितनी जमीन ऐसी है, जिसमें आलू पैदा हो सकती है, कितनी जमीन ऐसी है, जिसमें मूंगफली पैदा हो सकती है और कितनी जमीन ऐसी है जिसमें फलदार वृक्ष लगाये जा सकते हैं । मैं समझता हूं कि आप यह सब बताने में अनभिज्ञ रहेंगे । फिर बतायें आप कि स्वायल कंजरवेशन डिपार्टमेन्ट खोलने का क्या लाभ रहा । विभाग का सबसे पहला और सबसे मुख्य काम यह है कि प्रदेश की चप्पा-चप्पा जमीन का सर्वेक्षण करके किसानों को यह बता दें कि इस जमीन में अमुक फसल पैदा हो सकती है और उसकी प्रगति के लिए सरकार किसानों को वैज्ञानिक और तकनीकी साधन उपलब्ध करा दे । तो सम्पूर्ण प्रदेश की प्रगति उभर कर सामने आ जायगी । इस प्रदेश में किसान मन चाहे ढंग से फसलें बो रहा है, पर मन चाहे ढंग से काट रहा है, उसे यह नहीं मालूम कि उसकी जमीन में कौन सी फसल पैदा करने की क्षमता है । यही कारण है कि प्रदेश की कृषि उन्नति में सरकार का सहयोग कारगर ढंग से नहीं हो पा रहा है । आपने पैदावार के आंकड़े दिया, पदावार के बढ़ने में या घटने में आपका कोई सहयोग नहीं है । पैदावार बढ़ती है या घटती है, तो प्रकृति की कृपा पर निर्भर है । प्रदेश का दुर्भाग्य है कि आजादी के 30 साल में कृषि की जो उत्पादन की प्रारम्भिक समस्यायें हैं, अति वृष्टि और अनावृष्टि, सूखा और बाढ़, हम उन पर भी कोई नियंत्रण नहीं कर पाये हैं, जब कि किसी भी प्रगतिशील प्रदेश के अन्दर यह समस्यायें कोई समस्यायें ही नहीं मानी जाती हैं । हम अभी तक कृषि उपयोग के प्राकृतिक संसाधन का भी सही ढंग से उपयोग नहीं कर पाये

हैं । सबसे ज्यादा नदियां इस प्रदेश के पास हैं, पर उनके पूरे पानी का उपयोग कृषि के लिए नहीं हो पाया है ।

आप अपने नजदीक गोमती नदी को जाकर देख लें, आज भी गर्मी के दिनों में इसमें गंगा और जमुना से ज्यादा पानी रहता है कि आप बांध बना कर कृषि के लिए इस पानी का उपयोग कर पाये हैं ? नहीं इसी प्रकार और छोटी-मोटी नदियां बहुत सी हैं जिनके पानी का उपयोग पूरी मात्रा में हम नहीं

[3 बज कर 27 मिनट]

कर पा रहे हैं और हजारों क्यूसेक पानी हर वर्ष व्यर्थ में समुद्र में गिर पड़ता है । आप तकनीकी आधार पर इन प्राकृतिक संसाधनों का कृषि उपयोग के लिये दोहन कर सीखें, तब कृषि की प्रगति सही दशा में हमारे सामने आयेगी । आगरा में ही देखें आप, सम्पूर्ण चम्बल नदी का डेल्टा और जमुना नदी का डेल्टा आज तक जंगली लकड़ियों और बबूल से पटा पड़ी है । आप यहां पर आज तक फलदार वृक्षों के बाग नही लगा सके । क्या यह सम्भव नहीं है कि सम्पूर्ण डेल्टा में अमरूद और आम के बागों से पाट दें ताकि वहां के किसानों को रोजगार मिले और डेल्टा का प्राकृतिक सौन्दर्य के रूप में विकास हो सके । इसके लिए आवश्यकता यह है कि आपका एग्रो विभाग आगरा में जूस बनाने का एक बड़ा कारखाना स्थापित करें । यहां बड़ी मात्रा में अभी भी अमरूद की खेती होती है, पर वह सब मिट्टी के मूल्य बाजार में बिकती है । एग्रो कम्पनी ने अमरूद का अच्छा जूस निकाला है । यदि कारखाना आगरा में खोला जाय, तो आगरे में पैदा होने वाले सम्पूर्ण अमरूद का उपयोग किया जा सकता है और वहां पर नेबू तथी अमरूद के बाग वृहद् मात्रा में लगाये जा सकते हैं । मेरे क्षेत्र में स्वामी बाग से ले कर मऊ, गैरान, ककरेठा, अरतौनी और सनकता तक की सम्पूर्ण जमीन में यदि नेबू और अमरूद के बाग लगा दिये जायं तो इस क्षेत्र के किसानों को आप कल्याण की दिशा दे सकेंगे । यहां अभी तक कोई खेती की स्थिति नहीं है, सम्पूर्ण जमीनों में बिलायती बबूल खड़े हैं । मेरा निवेदन है कि इस सम्पूर्ण जमीनों में आम, अमरूद और नेबू के बाग लगायें ताकि इस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी हो सके और साथ ही प्राकृतिक सुन्दरता का भी रमणीय स्तर बन सके ।

पशुपालन के सन्दर्भ में भी मैं एक बात कहना चाहता हूं । आगरा में एक पंजाबी टोला है, जिसमें 63 गायें हैं और कोई गाय 43 किलो से कम दूध नहीं देती । मैंने डेरी के मालिकों के आंकड़े लिये, तो उन्होंने बताया कि गाय पर एक बियात में करीब 8 हजार रुपया का मुनाफा होता है । डेरी का यह सबसे बड़ा प्राप्य है । मैं चाहता हूं, आप डेरी का इसी रूप में विकास करें । पर दुर्भाग्य यह है कि आप सड़ी सड़ाई भैंसे तथा मरी मराई बकरियों तथा सड़ी-सड़ाई गायों के माध्यम से प्रदेश में पशुपालन चला रहे हैं । कारण यह है कि आपके पास प्रदेश को आगे ले जाने की कोई दिशा नहीं है । मैं चाहता हूं कि आप प्रदेश के विकास के लिए दिशा ग्रहण करें और उसके बाद प्रदेश की प्रगति को सामने लायें । कृषि के सम्बन्ध में केवल आप दो काम करते हैं । उन्नतिशील बीज प्रोवाइड कर और पैदावार के आंकड़े इकट्ठा कर पैदावार के आंकड़ों के सम्बन्ध

[श्री विजय सिंह राना—]

में मैंने पहले ही बता दिया कि इसमें न तो कोई आपका सहयोग है और न कोई आपका क्षेत्र, प्रकृति की कृपा पर ही यहां प्रदेश की कृषि पैदावार निर्भर करती है, जलवायु अच्छी हो गयी, मौसम अच्छा हो गया, अतिवृष्टि, अनावृष्टि और बाढ़ और सूखा आदि की समस्यायें प्रदेश के सामने नहीं आई, तो पैदावार अच्छी हो जाती है और इनमें से किसी प्रकार का भी प्रकोप छा गया तो पैदावार नीचे गिर जाती है । इस लिये प्रदेश की पैदावार में आप आंकड़ों से आत्म सन्तोष न करें । मैं आंकड़ों के हिसाब से भी आप से सन्तोष कर लूंगा, बशर्ते आप यह बता सके कि इस प्रदेश में प्रति एकड़ पैदावार क्या रही और दूसरे प्रदेशों की तुलना में, कहां है ? आपने कुल पैदावार के आंकड़े दिये है और इस हिसाब से इस प्रदेश का, देश की स्थिति में नम्बर बताया है, किन्तु यह जनता को भ्रमित करने का माध्यम है । इस देश में सबसे ज्यादा पैदावार के संसाधन इसी प्रदेश के पास है और इतनी बड़ी तादाद में जमीन होने पर और इतने ज्यादा प्राकृतिक संसाधन होने पर भी फिर भी यह प्रदेश अगर इस देश की अन्य प्रदेशों से पैदावार में आगे नहीं बढ़ सका, तो हम इस प्रदेश को और प्रदेश की जनता का दुर्भाग्य ही कहूंगा ।

*श्री नक्काली सिंह—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझको बोलने के लिये समय दिया इसके लिये मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं । आपने 5 मिनट का समय दिया है तो मैं इतने समय में गेहूं की बात कहूं या भैंस का दर्द मैं इतने समय में नहीं बता पाऊंगा । मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत किय गये बजट का समर्थन करता हूं । आपने जो मुझको थोड़ा समय दिया है उतने समय में मैं कुछ मुख्य मुद्दों पर प्रकाश डालना चाहूंगा । मान्यवर, मैं उसे जनपद से आता हूं जहां पर हरियाली ही हरियाली होती है और जहां के कृषि उत्पादन से पूरा देश प्रभावित होता है । उत्तर प्रदेश का कृषि उत्पादन पूरे देश का चौथाई है और यह उत्पादन निश्चित रूप से देश की जरूरतों पर प्रभाव डालता है । तेजी मंदी पर प्रभाव डालता है डिमान्ड और सप्लाई पर प्रभाव डालता है ।

मान्यवर, यह स्पष्ट है कि जब जब भी किसान को उसके उत्पादन का लाभकारी मूल्य दिया गया है तो किसान ने इतना पैदा कर दिया है कि देश में उस चीज की कमी नहीं रही है । 1977 में किसान को गन्ने का उचित मूल्य मिला था और 1979-80 में चीनी 10 रुपये किलो खरीदनी पड़ी थी । यही हाल 1978 में गेहूं का हुआ था जब सरकार ने 112 रुपये गेहूं का भाव देकर भी गेहूं खरीद नहीं पायी थी । मान्यवर, मेरा विचार है कि अगर सरकार प्रदेश या देश में कृषि उत्पादन में जिस चीज की जरूरत है अगर उसका लाभकारी मूल्य किसान के लिये पहले से घोषणा कर दें तो मेरा दावा है कि पूरा प्रदेश न सही लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही उस चीज में देश का संतुलन बिगड़ने नहीं देगा मान्यवर, मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हुं कि मंडी समितियां आपने इतनी कम बनायी हैं कि किसान को अपने उत्पादन की चीजों को बेचने के लिए बड़ी कठिनाई होती है । हमारे यहां मुजफ्फरनगर में 5 मंडियों में 2 बन पायी हैं । वह दोनों भी गैर आबाद पड़ी हुयी हैं । इतना रुपया लगाने के बाद भी मंडियों का उपयोग नहीं हो पा रहा है और शेड़स खाली पड़े हुये हैं । मेरा अनुरोध है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कि हमारे जनपद में कम से कम मंडी समितियों में इतना रुपया पड़ा है कि आप उससे हमारे जनपद के विकास कार्यों को कर सकते हैं और हमारी बाकी तीन मंडियां भी बनवा सकते हैं ।

मैं चाहूंगा कि जो मन्डी सम्मतियां खाली पड़ी हैं तो आप दूकानदारों को मंडी स्थल में जाने का आदेश दें । जिससे आपके विभाग का जो रुपया लगा है वह कुछ प्रदेश के काम आ सके । मान्यवर, दूसरा सुझाव मेरा एडल्ट्रेशन के बारे में है । वैसे आपका विभाग खाद कम सप्लाई करता है लेकिन कम से कम अगर आप अपने विभाग द्वारा उतनी ही खाद सप्लाई करा दें तो किसान की आवश्यकता की पूर्ति हो सकती है और किसान को दर-दर न भटकना पड़ेगा । उस खाद पर आपके विभाग का इतना नियन्त्रण होना चाहिये कि उसमें मिलावट का नाम न हो । लेकिन मान्यवर, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जितनी खाद अब जनपद या प्रदेश में पहुंच रही है, उसमें हर जगह यह शिकायत की गयी कि खाद में मिलावट है । मैं सराहना करूंगा अपने अधिकारियों की कि पचीस लाख की बेकार खाद पकड़ी है, जो किसान के दुर्भाग्य की साथी है । मैं चाहूंगा कि इस ओर आप ध्यान दें कि किसान को खाद तकावी के रूप में भी मिले ।

जो यह पशुधन का बजट है इसे देख कर निराशा हो रही है । मैं समझता था कि आप गांव के रहने वाले हैं पशुपालन का शौक आपको भी है लेकिन मात्र 14 करोड़ से किस बैल को आप दवा सुंघा पायेंगे, किस बकरी को दवा दे पायेंगे या किस गाय को दवा दे देंगे । मैं माननीय मन्त्री जी से ऐसी आशा नहीं करता था कि यह इतना छोटा सा बजट रखेंगे, जब कि 40 करोड़ से कम पशु इस प्रदेश में नहीं होंगे । मेरा इतना निवेदन है कि आपको सरकार से इसके लिए अनुरोध करना चाहिए। भले ही सप्लीमेन्टरी बजट लाना पड़े । अस्पतालों की हालत यह है कि डाक्टर नहीं हैं, डाक्टर हैं तो अस्पताल नहीं हैं अस्पताल हैं तो दवा नहीं है ।

*श्री फखरे आलम--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन कर सकूं । वक्त इतना कम है कि बहुत सी बातें नहीं कह सकूंगा, मैं उन मुद्दों को उठाना चाहूंगा, जिनके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं हो सकी है ।

सबसे पहले मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान उस ऊसर जमीन की तरफ दिलाना चाहता हूं जो लगभग 15 लाख हैक्टेयर उत्तर प्रदेश में पड़ी हुई है । मैं समझता था कि माननीय मन्त्री जी जो बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और किसान के हितैषी हैं उनकी तरफ से इसके बारे में कोई ऐसी बात कही जायगी जो पुख्ता हो लेकिन कोई बात नहीं कही गयी, जिससे यह अन्दाजा लग सके कि इस ऊसर जमीन को कैसे कारआमद बनाया जा सकता है । हरियाणा और पंजाब के किसानों ने दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन हमारे किसान को फायदा नहीं मिल पा रहा है । हमारे किसान को जानकारी नहीं है कि कैसे ऊसर जमीन को कारआमद बनाया जा सकता है ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री फखरे आलम--]

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम जो आपने बनाया है, जिसका मतलब यह है कि उस जमाने में जब गांव में काम कम हो तो रोजगार चाहने वालों को दूसरे रोजगार के मौके दिए जायं, सही तरीके से उसका कार्यान्वयन नहीं हो रहा है । आपकी यह योजना नाकामयाब हो गयी है । यह योजना सफल हो सके, ऐसी मन्त्री जी व्यवस्था कर और इसका मतलब पूरी तरह से हासिल हो सके । योजना में 200 लाख रु0 81-82 म दिया गया, अब 300 लाख रु0 का प्रोवीजन किया है । यह जो प्रोवीजन किया है, वह किस तरीके से इस्तेमाल होगा और क्या उसमें इन्तजाम होगा, इसके लिये आपने कुछ बातें नहीं बताई । मैं यह समझता था कि इसके लिए जरूरी है कि इस योजना को कामयाब बनाने के लिए आप इसका अलग एक डिपार्टमेन्ट बना लीजिए, जो केवल इसको डील करे और इसके लिए खासतौर से जिलाधिकारियों को हिदायत दे दें कि इसको सफल बनाने के लिए वह पूरी तरह से मदद दें ।

दूसरी एक बात मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आपके जो कोल्ड स्टोरेज हैं, उनकी हालत बहुत खराब है, इसीलिए मैं माननीय मंत्री जी आपका ध्यान उनकी तरफ ले जाना चाहता हूं । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोल्डस्टोरेज की बहुत बड़ी समस्या है । आलू की पैदावार बहुत ज्यादा होती है । बदायूं में मैं समझता हूं कि आलू की पैदावार में वह पहिले नम्बर पर पहुंच गया है । आप मंत्री वहां के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, आप मंत्री होने के पहिले भी वहां की हालत से वाकिफ थे कि बदायूं के कोल्ड स्टोरेज वाले किस तरह से किसानों को परेशान करते हैं और उनसे प्रति क्विन्टल आलू के आठ-आठ रुपये पेशगी ले लेते हैं और उस रुपये की कोई रसीद भी नहीं देते हैं । आप मंत्री जी इसकी सी0 बी0 आई0 या सी0 आई0 डी0 के जरिये से जांच कराइये तो आपको पता चलेगा कि हार्टिकल्चर वाले किस तरह से रुपया बटोरते हैं । जांच में वह देखेंगे कि किस तरह से किसानों का शोषण हो रहा है ।

मैं मंत्री जी का ध्यान एक तरफ और ले जाना चाहता हूं और वह है मछली पालना । उत्तर प्रदेश में इसकी रफ्तार बहुत हल्की चल रही है । पहिले मछली पालने का काम भटियार, मल्लाह, निषाद और कहार जाति के लोग किया करते थे, लेकिन अब यह उद्योग सम्पन्न लोगों को दे दिया गया है । यह काम उन लोगों के हाथ चला गया है जो कि न इसको करना जानते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कि इस रोजगार को कैसे करें । इसलिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि मछली पालन को आप उन्हीं कहार, निषाद तथा मल्लाह आदि के हाथों में रहने दीजिए, जिससे कि वे अपना रोजगार कर सकें और अपने बच्चों का पेट पाल सकें ।

इसके अलावा मन्डी समितियों में कोई न्यूट्रेशन न कीजिये वहां आप देखिये कि आपका भूमि संरक्षण अधिकारी जो है, आत्मा राम, जिसके खिलाफ बहुत बड़े-बड़े चार्जेज लिख दिये गये हैं, परन्तु आज तक उसके खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया गया है ।

श्री अधिष्ठाता--

आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, एक बात और कह कर समाप्त कर रहा हूं। मैं माननीय मंत्री जी से एक बात और कहना चाहता हूं कि पशुपालन विभाग का डाइरेक्टर कोई काम नहीं कर रहा है। पशु पालन विभाग बिलकुल महरूम हो गया है। वह डी0 आई0 ओ0 का कोई काम नहीं है। आप उनके खिलाफ ऐक्शन लीजिये और उनको चुस्त कीजिये और चाक-चौबस्त कीजिये। इसके साथ ही मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं और श्री शंकर सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री पन्ने लाल--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के विरोध में बोलने का अवसर दिया है। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय मन्त्री जी इस प्रदेश का भला कृषि विभाग से ही हुआ है। मैं आपका ध्यान इस बीससूत्री कार्यक्रम की ओर ले जाना चाहता हूं जिसके अन्तर्गत हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस वर्ष का उत्पादन वर्ष घोषित किया है। कृषि की उन्नति के लिये सिंचाई के साधन अच्छे होने की जरूरत है। तिलहन और दलहन की पैदावार एवं भूमि सुधार का निर्णय लिया गया है और इसके सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी ने अपने सुझाव भी पेश किये हैं।

चूंकि कृषि विभाग से सम्बन्धित ही पशुपालन विभाग है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। माननीय मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है, जो कि स्वयं बहुत कुशल और तजुर्बेकार किसान हैं, इसलिये कृषि के सम्बन्ध में उन्होंने इसमें बड़ी अच्छी-अच्छी बातें रखी हैं। मैं आपका ध्यान कुछ सुझावों की ओर ले जाना चाहता हूं। कृषि के सुधार के लिए जब देखा गया कि तमाम सिंचाई के साधनों के बावजूद कठिनाई हो रही है तो मित्र सेल का गठन किया गया, जिसमें समय-समय निर्णय होंगे कि क्या-क्या कठिनाइयां हैं। इस विभाग में लगे हुए तमाम (कृषक), लगभग 50 प्रतिशत उनमें से भूमिहीन हैं, जिनका एक मात्र काम मजदूरी करना है।

अतः निवेदन करूंगा कि जिस तरह से कृषि की उन्नति के लिए योजनाएं बना रहे हैं, उसी तरह से उन 50 प्रतिशत गरीबों के लिए भी योजनाएं बनावें। मत्स्य का काम करने वाले जो मछवे हैं, उनका एक मात्र काम मछली मारना है। आपने यह कहा कि नदी, तालाबों को उनको पट्टा दिया जायेगा, लेकिन देखने में आ रहा है कि वहां के जो सवर्ण, सबल, लोग हैं, उनके पट्टे तो उनके नाम से नहीं होते, लेकिन लाभ वही उठा रहे हैं। इसलिए ऐसी योजना बनावें ताकि उन की स्थिति में सुधार हो सके। मैं जिस क्षेत्र से चुन कर आता हूं, वहां 35 प्रतिशत लोग मछवे हैं, जिनकी स्थिति बड़ी दयनीय है। नदियां हैं, पोखरे हैं, लेकिन उनको उनका लाभ नहीं मिल रहा है। गोरखपुर के डेरी फार्म की हालत बड़ी चिन्तनीय है, उसका सुधार करें ताकि गोरखपुर, देवरिया, बस्ती तमाम जनपदों को उसका लाभ मिल सके। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि मन्त्री जी बड़े निर्भीक, अच्छे हैं, राजेन्द्र सिंह परियोजना अधिकारी (कृषि) गोरखपुर के सम्बन्ध

[श्री पन्नेलाल—]

में एक शिकायत आयी थी, ढ़ाई लाख का घोटाला का मामला था, मन्त्री जी ने आदेश दिये कि उनको हटा कर जांच करायेंगे । इसी प्रकार जो भी मामले आयें, उनमें इस तरह का निर्णय लेते हैं, इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*श्री बदन सिंह—

माननीय शंकर जी सिंह ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मेरे जिले के उधर बैठने वाले 2 लोगों ने धन्यवाद दिया, किसी को हटाने के लिए और किसी को रखने के लिए । लेकिन मैं खेती के विषय में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । पूरा देश जानता है कि 80 फासदी व्यक्ति गांवों में रहता है और 76 फीसदी खेती करता है । मंत्री जी मेरी तरफ ध्यान दें, मैं उम्मीद करता हूं कि प्राइमरी विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों के कार्यक्रम में खेती अवश्य रख देंगे ताकि शुरू से ही बच्चों का खेती की शिक्षा चालू हो जाये । जो इस विभाग की किताब है, दिग्दर्शन, कुछ फसलें ऐसी हैं जो हमारे प्रदेश से धीरे-धीरे नष्ट होती जाती है ।

मान्यवर, आपने गहूं के आंकड़े यहां पर दिये उसमें आपको कोई श्रेय नहीं है कि आपने गेहूं की बढ़ोत्तरी की है । एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं कि जो गेहूं लम्बा निकलता है उसके लिए किसी भी कृषक को उसे गिरने से रोकने के लिए कोई सुविधा नहीं मिलती है और जो गेहूं छोटा निकलता है उसे गिरने से बचाया जा सकता है लेकिन उसमें भूसा कम निकलता है जिससे चारे की समस्या पैदा होती है । मान्यवर, मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि चने की खेती इस प्रदेश म धीरे-धीरे नष्ट होती जा रही है । चने का जो लक्ष्य है वह किसी भी तरह से पूरा नहीं हो पा रहा है । चने में जो रोग लगता है उससे बचाने के लिए न तो कोई दवाई खोज सके और न ही उसको बचा सके उसका नतीजा यह है कि चने की फसल नष्ट होती हुई चली जा रही है इसी तरह से दाल की फसल की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । दाल की फसल रबी और खरीफ दोनों में होती है जैसे अरहर, मसूर और मटर । इसका जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है वह लक्ष्य अभी भी पूरा नहीं हो रहा है और इन फसलों की उत्तर प्रदेश से समाप्ति होती चली जा रही है । दालें न मिलने के कारण सब्जी के भाव बढ़ते जा रहे हैं । इसके साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि जो चीजें हमारे प्रदेश में पैदा नहीं होतीं जैसे तिलहन हमारे प्रदेश में पैदा नहीं होता । कपास और जूट के आंकड़े बहुत ही गिरे हुए हैं तो मान्यवर, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि जो फसलें नष्ट होती जा रही हैं और जो बड़ी जरूरी फसलें हैं उनकी तरफ आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है । अब मैं आपका ध्यान कृषि की रक्षा की तरफ से जाना चाहता हूं उसमें इतना घोटाला हो रहा है कि किसानों को उचित कीमतों पर दवाइयां प्राप्त नहीं हो रही हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

आपका समय समाप्त हुआ । आप बैठें । 5 मिनट सबके लिए हैं ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री बदन सिंह—

माननीय, दो मिनट और दे दीजिए ।

श्री अधिष्ठाता--

नहीं दो मिनट नहीं मिलेंगे ।

श्री बदन सिंह--

यह प्लान्ट प्रोडक्शन विभाग भ्रष्टाचार का अड्डा बना हुआ है और इसकी कीमती दवाइयां ब्लैक में बिक रही हैं । इसी तरह से एक बात पशुपालन विभाग के बारे में कहना चाहता हूं । पशुपालन विभाग की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है । जहां पर पशुओं की संख्या है वहां पर भी दूध का उत्पादन नहीं हो रहा है उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है । अतः मैं कहना चाहता हूं कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय ।

श्री अधिष्ठाता--

अब आप बैठें ।

श्री बदन सिंह--

इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री शंकर सिंह द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री बृद्धि नारायण सिंह—

माननीय अधिष्ठाता जी, हमारे कृषि मंत्री ने जो अनुदान का प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में कुछ कहना चाहता हूं और चाहता हूं कि इसे माननीय सदन स्वीकृति प्रदान करे । मान्यवर, अभी हमारे विपक्ष के भाई बोल रहे थे उससे ऐसा लग रहा था कि कृषि के जगत में सरकार ने कोई कार्य ही नहीं किया है । जो कुछ भी हुआ है वह प्रकृति की वजह से हो गया है तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि आज इस देश में जिसे कि विदेशों के अनाज पर निर्भर रहना पड़ता था, उसे इस सरकार ने कृषि के मामले में आत्मनिर्भर किया । आज इतना विकास हो रहा है जिससे इस देश का कोई व्यक्ति इनकार नहीं कर सकता । खासकर किसान तो बिल्कुल भी इन्कार नहीं कर सकता । जहां तक कृषि मंत्री का सवाल है, आप सब जानते हैं कि वह बहुत योग्य और स्वयं बहुत ज्ञानी हैं कृषि के मामले में । और मैं देख रहा हूं कि जब से वे आये हैं उन्होंने कृषि के कार्यक्रमों में रुचि लेकर उनके उत्थान के लिये कई योजनायें बना रखी हैं और मैं समझता हूं कि उनसे कृषि का उत्थान अवश्य होगा ।

अब मैं आपका ध्यान पशुपालन की तरफ ले जाना चाहता हूं । माननीय मंत्री जी ने पशुपालन और उनके उत्पादन के लिये कई जगह केन्द्र खोल रहे हैं लेकिन वास्तव में मेरा ऐसा मत है कि पशुपालन का जो बजट होना चाहिये था, उसके विकास के लिये जो साधन होने चाहिये थे, डाक्टर व अस्पताल, वह बहुत

[श्री वृद्धि नारायण सिंह---]

कम है । कोई गांव ऐसा नहीं है जिसमें हजारों हजार की संख्या में पशु न हों लेकिन 20-20 गांवों के बीच में शायद एक पशु अस्पताल होगा । तो पशुपालन विभाग के बजट को बढ़ा कर हर अदालती पंचायत में पशु प्रजजन केन्द्र की स्थापना करें और तीन-तीन पंचायतों के अन्दर एक पशु अस्पताल खोले जायं । जो अधिक दूध देने वाली गाय, भैंसें हैं उनको पालने के लिये पशुपालन विभाग ग्रामवासियों को उत्साहित करे जिससे वहां अधिक दूध देने वाली नसलें बढ़ सकें जिससे गांव में अधिक दूध का उत्पादन बढ़े जिससे स्वास्थ्य का भी लाभ हो और वे गरीब मजदूर जो खेती करने वाले नहीं हैं, जिनके पास कृषि के लिये भूमि नहीं है, उनको भी लाभ हो ।

इन शब्दों के साथ में माननीय मंत्रीं जी का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जिस क्षेत्र से मैं आया हूं, ज्ञानपुर व भदोही में कालीन का बहुत भारी व्यवसाय है । इस व्यवसाय में एक अरब रुपये की कालीनें निर्यात होती हैं । उनमें 20 करोड़ रुपये के ऊन की खपत है । हमारे प्रदेश में 20 करोड़ रुपये के ऊन की खपत है लेकिन उनके उत्पादन के लिये सरकार की तरफ से को खास प्रयास नहीं है जिससे दूसरे प्रदेश जो हमारे प्रदेश को ऊन दे रहे हैं, अगर यही स्थिति रही तो किसी दिन यह उद्योग हमारे प्रदेश से समाप्त हो सकता है । इससे हमारे प्रदेश को विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है और खास कर उसमें लगे हुए 5 लाख मजदूर व अन्य लोगों को जो लाभ होता है उससे वे वंचित हो जायेंगे । इसलिये मेरा सुझाव है कि सरकार अपने स्तर पर अधिक से अधिक भेड़ पालन केन्द्र की स्थापना करें जिससे हमारे प्रदेश में अधिक से अधिक ऊन का उत्पादन हो सके ।

इसके साथ ही हमारे रामनगर में एक डेरी फार्म है जिससे लगभग डेढ़ लाख लीटर दूध प्रति दिन सप्लाई करने की योजना थी लेकिन आज उसका एक चौथाई अंश दूध भी नहीं प्राप्त हो रहा है । तो मैं चाहता हूं कि इसके विकास की तरफ ध्यान दें ताकि दूध का उत्पादन बढ़ सके । इन शब्दों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करता हूं ।

श्री रियासत हुसैन---

श्रीमन्, दो मिनट मैं माननीय मंत्री जी को सिर्फ दो सुझाव देना चाहता हूं । एक तो यह कि इस वक्त जब कि नेशनलाइज्ड बैंक, शेड्यूल्ड बैंक, लैंड डेवलपमेन्ट बैंक ने लोन देना शुरू किया है, खासतौर से वह किसान जिसके पास 8-10 एकड़ जमीन है ट्रैक्टर लेना चाहता है । तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि साधारण ट्रैक्टर तो लोगों को मिल ही जाता है लेकिन मैसी फर्गुसन पर केन्द्रीय सरकार ने कंट्रोल लगा रखा है, तो सरकार की तरफ से यह प्रयास किया जाय कि केन्द्रीय सरकार मैसी फार्गुसन ट्रैक्टर पर से कंट्रोल हटा ले ताकि किसानों को अच्छे ट्रैक्टर्स मिल सके ।

दूसरी बात यह कि जो फलदार बागात हैं, चाहे आम के हों, चाहे अमरूद के हों चाहे और किसी फल के हों, उनके बारे में रिसर्च किया जाय जिससे कि हर साल फसल आवे । पेड़ के चारों तरफ मेड़ बना कर इस बात का रिसर्च किया जाय कि क्या कारण है कि जब एक साल फसल आती है और एक साल फसल नहीं आती है । इस पर अनुसंधान करने की जरूरत है । साथ ही

प्लांट प्रोटेक्शन के बारे में मुझे यह कहना है कि फलदार पेड़ चाहे आम का हो, अमरूद का हो, चाहे पपीता का हो, इसकी रक्षा के लिये सरकार अपनी जिम्मेदारी ले ले। इसके लिये सरकार चाहे तो प्लांट प्रोटेक्शन लेवी लगा दे लेकिन इन फलदार पेड़ों में जो कीड़े आदि लग जाते हैं उनसे प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी, अपने ऊपर ले ले और वही उसकी देखभाल करें।

श्रीमती बेनी बाई--

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने इस कृषि के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया।

माननीय मंत्री जी ने जो कृषि बजट प्रस्तुत किया है इसके समर्थन में मैं खड़ी हुई हूं। मान्यवर, हमारा देश और प्रदेश कृषि है कृषि प्रधान देश है। इस की 85 प्रतिशत जनता गांव में रहती है जिसका मुख्य उद्यम कृषि के लिए खाद, बीज और अनाज, पानी वगैरह टाइम पर दे दें तो स्वयं बुन्देलखंड अकेले उत्तर प्रदेश को खाना दे सकता है। लेकिन जहां तक खाद का सवाल है, खाद में डी० ए० पी०, यूरिया, एन० पी० के०, इनकी लगभग दो सौ रुपये की एक बोरी मिलती है और किसान को अनाज का दाम 110, 115 रुपये मिलता है। खाद का दाम इतना ऊंचा है। इसकी वजह से हमारे बुन्देलखंड में ही नहीं सारे उत्तर प्रदेश के लोगों ने गेहूं कम बोया है और मसूर, मटर, चना ज्यादा बोया है क्योंकि इसकी कीमत अच्छी मिलती है तीन सौ, साढ़े तीन सौ तक जाता है। मैं आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगी कि खाद का भाव कम होना चाहिए। जिससे कि यहां का किसान गेहूं की फसल को बोने से न ऊब क्योंकि उत्पादन से कुछ मिलता ही नहीं।

इसके साथ-साथ मैं यह भी कहूंगी कि आपके जो बीज हैं वे बीज समय के बाद किसानों को मिलते हैं जिससे कि टाइम पर वे उन्हें बो नहीं पाते हैं। उनकी कीमत 300 रुपये क्विन्टल होती है जिसकी वजह से बड़ा काश्तकार तो ले लेता है लेकिन जो छोटा काश्त करने वाला किसान है वह नहीं ले पाता है। ज्यादा सीड स्टोर में बीज रह जाता है जिसे बाजार में ले जा कर बेच दिया जाता है। इसलिए मैं चाहूंगी कि यह जो पंत नगर की नई वैराइटी बीज की है यह समय से पहले किसानों को मिल जानी चाहिए।

मान्यवर, इसी प्रकार से छोटे किसानों ने साक-भाजी, कटहल, पपीता इत्यादि उगायी है जिस की वजह से उन को अच्छी उपलब्धि हो जाती है। भूमि संरक्षण के अन्तर्गत चकबन्दी के टाइम में तमाम जो चक रोड बनायी गयी उसमें लोगों के चक कट गये, बंधी काट दी गई। किसानों के फसल को नुकसान हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि भूमि संरक्षण के अन्तर्गत उनकी बंधी बनाई जाय और जितने उन की गूलों को काटा गया है वह कार्य भी कराया जाय।

[श्रीमती बेनी बाई--]

इसी प्रकार हमीरपुर, महोबा और ललितपुर जिले में पान की फसल होती थी। दो-तीन साल से किसानों ने यह फसल करनी बन्द कर दी क्योंकि उससे लाभ कम हुआ और लागत ज्यादा लग गई। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि इस फसल के लिए लोगों को अनुदान दे कर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे कि वे यह काम न छोड़े।

झांसी में बरुआसागर नगरपालिका के आस-पास के गांवों में आलू, अरुई, अदरक बहुत पैदा होता है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगी कि वहां शीतालय की व्यवस्था करने की कृपा करें। आलू अक्तूबर, नवम्बर में बोया जाता है और फरवरी, मार्च में खोदा जाता है। चार-पांच महीने घर में डाल देने से वह सड़ सकता है। वहां हजारों मन आलू, अदरक, अरुई पैदा होता है। इसके लिए शीतालय की व्यवस्था जरूरी है।

पशुपालन के अन्तर्गत हमारे प्रदेश में एक-एक ब्लाक में एक चिकित्सालय बना हुआ है। एक ब्लाक में 82 गांव सभायें होती हैं। पशु चिकित्सा के कार्य हेतु डाक्टर वहां आसानी से नहीं पहुंच पाते हैं। पशु बीमार हो जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगी कि दो न्याय पंचायतों के बीच में एक-एक कम से कम पशु चिकित्सालय जरूर होना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

धन्यवाद।

श्री धनीराम वर्मा--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय शंकर सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। साथ ही में कृषि, पशुपालन तथा मत्स्य विभाग से सम्बन्धित कुछ सुझाव रखना चाहूंगा। मान्यवर, हमारे प्रदेश का मुख्य धन्धा कृषि है। प्रदेश की 86 प्रतिशत जनता जो देहातों में रहती है उसके 84 प्रतिशत आदमी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर आधारित हैं। परन्तु कृषि की ओर इस कांग्रेस सरकार ने आजतक कोई तवज्जह नहीं दी है जिससे प्रदेश की जनता खुशहाल हो सके और यह प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है उसके, खुशहाल होने से सारा देश खुशहाल हो सकता था, वह नहीं हो सका। मान्यवर कृषि एक ऐसा मुख्य धन्धा हमारे प्रदेश का है जिससे हमारे बजट का करीब 55 प्रतिशत आय प्राप्त होती है, कृषि से प्राप्त होती है और उस पर हम साढ़े-चार-पांच प्रतिशत ही खर्च कर रहे हैं। यदि यही हालत रही तो मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि यह स्थिति होगी जैसे कि एक दुधारू गाय से केवल दूध निकालने का काम किया गया और उसको कुछ खिलाया-पिलाया न जाय जिसके फलस्वरूप वह दूध देना बन्द कर देगा। वैसे ही आपके बजट को आधे से अधिक आमदनी इस विभाग से होती है लेकिन आप कुछ तवज्जह इस तरफ नहीं दे रहे हैं जिससे प्रदेश गरीबी की ओर बढ़ता चला जा रहा है। प्रदेश और देश में आधी से अधिक जनसंख्या गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन निर्वाह कर रही है। खाद की कीमत, डीजल की कीमत, कृषि में प्रयोग होने वाले यन्त्रों की कीमत दुगुनी और तिगुनी हो गई है। गेहूं में 15 रुपय क्विन्टल और धान में 10 रुपये क्विन्टल की लूट हो रही है। किसान को उसके धान का मूल्य 95 रुपये

दिया जाता है और उसकी परवी काटी जाती है 5ये 11 रुप । इस तरह से सारा मुनाफा पूंजीपतियों की जेब में जा रहा है । किसान को कोई फायदा नहीं मिलता है ।

मान्यवर, एक सुझाव और रखना चाहता हूं । गेहूं की कीमत उत्पादन लागत को दृष्टि में रखते हुये 175 रुपया कर दिया जाय जिससे किसान प्रोत्साहित होकर गेहूं का उत्पादन अधिक करे और आज जो विदेशों से गेहूं का आयात किया जाता है वह न करना पड़े । इस तरह से विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है और किसानों को भी लाभ पहुंच सकता है ।

जहां तक तिलहन और दलहन का सवाल है, इनके मामले में हमारा प्रदेश और देश पिछड़ा हुआ है । इसकी उपज को बढ़ाने के लिये जायद की फसल को बढ़ाया जा सकता है लेकिन उसके लिये यहा पर उचित मात्रा में सिचाई की व्यवस्था नहीं है । पशुपालन भी हमारे यहां बड़ी दीन-हीन दशा में है । इस ओर भी समुचित ध्यान सरकार को देना चाहिए । इसी तरह से मत्स्य पालन में जो पैसा सरकार खर्च कर रही है उसका भी कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है । इस सम्बन्ध में जो जीपें विभाग को आबंटित की गई हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है । इन शब्दों के साथ में माननीय शंकर सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव का जोरदार शब्दों में समर्थन करता हूं ।

*श्री सुन्दर सिंह--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कृषि बजट पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं आपका आभारी हूं । मान्यवर, कृषि मंत्रालय की बजट की मांगों को जो कि माननीय मंत्री महोदय द्वारा पेश की गई हैं, जिन्होंने कृषि के विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का बेड़ा उठाया है, उन्होंने बहुत ही संतुलित बजट पेश किया है, इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। जहां तक कृषि से सम्बन्धित योजनायें हैं हमारा प्रदेश पूरे देश के अन्दर बहुत कुछ आगे बढ़ रहा है और यह कहने को आवश्यकता नहीं है कि कृषि विकास की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है । इस ओर विशेष ध्यान सरकार ने दिया है और इसी कारण हमारा उत्पादन बढ़ा है । हम सन् 70 के पहले हम अमेरिका से गेहूं मंगाते थे लेकिन आज हम आत्मनिर्भर हो गये हैं । टेक्नोलौजी और पेट्रोलियम में हम अभी तक आत्म-निर्भर नहीं हुये हैं किन्तु कृषि के मामले में हम आत्म-निर्भर हो गये हैं ।

मान्यवर, इस बजट के अन्दर विशेष धन्यवाद के पात्र हमारे मत्स्य विभाग के मंत्री हैं जो उसी से सम्बन्धित हैं उन्होंन एक बड़ी क्रांतिकारी योजना मत्स्य विभाग के लिए प्रस्तुत की है । आज से तीन वर्ष पहले जब जनता पार्टी का शासनकाल था केवल मत्स्य विभाग के लिए 50 लाख रु0 का प्राविधान था आज वह बढ़ कर 3 करोड़ हो गया है । इसके साथ-साथ मत्स्य से सम्बन्धित जो लोग थे उनका सदियों से शोषण हो रहा था उन गरीब मछुवारों के आर्थिक उत्थान के लिए कोई ध्यान अभी तक नहीं दिया गया था आज हमारे

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री सुन्दर सिंह---]

माननीय मंत्री जो उसी समुदाय से सम्बन्धित हैं वह और उनका मंत्रालय धन्यवाद का पात्र है कि उन्होंने मच्छुवारों की सुविधा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की और एक अभूतपूर्व योजना उनके लिए चलाई गयी है । आज उत्तर प्रदेश में लगभग 50 मत्स्य विकास केन्द्र स्थापित किये गये हैं । अब मच्छुवारे अपने पट्टे बंधक रख सकते हैं और सीधे ऋण प्राप्त कर सकते हैं अब किसी का शोषण नहीं होने पायेगा ।

मुझे कृषि के सम्बन्ध में एक बात याद आती है । हमारा देश कृषि प्रधान देश है । तो जब हम कृषि की बात करते हैं तो सीधे किसान से बात करते हैं, गांव में रहने वाले किसान से बात करते हैं । यह कहने की आवश्यकता नहीं है कि आज जितना हमारा उत्पादन बढ़ा है उससे जितना लाभ किसान को मिलना चाहिये था वह वास्तव में नहीं मिल पाया है । हमारा उत्पादन बढ़ा है लेकिन उसकी तुलना में उसके दाम नहीं बढ़े हैं । मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कृषि उपज के मूल्य अच्छे दिये जायं और कृषि में प्रयोग आने वाले उर्वरकों के मूल्य गिराये जांय । कृषि में हमारा जनपद बहुत उपेक्षित है वहां पर कोई कोल्ड स्टोर नहीं है । वहां दो कृषि फार्म हैं एक आलू का और दूसरा धान और जूट का घाघराघाट में तथा बालापुर में । गिरजापुरी में एक साढ़े सात हजार एकड़ का कृषि फार्म है लेकिन वहां पर कोई शीतगृह नहीं है जिसमें किसान आलू रख सके और उसे उनका लाभ मिल सके और वह आलू को वहां रख कर रोक सकें ।

अधिष्ठाता---

अब आप समाप्त करें ।

श्री सुन्दर सिंह---

मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से और शासन से मांग करता हूं कि हमारे जिले में शीतगृह की व्यवस्था की जाय । इसी के साथ मैं इस क्रांतिकारी बजट का समर्थन करता हूं और माननीय मन्त्री जी को बधाई देता हूं ।

*श्री मशरूर जाफरी---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे कृषि बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं । मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और दो तीन सुझाव देना चाहता हूं । पशुपालन विभाग के बारे में देखा जा रहा है कि दो ढाई हजार पशु अस्पताल में जाते हैं जब कि पशुओं की संख्या बहुत ज्यादा है और बीमारी भी बहुत ज्यादा फैल रही है । माननीय मन्त्री जी कम से कम इस विभाग की तरफ ध्यान दें । दूसरी बात यह है कि जो खाद की कीमत है वह बहुत बढ़ गई है जिससे किसानों का मनोबल गिर रहा है और खेती से ध्यान हट रहा है आपको इस तरफ थोड़ी नजरसानी करनी होगी । पानी के दाम भी दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं । तो किसानों को जो पानी दें वह कम से कम यह सोच कर दें कि उनकी उपज की लागत ठीक मिल सके ।

मैं अब मंडी समितियों की बात करता हूं । आप हमारे जनपद में जा कर देख आयें वहां दो-दो मंडी समितियां हैं लाखों रुपया उनका जमा है लेकिन मंडी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

समितियां किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही हैं। कम से कम जानवरों के लिए टिन शेड मंडी समितियों में बना दें।

सब से बड़ी चीज कोल्ड स्टोरेज की है, जिला गोंडा में कोई सहकारी कोल्ड स्टोर नहीं है जो भी कोल्ड स्टोर हैं वह राजा महाराजाओं के हैं। जब वह किसान की जरूरत देखते हैं तो दुगुने और चौगुने दाम उनसे ले लेते हैं। अतः हर मुख्यालय म एक कोल्ड स्टोर बनाया जाय।

तीसरी बात हमारा इलाका चारों तरफ से नदियों से घिरा है राप्ती और मनोरमा हर वर्ष 1/3 भाग को पानी में डुबा देती है और जो भाग बच जाता है उसमें भी समय पर खाद और बीज न मिलने से पैदावार बढ़ नहीं पाती है और जब बाजार में सामान ले जाते हैं तो उसके दाम कम मिलते हैं। किसानों की उपज घर आती है तो बाजार में उसकी कीमत गिर जाती है। आलू और प्याज की हमारे यहां अच्छी पैदावार है। यदि आप आलू व प्याज की कीमतों में थोड़ी वृद्धि कर दें तो किसान लोग अपनी उपज का अच्छा पैसा हासिल कर सकते हैं, जैसा कि महाराष्ट्र की सरकार अपने प्याज उत्पादकों को अच्छा मूल्य दे रही है और दिला रही है। अब मैं आपको फसल के बारे में निवेदन करना चाहता हूं, इसकी फसल का अपना एक तरीका है, एक साल अच्छी फसल आती है तो दूसरे साल वह गायब हो जाती है। उसमें बीमारियां भी प्रायः ज्यादा लगती हैं, लेकिन उसके रोगों को रोकथाम के लिए जो दवाएं आती हैं, वे कृषि अधिकारी और खण्ड विकास अधिकारी के दाएं बाएं ही साफ हो जाती हैं। जहां तक बीज की बात है, जो कमाल साहब ने कहा है वही हमारी भी शिकायत है। हमारे यहां भी सारा बीज व्यापारियों के साथ बाजार में बेचा गया है भारी मुनाफा लेकर, भारी भ्रष्टाचार करके और उसकी बिक्री किसानों से नाम दिखाई गई है। इसके साथ मैं आपसे मांग करता हूं कि आप हमारे जिले में कोल्ड स्टोरेज का इंतजाम अवश्य कर दें। इसके अलावा वहां पर हजारों एकड़ जमीन कुत्तों बिल्लयों के नाम पर दी हुई है, उस जमीन को यदि भूमिहीनों में बांट दिया जाय तो हजारों भूमिहीनों को रोजी के लिए जमीन मिल जायगी और उससे उत्पादन भी अधिक बढ़ जायेगा। ऐसे भूमि चोरों को सरकार जानती है, लेकिन चूंकि वह शासक दल के लोग हैं इसलिए वह उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर रही है।

श्री शेर बहादुर--

माननीय अध्यक्षा महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने कृषि मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत कृषि अनुदान बजट पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया है। मान्यवर, यह भारत वर्ष देश कृषि प्रधान देश है और इसमें 80 से 85-86 प्रतिशत तक जनता गांवों में रहती है और खेती करती है। इस देश के उत्थान के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि किसानों का मनोबल बढ़ाया जाय और उनको नये-नये तौर तरीकों से अवगत कराया जाय। अभी हमारे एक पूर्ववक्ता ने कहा कि आजादी के 30-35 वर्षों में हम यह नहीं जान पाए हैं कि यहां खेती के उन्नत तरीके अपनाए गए और कैसे नये-नये उपकरण यहां पैदा हुए। उनको उस समय की याद आनी चाहिये, जब एक रुपये का 25/30 सेर गेहूं बिकता था और 5 से 10 परसेंट आदमी हीं उसको खाते थे और अब यद्यपि

[श्री शेर बहादुर--]

गेहूं इतना महंगा ह 95 प्रतिशत जनता उसको खाती है । यह इस देश की बढ़ती हुई आबादी इस बात पर सोचने के लिए विवश करती है कि यहां गहन और गहरी खेती की जाए । अब की वर्ष को हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी ने उत्पादन वर्ष घोषित किया है और तदनुसार ही हमारे कृषि मंत्री जी ने एक क्रान्तिकारी बजट यहां पेश किया है । इस बजट से उत्पादन बढ़ेगा और उसमें तरक्की होकर रहेगी ।

मैं अपने नेता विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की इस परख की दाद देता हूं कि उन्होंने एक असली किसान के बेटे को कृषि मंत्री बनाया है और मछुवारों के दिल के दर्द को पहचानने वाले आदमी को उन्होंने मत्स्य मंत्री बनाया है और जिन्होंने एक क्रान्तिकारी परिवर्तन इस प्रदेश में करने का पूरा प्रयास किया है, जिससे मछुवारों में नये जीवन का संचार होगा और उनका आर्थिक और सामाजिक विकास होगा । मैं इसके साथ आपके सामने एक सुझाव पेश करना चाहता हूं, हमारे यहां जो प्लान्ट प्रोटेक्शन वाले हैं, यह किसानों को किसी भी रोग का पता तब देते हैं जब उनकी आधी फसल बर्बाद हो जाती है । मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इन विभाग वालों को निर्देश दें कि वह क्षेत्र का दौरा करते रहा करें और जानकारी करते रहें कि फसलों का कौन सा रोग आने वाला है और कौन सा आ रहा है । उनको शुरुआत में इस बात की जानकारी नहीं हो पाती है कि उनकी फसल में कौन सा रोग लग रहा है । इस समय आम की फसल में एक रोग लग जाता है जिसकी आज तक दवाई नहीं निकल पायी है कि कैसे उनकी आम की फसल को बचाया जाय । मन्त्री जी से प्रार्थना है कि वे किसानों को समय-समय पर दवाइयां दिलाते रहे और उनके द्वारा जो उत्पादित सामान है उसकी उचित मूल्य पर खरीददारी होती रहे । मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस क्षेत्र के लोग यह निश्चय कर चुके हैं कि वे अपना क्रान्तिकारी कदम उठावेंगे ।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय कृषि मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

(श्री शंकर सिंह का नाम पुकारे जाने पर कई सदस्य खड़े होकर एक साथ बोलने लगे)

एक सदस्य--

मान्यवर, हमारे जिले का कोई आदमी नहीं बोला है ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, आपके माध्यम से मैं माननीय मन्त्री जी से एक चीज चाहता हूं जो बहुत ही जरूरी है ।

एक सदस्य--

मान्यवर, आप मुझे भी मौका दे दें ?

श्री अखिलेश--

आप तो कृषि पंडित हैं, आप कृपया बैठ जाएं ?

(व्यवधान)

श्री गोपीनाथ वर्मा--

चूंकि आपने मुझे बोलने का अवसर नहीं दिया इसलिए मैं सदन का त्याग करता हूं ।

(गोपीनाथ वर्मा सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मैं विपक्ष और सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों का बड़ा आभारी हूं कि जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया ।

श्री अधिष्ठाता--

अभी एक माननीय सदस्य सदन का बहिष्कार करके चले गये जिसका कोई औचित्य नहीं था । यह संसदीय परम्परा के अनुकूल भी नहीं है और जो बातें कह रहे थे, यह बिल्कुल अनुचित है । इसकी मैं कड़े शब्दों में निन्दा करता हूं । यह अच्छी बात नहीं है कि हर बात में वे सदन का त्याग करें ।

श्री बिहारी लाल--

श्रीमन्, पर्वतीय क्षेत्र से कोई माननीय सदस्य नहीं बोले हैं, आपने किसी को मौका नहीं दिया है ? आप नेगी जी को मौका देने की कृपा करें ?

श्री अधिष्ठाता--

पर्वतीय क्षेत्र से बिष्ट जी बोले और नौटियाल जी भी ।

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, मैंने माननीय सदस्यों के सुझावों को बड़ी गौर से सुना और मैं इसी नतीजे पर आया हूं कि इस पक्ष के माननीय सदस्य हों या उस पक्ष के उन्होंने अधिकतर जो आलोचनायें की और जो सुझाव दिये, उन्होंने मेरे द्वारा कहीं गई बातों का समर्थन किया ।

श्री राम गोविन्द--

मान्यवर, अभी उधर से एक माननीय सदस्य ने कहा कि हमारे मुख्य मंत्री किसान हैं । मेरा यह औचित्य का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई औचित्य का प्रश्न नहीं है, आप बैठें ।

श्री राम गोविन्द--

आप यह पता लगा लें कि वे राजा हैं या किसान हैं ?

श्री अधिष्ठाता--

आप कृपया बठें ?

श्री शंकर सिंह--

मान्यवर, कुछ शंकायें उधर से व्यक्त की गयी और मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपनी बात समझने में असमर्थ रहा हूं, कहीं कोई कमी रह गयी हो जिसकी वजह से उधर के माननीय सदस्यों में कुछ भ्रम और शंकायें हो गयी हों। अब मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं जिनसे उसका भ्रम दूर हो जायेगा जिन्होंने यह कहा कि प्रदेश में कृषि के उत्पादन में बहुत ही उन्नति हुयी है। इसके साथ ही उन्होंने देश की भी तारीफ की है। उसके लिए मैं थोड़े से आंकड़े देना चाहता हूं ताकि सही स्थित सामने आ सके। मान्यवर, युनाइटेड स्टेट्स में कपास 10,759 एकड़ में होती है। भारत में 18000 एकड़ में। चायना, यू0 एस0 एस0 आर0 आदि से ज्यादा हिन्दुस्तान में होती है। युन इटेड स्टेट्स का पर एकड़ प्रोडक्शन 435 किलोग्राम है, ब्राजील का 209, यू0 एस0 एस0 आर0 का 794, चाइना का 441, जापान का 639 और भारत का उत्पादन केवल 142 किलोग्राम है। अब दूसरी तरफ मैं आपको सीरियल्स के बारे में भी कुछ आंकड़े देना चाहता हूं, इसमें भी हम काफी पीछे हैं। इसकी पर हेक्टेयर ईल्ड जापान में 5880 किलो ग्राम, कोरिया में 5460 किलोग्राम है और इन्डिया में हमारे यहां 1282 कि0ग्राम ही है। इसमें 43वां स्थान है हमारा। दलहन में भी देखिये, उसके भी आंकड़े दे रहा हूं जापान में यह 1599 कि0ग्राम हैं, नीदरलैंड में यह 3286 कि0ग्राम है, यू0 के0 में 2595 कि0ग्राम हैं और इन्डिया में यह 524 कि0ग्राम ही है। इसमें हमारा स्थान 42वां है। एक में आपने देखा कि हमारा स्थान 43वां हैं और एक में 42वां है।

चावल का भी देखिये, इसकी ईल्ड पर हेक्टेयर इस प्रकार है--4 देशों के आंकड़े में दे रहा हूं, चाइना में इसका प्रोडक्शन पर हेक्टेयर है 3,534 कि0ग्राम, जापान में 6,250 कि0ग्राम, इन्डिया में है 1975 कि0ग्राम और कोरिया में है 6,551 कि0ग्राम और दुनिया की औसत ईल्ड है 2594 कि0ग्राम इसमें भी हम डाउन जा रहे हैं इसका परसेन्टेज भी हमारे देश मे सबसे कम है।

अब मैं चावल की औसत ईल्ड अपने यहां की बता रहा हूं। बिहार में पर हेक्टेयर पैदावार है 987 कि0ग्राम, यू0पी0 में 1069 कि0ग्राम बिहार से हमारे यहां ज्यादा है। लेकिन हरियाणा में यह है 2605 कि0ग्राम पंजाब में है यह 3362 कि0ग्राम और आल इन्डिया का औकत है 1317 कि0ग्राम भारतवर्ष के औसत से भी हमारे यहां प्रोडक्शन पर हेक्टेयर कम है। पंजाब और हरियाणा से तो हम काफी पीछे हैं। फिर किस आधार पर कहा जा रहा है कि हमने प्रगति की है।

गेहूं की भी औसत ईल्ड पर हेक्टेयर के आंकड़े में पेश कर रहा हूं। मान्यवर, बिहार में यह है 1261 कि0ग्राम, यू0पी0 में है 1462 कि0 ग्राम हरियाणा 2099 कि0 ग्राम और पंजाब में है 2535 कि0 ग्राम तथा आल इन्डिया एवरेज है 1417 कि0 ग्राम। इसमें आप देखें कि बिहार से ज्यादा है पर और सूबों से कहीं कम है तथा आल इण्डिया औसत से भी हमारे यहां प्रोडक्शन कम है।

(4 बजकर 28 मिनट)

मैं आपके सामने इनकम के भी आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। भारत में पर कैपटा इनकम में भी हमारा 13वां स्थान है। आन्ध प्रदेश जो छोटा सा राज्य है उसकी इनकम है 1002 रुपय, गुजरात की है 1452 रु0 हरियाणा की 1600 रुपये, पंजाब की

है 1991 रुपये और हमारे उत्तर प्रदेश की है 916 रुपये। तो आप समझ लीजिए कि हम इनमें भी सबसे पीछे हैं। इस तरह एक आंकड़ा और आपके सामने रखूंगा जो आल इंडिया ईल्ड है राइस की, उसमें हम सभी प्रान्तों से पीछे हैं। राइस पर हेक्टियर (इन के0 जी0) 1977-78 में आंध्र प्रदेश में 1491। बिहार में 1261। गुजरात में 1384। हरियाणा में 2605, हिमांचल प्रदेश में 1292। कर्नाटक में 2382, केरल में 1514, महाराष्ट्र में 1563, पंजाब में 3362, राजस्थान में 1286, तमिल नाडु में 2210, उत्तर प्रदेश में 1069। कितना हम गिरे हैं मान्यवर, आल इंडिया 1317 है। इसी तरह आप देखें, गन्ने में हम बिल्कुल पीछे हैं आंध्र प्रदेश में 8604, हिमांचल प्रदेश में 7335। मध्य प्रदेश में 3004। महाराष्ट्र में 10499, उड़ीसा में 6047, पंजाब में 5621। तमिल-नाडु में 11863। इसका सोर्स जो है--ड्राफ्ट सिक्स्थ फाइव इयर प्लान 1980-85 तक का है अब मैं समझता हूं, गेहूं के आंकड़े से, कपास के आंकड़े से यह सब काफी पीछे है।

इसी तरह से मान्यवर, खाद का आप बता रहे हैं, जो किताब हैं, उसमें बहुत ज्यादा है, लेकिन जो स्टेटिस्टकल डायरी है सन् 80 की उसमें फर्क पड़ता है। खाद की 1978-79 में 10·58 हजार टन्स खपत रही। 1979-80 में 10·8 हजार टन्स। 1980-81 में 9 42 हजार टन्स हो गया। इससे स्पष्ट होता है कि खाद की 1980-81 में जो कीमत बढ़ाई थी, उसके कारण खाद की खपत भी कम हो गयी। तो माननीय मंत्री जी से मैं यह कहना चाहूंगा कि प्रदेश के हित में खाद की कीमत कम करें जनता सरकार में भी कीमतें बढ़ी थीं, लेकिन उस वक्त सब्सीडी देकर के खाद की कीमत नीचे ले आये थे। आप तो वैसे भी बहुत ज्यादा सब्सीडी दे रहे हैं। कितना आप पर कुंटल दे रहे हैं? मान्यवर, सभी जानते हैं कि माननीय प्रताप सिंह भूत पूर्व केन्द्रीय राज्य मन्त्री कृषि के अच्छे जानकार हैं। उन्होंने प्रदेश में प्रक्योरमेंट के बारे में कहा था। पिछले साल प्रदेश में 25 लाख का लक्ष्य रखा गया था। जो लक्ष्य आपने रखा था, उसको आप पूरा नहीं कर पाये जुलाई तक आप 14 लाख पूरा कर पाये। इसके पहले जनता सरकार ने जो प्रक्योरमेंट का लक्ष्य रखा था, वह पूरा हो पाया था। उस समय 45 परसेंट का फर्क था। लेकिन इस वक्त कीमतों में, उस 1970-71 की कीमतों से देखें तो ढाई गुना का अन्तर हो गया है। 250 का अन्तर आ गया है और किसान किसी भी सूरत में उन कीमतों में अपना गल्ला देने के लिए तैयार नहीं है। जो आपके भूतपूर्व केन्द्रीय वित्त मंत्री थे, वेंकट रमन साहब, उन्होंने 16 मार्च को राज्य सभा में कहा था कि एक कुंटल गेहूं पर अगर हम सब्सीडी हटा लें तो 74 रुपया प्रति कुंटल के हिसाब से देना पड़ेगा। 130 रुपया किसान को दे रहे हैं। 130 और 74 में उसमें जोड़ दिया जाय, तो 204 हो जाता है। 11 परसेन्ट सब्सीडी सस्ते गल्ले की दुकान वालों को देते हैं, अगर उसको जोड़ दिया जाय, तो 215 रुपया दाम होता है।

आप कहते हैं कि हम आत्मनिर्भर हो गये हैं। आपकी जो प्रधान मन्त्री हैं, जिनका नाम आप हर बात पर लेते हैं उन्होंने भी बड़ी घोषणायें की खाद्यान्न विभाग में आत्मनिर्भर होने की और उस घोषणा के ठीक एक महीने बाद आपने कहा हम बाहर से गेहूं मंगा रहे हैं। 215 रुपया कुंटल जो मैंने बताया इन्हीं कीमतों पर आकर पड़ेगा। सरकार एफ0 सी0 आई0 800 से लेकर 1000 करोड़ रुपया तक की सब्सीडी

[श्री शंकर सिंह---]

देती हैं अगर इसको पूरा देखें तो 84 प्रतिशत जाकर पड़ता है। पूरी दुनिया में किसी देश में भण्डारण पर इतना नहीं पड़ता है। जापान में 20 प्रतिशत भण्डारण चार्ज है। इतना गरीब देश होते हुए 84 प्रतिशत एफ० सी० आई० को देना इसका क्या कारण ह ? मैं कहता हूं कि देश के किसान के गेहूं का उत्पादन मूल्य प्रति एकड़ माननीय सदस्य ने बताया 170 रुपया है। मान्यवर, सरकारी किताबों में इसका तो कोई आँकड़ा मिलता नहीं। यह इसलिये उत्पादन मूल्य के आंकड़े नहीं देते हैं कि कहीं किसान भड़क न जाय।

लेकिन मान्यवर,मैं कहना चाहता हूं कि किसान अब चुप नहीं बैठ सकता है वह बहुत पिस चुका है। अब वह जमाना निकल गया जब वह वहा करता था जो कुछ भाग्य में था हो गया। अब वह पेट की भूख से तड़प रहा है। मान्यवर, जब अधिक सर्दी होती है तो समाचार आने लगते हैं इतने सर्दी से मर गये, जब लू हो जाये तो समाचार आते हैं इतना लू से मर गये। लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सर्दी और गर्मी से कोई नहीं मरता है। पेट की आग में सुलग कर आदमी मरता है। पेट खाली हो तो सर्दी और गर्मी का बहाना या कोई भी बहाना मरने वालों के लिये काफी होता है। मान्यवर, इस प्रदेश में 69 प्रतिशत ऐसे लोग हैं जिनके पास एक हेक्टेयर से कम भूमि है। आज उनके पास 24 प्रतिशत एरिया है। अगर उनकी रक्षा करनी है, देश और प्रदेश के किसानों की रक्षा करनी है तो उत्पादन बढ़ाना है तो कम से कम जो उत्पादन मूल्य है उनके अनुपात में किसानों को उचित मूल्य अवश्य दिलवायें। अगर नहीं दिलाते हैं तो मैं कहना चाहता हूं कि देश और प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता है। अब मान्यवर, उत्पादन के बारे में मैं कुछ आंकड़े अगर आप इजाजत दें तो कह दूं। कास्ट आफ प्रोडेक्शन पंजाब में 1978-79 में 112 रुपया हाई इल्डिंग वैराइटी गेहूं का था।

श्री अधिष्ठाता---

माननीय शंकर सिंह आप संक्षेप में कहें।

श्री शंकर सिंह---

ठीक है मान्यवर, आप कह रहे हैं तो आंकड़े छोड़े देता हूं। मान्यवर, एक चीज में यह कहना चाहता हूं कि पिछले साल बड़े जोरशोर से घोषणा हुई सदन में कि हम फसलों का बीमा लागू करने जा रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री ने घोषणा कि 12 जिलों में तुरन्त फसलों का बीमा लागू किया जा रहा है। लेकिन घोषणा की गई और यह भी कहा गया कि 50 लाख रुपया किसी इंश्योरेंस कम्पनी को प्रीमियम का देने जा रहे हैं। लेकिन जब आज माननीय मंत्री जी ने भाषण दिया तो उसके बारे में कुछ नहीं कहा। न जाने वह योजना लागू होगी या नहीं लागू होगी।

मान्यवर, एक चीज यह कही गई थी कि दो हजार रुपये तक छोटे किसानों को देंगे बीमा फसल सुविधा। लेकिन वह योजना कहां है कुछ तो उसका कारण बताना चाहिये। मान्यवर, गांवों में जो इनके पशु चिकित्सालय हैं वहां पर पशुओं के इलाज के लिए ठीक से साधन नहीं है। 1/4 मवेशी पूरी दुनिया के इस प्रदेश में हैं। एक साथ आप इतना साधन नहीं कर सकते हैं कि सबकी नसल बदल दें। लेकिन जितने मवेशी हैं उनको जिन्दा रखने के लिये कुछ करें। जब किसी भी क्षेत्र में बीमारी आती है चाहे पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, या

दक्षिण में हजारों मुर्गी, बकरी और जानवर मर जाते हैं। उनको बीमारी से बचाने के लिए कोई सुविधा नहीं हैं । आपके किसी चिकित्सालय में डाक्टर नहीं रहता है । वह शहर का किनारा पकड़े हुये है वह शहर में रह रहा है । एक बात मैं यह कहना चाहता हूं हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि मण्डी समिति का रुपया पड़ा है उसको निर्माण कार्यों में लगाया जाय । बहुत अच्छा सुझाव है इसको सरकार को मान लेना चाहिये । हमारे माननीय सदस्य दीक्षित जी ने कहा कि हरदोई में शाहाबाद में नई मण्डी समिति बनाई जाय । उनके क्षेत्र पाली में दूसरी मण्डी समिति बनाई जाय । मान्यवर, इसी तरह से हमारे क्षेत्र में एक स्थान कनौरा है । वहां पर मण्डी बनाई जाय । मान्यवर, आपने कुछ स्थानों पर कृषि फार्म बनाने के लिए भूमि एक्वायर किया है । लेकिन उसका नोटीफिकेशन नहीं हुआ है, इसलिये वह करवा दें उसमें कृषि फार्म तो आप पहले से ही चला रहे हैं ।

मान्यवर, यह सही है कि खेतो में जो रोग लगते हैं उसकी जानकारी किसानों को थोड़ी होती है, लेकिन जहां बगीचे हैं जैसे आम, अमरूद और बेर आदि, वहां रोग लगता है तो उसकी जानकारी किसान को नहीं होती है तो उसमें किसानों को थोड़ी जानकारी कराना चाहिये । मान्यवर, मोहन सिंह ने कहा कि आम के बाग के पास ईंट के भट्ठे हैं जिनसे गैस निकलती है और उससे आम में भंयकर रोग लग जाता है जिसकी तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए और कुछ न कुछ उपचार करना चाहिये ।

मान्यवर, बुन्देलखंड के सम्बन्ध में श्रीमती बेनी बाई ने प्रकाश डाला लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वह पिछड़ा क्षेत्र है और जब मुख्य मंत्री बुन्देलखंड तिंदवारी से लड़ने गये थे तो उम्मीद थी कि कुछ न कुछ बुन्देलखंड का उ उनसे अवश्य होगा । शुरू में ही उन्होंने जालौन में लगने वाला सीड्स प्रोसेसिं ब्लाक पुखरायें, जनपद कानपुर में लगवा दिया लेकिन बुन्देलखंड के लिये कुछ नहीं किया । बुन्देलखंड जनपद में इक्सटेंशन का काम कानपुर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को दिया लेकिन यूनिवर्सिटी इक्सटेंशन का काम बुन्देलखंड के लिए कुछ नहीं करती है । इसलिए बुन्देलखंड में इक्सटेंशन का आफिस आप बनायें । बुन्देलखंड के लिए कोई योजनायें नहीं हैं और जैसे जमुना का पानी बहता हुआ तिंदवारी के नीचे से बह कर निकल जाता है उसी तरह बुन्देलखंड की सारी योजनायें तिंदवारी में पहुंच जाती हैं और अब लगता है कि वहां की योजनायें जो हैं वह इधर-उधर न निकल जायं इसलिए इलाहाबाद के हिस्से को बुन्देलखंड में मिला दिया गया है । बुन्देलखंड पिछड़ा क्षेत्र है इसलिए सूखोन्मुख तथा डी० पी० ए० पी० योजना के अन्तर्गत वहां काम किये जायं । इसके साथ ही साथ वहां भूमि संरक्षण में भी काम किया जाय जिससे भूमि सुधार हो और पैदावार बढ़े एवं भूमि में शक्ति आये । इसके साथ ही साथ मान्यवर, वहां सिंचाई की सुविधायें भी बढ़ाई जायं जिससे पैदावार अधिक हो सके ।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय--

मान्यवर, मंत्री जी ने तिलहन से शुरू किया था, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक पुस्तक "उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन प्रगति वर्ष 1981-82 और कार्यक्रम वर्ष 1982-83 कृषि उद्यान एवं विभागीय निगम, उत्तर प्रदेश, लखनऊ" दी गई हैं जिसमें तिलहन पर 24 लाख टन का लक्ष्य रखा था वर्ष 1981-82 में और इस वर्ष केवल 20.50 लाख टन उत्पादन का लक्ष्य रखा है तो इसका क्या कारण है ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

मान्यवर, मैं माननीय शंकर सिंह और तमाम इस माननीय सदन के सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने आज कृषि, पशुपालन व मत्स्य के बजट पर चर्चा में हिस्सा लिया और जहां विभाग की आलोचना किया वहीं अच्छे सुझाव भी दिये और मैं समझता हूं कि आलोचना करना केवल उनकी विरोधी पक्ष की भूमिका को निभाना नहीं था बल्कि उनके मन में धारणा थी और है कि इस प्रदेश की पैदावार बढ़े और यहां के किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो ।

(इस समय 4 बजकर 43 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए ।)

मैं इसके लिये आप सबको धन्यवाद देता हूं और जो मुद्दे उठाये गये हैं उनमें एक प्रश्न यह था कि क्या उत्तर प्रदेश खाद्यान्न में या गेहूं उत्पादन में अग्रणी है । आंकड़े तो अपने-अपने हो सकते हैं, आपके पास भी हो सकते हैं और मेरे पास भी हैं । मेरी नजर में जो गेहूं पैदा होता है तो देश को अगर हम एक दृष्टि से देखें तो हमारा प्रदेश ज्यादा गेहूं पैदा करता है । अन्य खाद्यान्न का प्रतिशत 17.52 आता है जो सबसे ज्यादा है । तो इस प्रकार से हम अन्य खाद्यान्न के मामले में भी सबसे आगे हैं ।

मान्यवर, दूसरा प्रश्न यह था और जिस पर काफी जोर-शोर से चर्चा हुयी तो मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर हम विदेश के आंकड़ें दें और अपने देश के आंकड़े दें कि अन्न, दूध या मांस उत्पादन के मामड़े में हम किस स्थान पर हैं तो उनकी जो भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियां हैं हमको उस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा । हमारी और उनकी भौगोलिक परिस्थितियों में बड़ा अन्तर है । मिसाल के तौर पर दूध का सबसे ज्यादा उत्पादन इजराइल में पर कैपिटा प्रति गाय होता है। आपको सुनकर आइचर्य होगा कि जब भारत से डेलीगेशन गया था जिसमें बरेली के आई0 वी0 आर0 आई0 के लोग थे, वे इजराइल गये । वहां गाय को एयरकंडीशन में रखा गया था जब रात में तापक्रम गिरता था तो उसको घूमने के लिये छोड़ा जाता था । तो जहां पेट्रो डालर है, उनकी क्या हैसियत है और अपनी क्या हैसियत है । जितनी हमारी चादर है उतने ही हम पांव फैला सकते हैं । हमारा कुल बजट 3 हजार 330 करोड़ रुपये का है और 119 करोड़ रुपये कृषि विभाग के हैं । इस प्रकार हमारा प्रतिशत 3.5 प्रतिशत आता है । और भी तमाम जो विभाग हैं उनकी जो जरूरतें हैं उन पर भी ध्यान देना सरकार के लिये नितांत आवश्यक है । अगर हम उस तरफ ध्यान नहीं देंगे तो फिर दूसरे लोग पिछड़ जायेंगे तो जो हमारा बजट है उसी के अनुसार हमें कार्य करने हैं । उर्वरक की मिलावट के बारे में और भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में कुछ अधिकारियों के बारे में कहा गया है । भ्रष्टाचार इस देश की नस-नस और रग-रग में घर कर गया है । उसको जड़ से नष्ट करना या समूल नष्ट करना हमारा और आप सबका फर्ज है । सब लोग मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर आगे जायेंगे तभी प्रगति होगी अन्यथा एक अधिकारी के खिलाफ ऐक्शन होता है तो फिर वह अधिकारी दूसरे को उसी प्रकार से डिमोरेलाइज करके चरित्र हनन का प्रयास करता है ।

श्री कुबेर भण्डारी--

[× × ×]

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय कुबेर भण्डारी जी ने बिना आदेश के बोलने का प्रयास किया, इसलिये लिखा नहीं जायगा ।

श्री भानु प्रताप सिंह--

जो भ्रष्टाचार की चर्चा की गयी, प्रश्न उठाया गया तो मैंने कहा कि यह इस देश के रक्त में घर कर गया है, सबको मिलकर काम करना पड़ेगा । जब किसी के खिलाफ कोई ऐक्शन होता है, मन्त्रि परिषद् का कोई सदस्य लेता है, तो वह अधिकारी मिल-मिलाकर उस मंत्री के खिलाफ चरित्र हनन की प्रक्रिया शुरु करता है, जिसका कोप भाजन मुझे भी बनना पड़ा है । देवरिया में 3 अधिकारियों की मौजूदगी में चौथे विधायक को मारा, जो कि हरिजन था । मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या हरिजन को इस देश में रहने का अधिकार नहीं है, क्या उनका कोई मान सम्मान नहीं है ? मैंने उनके साथ जो व्यवहार किया था, वह अपनी इसी विचार धारा के अनुसार किया था । दिल, दिल है, पत्थर नहीं है । पत्थर में भी खराश लग जाती है, लोहे पर भी जंग आ जाती है, दिल में भी ठेस पहुंचती है, उसको भी शिकार होना पड़ता है । जनहित में जो काम हैं, करने ही पड़ते हैं । मैं कृषि विभाग में आने से पहले गन्ना मन्त्रालय में था, उत्तर प्रदेश के किसान का जो लाभांश है, उसको मिलेगा क्योंकि हमारी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी दिल्ली में बैठी हैं । हमारे मुख्य मंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह भी कोई कंगाल नहीं हैं, राजा हैं, जिनके रहते हुए हमें किसी थैलीशाह के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती ।

एक साहब ने माननीय मुख्य मंत्री से मेरी शिकायत की कि मुझे रात में 10 बजे तक बिठाये रक्खा और मुलाकात नहीं की । उनका जो हश्र हुआ कि गन्ने के मिल मालिक दिल्ली से लखनऊ का टिकट कटाना भूल गये थे । आप भी जो अच्छा काम हम करते हैं उसमें हमारी मदद करिये ताकि किसानों का जो करोड़ों रुपया पूंजीपतियों पर बाकी है, वह हम दिला सकें ।

इसी के अनुरूप माननीय शंकर सिंह जी ने कहा कि 5 रु0 10 रु0 में किसान हवालात के सींखचों के पीछे चला जाता है, मैंने उसी सन्दर्भ में यह हवाला दिया था कि हरदोई मिल के खिलाफ अपनी कलम से रिकवरी सर्टीफिकेट दिया था और यह आदेश दिया था कि कोई भी कितना भी बड़ा पूंजीपति क्यों न हो, अगर वह गलती करता है, तो उसे भी हवालात में रक्खा जाय । यह दमखम वाली सरकार है, कोई लुंज-पुंज सरकार नहीं है ।

अब सवाल आता है--फसलों को उचित लाभ और उचित मूल्य दिलाना । आलू की आज जो दुर्दशा है, इसके लिये जिम्मेदार हैं, जनता पार्टी की सरकार और तत्कालीन प्रधान मंत्री, जिन्होंने फारेन कालोबरेशन से फर्रुखाबाद में जो फैक्ट्री बनने जा रही थी, 13 हजार पौंड उसमें खर्च हो चुका था, अन्तिम स्टेज

नोट--[× ×] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

[श्री भानु प्रताप सिंह--]

गें थी, उन्होंने कहा कि हम शराब बनाने का लाइसेन्स, चाहे वह आलू से ही क्यों न हो, नहीं देंगे। उसमें अगर आलू लगता तो कटा-फटा आलू 50 रु0 क्वि0 में जाता। उन्होंने शिवांबु पिलाना ज्यादा पसन्द किया इस देश की जनता को लेकिन शराब बनाने के लिये लाइसेन्स फर्रुखाबाद जिले को देना उचित नहीं समझा। यह वही जानें कि जनता को शिवांबु पिलाना ज्यादा उचित है या फिर हमारे देश में जो आलू सड़ कर बरबाद हो रहा है उसको अल्कोहल बनना ज्यादा उचित था। उनके लाइसेन्स न देने से देश और प्रदेश का आलू सड़ा है, इसके लिये जिम्मेदार जनता पार्टी की सरकार है।

इस प्रदेश के अन्दर इस बात का बहुत जिक्र किया गया कि सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कुछ नहीं करते हैं। उसमें मैंने जवाब दिया था। लेकिन मान्यवर, कभी-कभी ऐसे लोगों के खिलाफ चार्जेज लगा दिये जाते हैं जो कि कसौटी पर कसने से पारस पत्थर के समान खरे उतरते हैं। आज भी हमारे ज्वाइन्ट सेक्रेटरी के खिलाफ आरोप लगा दिये। मैं कहता हूं कि जो अधिकारी अच्छा काम करता है उसकी आप सराहना कीजिये न कि उनकी भर्त्सना कीजिये। मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश की सरकार के अन्दर जैसे कि अभी हमारे भाई रियासत हुसैन साब ने एक बात कही उसे आगे बढ़ाया। मेरा मन चाहा कि उसी समय उठ कर उनका मुंह चूम लूं लेकिन...।

श्री श्याम लाल बाजपेयी--

यह भी तो सोच लीजिये कि दाढ़ी तो नहीं गड़ेगी।

श्री भानु प्रताप सिंह--

लेकिन मान्यवर, यह बात संसदीय परम्परा के विरुद्ध की बात है इसलिये मैं ऐसा नहीं कर सका वह बात अलग है कि हम दोनों अड़ोसी-पड़ोसी हैं, भाई-भाई भी हैं। ठीक है कि यहां हम एक दूसरे की आलोचना करते हैं लेकिन उसके बाद हमारा और आपका कोई झगड़ा नहीं है। आपने जिक्र किया कि कोई ऐसी फसल आम की नहीं निकली है जो कि साल भर आम की फसल आती रहे और सरकार को ऐसे आम के लिये ऐसी फसल के लिये संरक्षण करने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले। मैं इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि दिल्ली में एक नई नस्ल आम की निकाली गयी है जिसका नाम है "आम्रपाली"। यह दो-तीन नस्लों के मिक्सचर करने के बाद निकली है। इसकी दो-तीन बड्स हैं मैं उम्मीद करता हूं कि उससे तीन-चार पौधे यहां के लिये पैदा कर लेंगे। वह एक मूल प्रजाति है जो कि पूरे साल की फसल देती है। फिर यह प्रक्रिया अपनायेंगे कि और इसके पौधे तैयार हों जिसे हम तमाम खेतों के लिय उपलब्ध करा सकें। अब इसके देखने और संभालने की जिम्मेदारी आपकी होगी।

आज भी देखने में यह आता है कि बाग लगा कर खड़े कर दिये गये हैं परन्तु उसमें कोई भी शस्य क्रियाओं को नहीं करता है। जब बाग आपका है और आप उसमें अपनी जिम्मेदारी नहीं लेने को तैयार हैं तो फिर हम कसे उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार होंगे। हम इसके लिए आपको दवाइयां देते हैं, टेक्नीकल जानकारी देते हैं, आपको सारी टेक्नीकल जानकारी कराना चाहते हैं, आप उन पौधों की भलाई के लिए उनका प्रयोग करें। जब आपको आवश्यकता हो हमारा विभाग हर तरह से आपकी सहायता के लिए तैयार है। आपको जिन चीजों की जरूरत हो, विभाग से मांग सकते हैं।

माननीय, एक चीज और वजनदार थी जिसके लिये कहा गया है कि बीज का प्रदेश से बाहर निर्यात किया जाता है, बीजों को बाहर भेजा जाता है। कुछ शिकायतें इस तरह की आयीं परन्तु वे निराधार पायी गयीं। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि बीज के ऐक्ट में नये सिरे से परिवर्तन हो और बीज बिक्रेता को लाइसेन्स न दें। बीज टी0 डी0सी0 से आये, रिसर्च स्टेशन से आये या गवर्नमेंट के माध्यम से आयें। जैसे कि आपने अभी कह दिया कि और हमें मालूम हुआ कि धान का टैग गेंहू में लगा हुआ है, कोई गलती इसमें जरूर हुई होगी। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमारे मन में आपकी आलोचना से कोई रोष की भावना उत्पन्न होती है। लेकिन माननीय, बिष्ट जी और दूसरे जो साथी हैं पहाड़ के, उनका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं, उनको छोटी गायों का बड़ा ख्याल है। अगर उनकी छोटी गायों के साथ फ्रीजेन्ड सांड़ों का प्रयोग करेंगे तो हालत वही होगी जैसे चींटी के बिल में चींटा घुसेड़ दें। और अगर वह प्रिगनेन्ट भी हो जायें तो बच्चा बाहर नहीं आ सकता। अगर ज्यादा दूध की आवश्यकता है, अच्छे बैलों की आवश्यकता है तो हम यह करेंगे कि वहां पर जर्सी सांड़ उपलब्ध करायें और प्राकृतिक गर्भाधान के लिए उनको रखें। जो लोग उनको मेन्टेण्ड नहीं कर पा रहे हैं उनको हम पूरा खर्चा देंगे।

प्रश्न उठाया कि प्रदेश के अन्दर दलहन, तिलहन के बारे में, तो जब तक किसानों को हम जागृत नहीं करेंगे, कहा गया कि चने को उक्त बीमारी का कोई निदान नहीं है, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे दलजीत सिंह यहां पर हैं, जब मैं उनके घर गया तो एक सरदार जी, बहुत ही छोटे आदमी थे, इसके बारे में बताया कि अगर जरा सा प्योर सरसों का तेल डालने के बाद उपचार करें तो कभी यह बीमारी नहीं लगती और मैंने अपने घर में इसको किया तो पिछले साल बीमारी लगी थी लेकिन इसको करने बाद बीमारी नहीं लगी जब कि मैंने स्वायल टेस्टिंग भी करवायी थी। केवल डिग्री ले लेने से ही कोई वैज्ञानिक नहीं हो जाता आदमी का तजुर्बा भी बहुत काम करता है और अन्तिम क्षणों तक कोई आदमी पूर्ण वैज्ञानिक होने का दावा नहीं कर सकता। कुरमुला का सवाल उठाया। यह कोई बीमारी नहीं बल्कि एक कीड़ा है और 10-15 दिन का इसका ड्यूरेशन है, पत्ती पर अण्डे देता है फिर उसके बच्चे दूसरी फसलों को खाते हैं। इसका निदान हम आपको बतायेंगे ....

श्री जसवंत सिंह विष्ट--

मैंने कहा था कि खरीफ की फसल में कुरमुला से सारी फसलें नष्ट हो गईं, किसानों के पास बीज भी नहीं बचा तो क्या खरीफ की बुआई के लिए जो शुरू होने वाली है, बीज उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री भानु प्रताप सिंह--

जो समस्या बिष्ट जी ने दी है उसका पूरी तरह से निदान करने का प्रयास करूंगा। इस प्रदेश के अन्दर स्वायल कंजरवेशन, भूमि का कटान, चाहे बुन्देलखण्ड हो या प्रदेश का कोई हिस्सा जब यह मंत्रालय मेरे पास आया, इस विषय में पहले से जो सर्वे हुये थे उस के बाद और आवश्यकता पर बल दिया। जो माननीय सदस्य यहां पर हरदोई के हैं, कोआपरेटिव बैंक के फंक्शन में मैं वहां

[श्री भानु प्रताप सिंह—]

गया था और 13-14 लाख रुपये बांटा था, मैंने वहां किसानों से बात की, वहां देखा जहां रेत बहुत ज्यादा उपलब्ध है, वहां भी लोग मेड़ तक नहीं बनाते। मेड़बन्दी नहीं करते जब कि पश्चिम के सारे लोग एक फीट ऊंचा और डेढ़ फीट चौड़ी मेड़ बनाते हैं। इससे पैदावार को भी आराम मिलेगा और उस खेत में मिट्टी, बालू और रेत से मिट्टी बलुआरी हो जायेगी और उसकी उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। हम 75 परसेंट तक सबसीडी देते हैं छोटे किसानों को लेकिन इन बातों का प्रचार, इन बातों की जानकारी तमाम माननीय सदस्यों के माध्यम से ही छोटे-छोटे किसानों तक जा सकती है क्योंकि हम सब मिलकर इस ओर कार्य करें तभी यह कार्य संभव हो सकता है और मैंने पहले भी कहा था कि आप सबके सहयोग की आवश्यकता है।

मैंने अभी तीनों विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में यह विचार बनाया है कि इस प्रदेश में जो हमारे कृषि विश्वविद्यालय हैं इनके लिए हम कुछ हस्तक्षेप निर्धारित करें और उसमें हमारे विभाग के कर्मचारी सहयोग दें और इतना करें वहां जाकर जैसे कि पंतनगर फार्मर्स क्लब है वैसे ही क्लबों की स्थापना की जाय और ऐसे कार्यक्रम बनाये जायं जिससे जिन फसलों का वह बाहुल्य क्षेत्र हो, हम उसे वैज्ञानिक ढंग से वहां चलायें और उसमें हमारे तमाम अधिकारियों को आमंत्रित करें और किसानों को भी आमंत्रित करें। बड़े किसानों को हम अच्छा किसान नहीं कहते क्योंकि हमने बड़े किसान ऐसे देखे हैं जिनकी खेती देखकर तरस आता है। इससे तो अच्छा हो कि वह दान में दे दें तो लाभ मिलेगा लेकिन कम से कम वह छोटा किसान जो मेहनत करके अच्छी खेती करता है, उस अच्छे किसान को आमंत्रित करें। यह भी कहा गया कि फर्टीलाइजर्स की कीमत बहुत बढ़ गई है। आज उसकी कीमत 20-25 रु0 एक एकड़ में पड़ रही है। मान्यवर, इस चीज की जानकारी भी किसानों तक जाना चाहिये और उसका प्रदर्शन उनको दिखाना चाहिये। अगर रियासत साहब का कोई खेत हो तो वह आधे में शैवाल और आधे में दूसरे की उपज करें तो स्थिति सामने आ जायेगी। अब प्रदेश के ऊपर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि ऊसर सुधार का काम वह करें इससे जो खर्चा उनपर डाला जाता है उससे अन्न का उत्पादन कम होता है तो मेरा एक सुझाव है कि चाहे बलन्दशहर हो, चाहे इधर का इलाका हो, जो ऊंची नीची जमीनें हैं हमारे पास तो एक घास है जिससे बांध बनाया जाता है और आज उस घास की कीमत 8 और 9 रु0 प्रति किलो है। इससे एक एकड़ क्षेत्र के अन्तर्गत लाभ 3,000 प्रति एकड़ से लेकर 5,000 प्रति एकड़ तक आता है। विभाग के लोगों ने कहा है कि हमें जड़ उपलब्ध करा दें।

श्रीमन्, इसी बारिश के पहले इसकी जड़ें मैं इनको उपलब्ध कराऊंगा। अगर सिंचाई की व्यवस्था हो जाए तो तीन बार इसकी खेती की जा सकती है। दो बार तो प्राकृतिक रूप से इसकी बढ़ होती है और जब कोई बांध कट जाता है तो उसको रोकने के लिए यह बहुत अच्छा काम करती है। कटाई के बाद बान की शकल में इसकी पैदावार 20 क्विंटल तक मिल सकती है जिसका मारकेट भाव 180 से 150 रुपये क्विंटल तक है। अगर इसमें हम जायद फसल पैदा कर लें तो इसकी पैदावार 5 व 10 क्विंटल और बढ़ सकती है। यह मैंने कटान भरान और ऊसर के बारे में कहा।

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी आप कितना समय और लेंगे?

श्री भानु प्रताप सिंह--

दो मिनट ।

हमको जायद फसल का अपना कार्यक्रम बनाना चाहिये । हमारे यहां जायद में उरद है, मूंग है, रशियन लो बिया है । विभाग द्वारा इनके बीज का वितरण कराया जायेगा । एक बार में पकने वाला जो मूंगा है, उसकी फसल का 80 प्रतिशत तो पहली बार में ही पक जाता है और 20 प्रतिशत के कम जो फसल कच्ची रहती है उसको पशुओं के लिए चारे के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है । टाइप 9 उरद की जो जायद फसल है उसकी गारंटी है लेकिन खरीफ में जो उरद की फसल बोयी जाती है उसकी कोई गारंटी नहीं है । क्योंकि उसका बीज बोने के बाद ही बारिश हो जाय तो उसका अंकुरण ठीक से नहीं होता जिससे पौधे कम होते हैं । क्योंकि प्रकृति पर हमारा कोई कन्ट्रोल तो है नहीं । इससे अन्न का उत्पादन कम होगा । इसलिये मैं बार-बार अनुरोध करता हूं कि हम सब मिल कर, आपस में एक होकर अन्य उत्पादन के कार्यक्रम भी मजबूती के साथ प्रदेश में आगे बढ़ावें । राजनीति अपनी जगह पर है लेकिन अन्न उत्पादन का काम अपनी जगह पर है । आखिर हमारे जो मेहमान आते हैं उनको हम क्या खिलावें ।

चावल में जो प्रोटीन होता है उसको हम 34 रुपये क्विंटल के भाव से लेवी लगा कर लेंगे और 20 प्रतिशत लेवी राइस मिलों पर है । चोकर जो फैक्टरी वाले 105 से 110 रुपये प्रति क्विंटल देते हैं उसे हम 90 रुपये के भाव से लेकर दाना बनाने वाली फैक्ट्री को देंगे ताकि वह पशुओं के लिए संतुलित आहार बना सके । पशुपालन विभाग की संतुलित आहार बनाने वाली फैक्टरी उसे किसानों को 130 रु0 प्रति क्विन्टल देगी जबकि बाजार में उसका भाव 200 प्रति क्विंटल तक है । जनता पार्टी की सरकार ने जितने बोर्ड डिफंक्ट कर दिये थे उनका गठन हम 15 अप्रैल तक कर देंगे ।

एक सदस्य---

फसल बीमा के बारे में आपने कुछ नहीं कहा ।

श्री भानु प्रताप सिंह--

फसल बीमा का प्रश्न अभी रह गया । आपको याद होगा कि प्रश्नों के समय में इस पर इसलिये नहीं बोल सका कि दोबारा उसकी पुनरावृत्ति न हो जाय । उस समय मैंने बताया था कि फसल बीमा की योजना है लेकिन उसके लिये बीमा कम्पनी ने जो शर्तें रखी हैं वे हमारे लिये लाभप्रद नहीं हैं । कैबिनेट के अन्दर इस पर विस्तृत रूप से विचार हो चुका है । उसकी शर्तों को लेकर हम लोग दिल्ली गये थे, कम्पनी वालों के साथ मुख्य मंत्री जी के समक्ष उसकी एक बैठक हो चुकी है और माननीय मुख्य मंत्री जी भी जो शर्तें रखी हैं उनसे सहमत नहीं हैं । जब तक कि बीमा योजना की शर्तें उस कम्पनी की किसानों के हित में नहीं होंगी तब तक हम उनकी शर्तों पर किसानों की गर्दन कटवाने के लिए किसी तरह से तैयार नहीं हैं ।

[श्री भानु प्रताप सिंह---]

इन शब्दों के साथ मैं माननीय शंकर सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करता हूं। साथ ही माननीय तमाम सदस्यों से आग्रह करता हूं कि जो अनुदान मैंने प्रस्तुत किया है उसे पास करने की कृपा करें और माननीय शंकर सिंह जी अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने का कष्ट करें।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय शंकर सिंह जी क्या आप अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री शंकर सिंह--

माननीय उपाध्यक्ष जी...।

श्री उपाध्यक्ष --

हां या ना में जवाब दीजिए...।

श्री शंकर सिंह--

एक मिनट मान्यवर। मान्यवर, आप यहां पर नहीं थे तो माननीय मंत्री जी ने कुछ ऐसी बात कही जिससे हम लोगों को ऐसा लगा कि माननीय मंत्री जी के दिल को ठेस पहुंची है। माननीय मंत्री जी, हम जानते हैं कि आप दिल के बीमार हैं और हम ने पूरी अपनी तरफ से एहतिहात बरती कि कोई ऐसी बात न हो जिससे आपके दिल को ठेस पहुंचे। अगर हम वापस नहीं लेते हैं तो आपके दिल को ठेस ज्यादा लगेगी, यह भी हो सकता है। लेकिन, मान्यवर, एक परेशानी हो गई। माननीय मंत्री जी को रियासत साहब की बात पसन्द आ गई। माननीय मंत्री जी को जब किसी की बात पसन्द आती है तो उसके मुंह को चूमने की तबियत करते हैं। उन्होंने सदन में कहा है। रियासत साहब को बात पसन्द आ जाय या उनके जो उप मंत्री बैठे हैं, सरदार जी, दलजीत सिंह जी, उनको बात पसन्द आ जाय तो कोई खतरा नहीं। लेकिन अगर बगैर दाढ़ी वाले बात कहें और उनकी बात पसन्द आ जाय तो खतरा होगा। मैं उस खतरे से डरता हूं। तो प्रस्ताव को वापस कैसे लेता हूं।

श्री उपाध्यक्ष---

आप इनका मुंह चूम लीजिए, वापस ले लीजिए।

(हंसी)

श्री भानु प्रताप सिंह--

एक शेर सुनाना चाहता हूं--

मैंने तो यूं ही फेरी रेत में अंगुली,

देखा तो गौर से आप की तस्वीर बन गई।

संख्या 9––कृषि विभाग (औद्यानिक विकास), अनुदान संख्या 10-कृषि विभाग (कृषि), अनुदान संख्या 34––पशुधन विभाग, अनुदान संख्या 35––पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) तथा अनुदान संख्या 38–– मत्स्य विभाग

श्री शंकर सिंह––

ऐ दिले नां आंखबत अन्देश जबते शौक कर,
कौन ला सकता ताब दीदये जल्वे दोस्त ।

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 9––कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 9––कृषि विभाग (औद्यानिक विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6,80,11,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10––कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10––कृषि विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 92,38,08,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष––

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 34––पशुधन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 34---पशुधन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14,69,47,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 35---पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 35---पशुधन विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,93,26,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है अनुदान संख्या 38---मत्स्य विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1983 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 38---मत्स्य विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,51,71,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

विधान सभा सदस्य, श्री पंचानन राय की गिरफ्तारी एवं रिहाई की सूचना

श्री उपाध्यक्ष---

मुझे सदन को एक सूचना देनी है । जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ ने निर्धारित प्रपत्र में अपने संदेश दिनांक 5 मार्च, 1982 जो उसी दिन प्राप्त हुआ, में यह सूचित किया है कि श्री पंचानन राय, सदस्य विधान सभा (आजमगढ़) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 151/107/116 के अन्तर्गत दिनांक 5 मार्च, 1982 को लगभग डेढ़ बजे

पुलिस हिरासत में लिये गये और वे थाना हजरतगंज में रखे गये थे। श्री पंचानन राय को उसी दिन लगभग 2-30 बजे पुलिस हिरासत से रिहा कर दिया गया।

आज कार्य-स्थगन प्रस्ताव में गृह राज्य मन्त्री पर लगाये गये आरोप का उनके द्वारा स्पष्टीकरण

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन के अन्दर जो आज प्रातः मेरे ऊपर व्यक्तिगत आरोप लगाए गये थे, उसके सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण देना चाहता हूं और स्पष्टीकरण देने के साथ-साथ में एक बात और कहना चाहता हूं कि माननीय रियासत साहब ऐसे बुजुर्ग, अनुभवी और प्रजातन्त्र में विश्वास रखने वाले माननीय सदस्य की उपस्थिति में कुछ लोगों ने ऐसे आधारहीन आरोप लगाये जो संसदीय परम्पराओं के प्रतिकूल हैं। मान्यवर, मुझे याद आ गया, उस वक्त ऐसा ही कोई वक्त रहा होगा जब दुसासन के यहां द्रोणाचार्य व भीष्म पितामह बैठे हों और द्रोपदी का चीर हरण हो रहा था ठीक उसी तरह सुबह प्रजतंत्र रूपी द्रोपदी की चीर खींची जा रही थी लेकिन वह भी मौन रहे और शायद वे उस वक्त नहीं बोले।

मैं स्पष्टीकरण देते हुए यह निवेदन करना चाहता हूं इस सम्मानित सदन की गरिमा और उच्च परम्पराओं का स्मरण दिलाते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि नियम 56 के अन्तर्गत एक नोटिस द्वारा माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त व कुबेर भंडारी तथा दूसरी नोटिस द्वारा माननीय हुकम सिंह, मोहन सिंह, मोती लाल देहलवी, राम सागर, मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, जमुना प्रसाद, माता प्रसाद, तीसरी नोटिस द्वारा माननीय फखरे आलम, मु0 आजम खां, चौथी नोटिस द्वारा माननीय राम आसरे वर्मा, गोपी नाथ वर्मा, खैरुलबशर और परमाई लाल, पांचवी नोटिस द्वारा माननीय राम गोविन्द चौधरी, छठवीं नोटिस द्वारा माननीय मसरूर जाफरी, राम आसरे वर्मा, परमाई लाल, गोपी नाथ वर्मा, खैरुल बशर एवं सातवीं नोटिस द्वारा माननीय मित्रसेन यादव, ललू सिंह चौहान, विद्या सागर नौटियाल ने यह आरोप लगाया कि 23 जनवरी, 1982 को मैंने बाराबंकी जिले के थाना असन्दरा के थानाध्यक्ष, श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव को सीधे एक पत्र लिख कर उस क्षेत्र क कुख्यात प्यारे नामक अपराधी के खिलाफ कार्यवाही न करने के आदेश दिया और इस प्रकार अनुचित दबाव डाला है।

प्रसन्नता है कि माननीय उपाध्यक्ष जी ने नोटिस को नियम विरुद्ध तथा तथ्य हीन पाकर अस्वीकार कर दिया।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने शब्द "तथ्यहीन" प्रयोग नहीं किया। मैंने भी अपनी बात स्पष्ट कर दिया।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

ठीक है मान्यवर, मैंने कभी भी किसी थानाध्यक्ष को कोई पत्र नहीं लिखा है, इसलिए इस पत्र के लिखने का प्रश्न ही नहीं उठता है। बिस्मय तो यह है कि किसी आदमी ने माननीय सदस्यों को बेवकूफ बना दिया क्योंकि यदि वह पत्र स्वयं पहले पढ़े होते या देख लेते जिसकी प्रतिलिपि बाद में माननीय उपाध्यक्ष जी

[श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—]

को दी गयी, जो शायद वे स्वयं इस मत के होते कि इस प्रकार का पत्र कोई मन्त्री कभी किसी को नहीं लिख सकता है ।

अभी हाल ही म [× × ×]

श्री हुकम सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । जो आरोप माननीय मन्त्री जी के बारे में यहां लगाये गये हैं उसके बारे में स्पष्टीकरण देने का उनको अधिकार ह लेकिन स्पष्टीकरण के जामे में जो माननीय मंत्री जी तमाम प्रकार की बातें जो इस सदन में हो चुका हैं क्या उसके बारे में कोई वक्तव्य दे सकते हैं ? उन्हें केवल उस प्वाइंट तक रेलीवेंट रहना होगा जिसके बारे में वह स्पष्टीकरण देना चाहते हैं आज जो कहा गया है उसके ब रे में कहना चाहिये ..

श्री उपाध्यक्ष —

पहले पूरा वाक्य सुन लें उसके बाद व्यवस्था का प्रश्न उठायें ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

तो मैं कह रहा था [× × ×] और सम्पूर्ण प्रदेश व देश की जनता शासन के दृढ़ निश्चय और कार्यकुशलता को जानकर आश्वस्त हुई है । मैं कहना चाहता हूं [× × ×]

श्री हुकम सिंह—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

इससे क्या मतलब है ..

श्री उपाध्यक्ष—

अभी सेन्टेंस पूरा नहीं हुआ ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

(व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष—

एक साथ कितने व्यवस्था के प्रश्न उठायेंगे ?

नोट :—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हुकम सिंह--

मान्यवर, जैसा मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया था, अभी माननीय मंत्री जी पिछली कार्यवाही के बारे में कह गये कि कुछ आधारहीन, तथ्यहीन बातें कही गयीं, वह सब आक्षेप हैं । जो भी बातें कही गयीं जो सदन की कार्यवाही का अंग हो चुकी हैं जो किसी आधार पर कही गयीं । या तो वह उस बात का तभी खंडन करते और हमारे विरुद्ध विशेषाधिकार का प्रश्न ले आते । लेकिन यह कह देना कि छविराम की जो भी बात थी वह मनगढ़ंत है । तो जो बातें कही गयीं हैं वह सत्य है, हमने विशेषाधिकार का नोटिस भी दिया है। आज विशेषाधिकार के नोटिस देने के बाद फिर माननीय मंत्री जी इस बात की चुनौती दें कि जो बात कही थी वह आधारहीन थी, तथ्यहीन थी । तो मैं आप से अनुरोध करता हूं कि आप मंत्री जी को रोकें । हमने जो बातें कही हैं वे आधारहीन नहीं हैं और हम उसे सिद्ध करने के लिए तैयार हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

आज प्रातःकाल जो प्रकरण हुआ है, उसके सम्बन्ध में मंत्री जी को अपना स्पष्टीकरण देने का पूरा अधिकार है । उसमें मैं अपनी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं । टिप्पणी पूरे होने के बाद ही मैं अपनी कोई बात कहना चाहूंगा । लेकिन इस स्तर पर एक बात और पैदा हो गई है । हमारी एक परम्परा है और अध्यक्ष पीठ से भी उसके लिए व्यवस्था है कि कभी भी कुछ मोटिव किसी प्रकार का किसी पर एन्क्लूड नहीं किया जाएगा । हमने जो कुछ कहा वह किसी मोटिव से कहा, यह कहने का किसी को अधिकार नहीं है । हमें एक जानकारी मिली थी कि माननीय गृह मंत्री जी ने एक पत्र लिखा, आप उसका उद्धरण दे रहे हैं । हम उनके मोटिव पर कोई अविश्वास नहीं करते हैं, उनकी बात को काटता नहीं हूं । हम कहते हैं कि वह पत्र सही है और वह कहते हैं कि गलत हैं, उस पर आप अलग से निर्णय देंगे । मैं तो यह निवेदन करूंगा कि आप इस मामले पर किसी विजिलेंश अधिकारी से जांच करा लें, आप पत्रावली देखकर स्थिति की जांच करा लें । लेकिन हमने जो इधर से बात कही उस पर कोई मोटिव एन्क्लूड किया जाए, तो यह संसदीय परम्परा के विरुद्ध है । मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मंत्री जी जो यहां पर अपना स्पष्टी करण दे रहे हैं वह शायद आपके पटल पर नहीं भेजा गया है और गृहमंत्री जी ने उसे पढ़ना शुरू कर दिया । यह एक निश्चित विषय पर सुबह प्रश्न उठा है । उसके बारे में जो स्पष्टीकरण मन्त्री जी देना चाहें, उनको अधिकार है, हम उसे सुनेंगे, लेकिन और जो इधर-उधर के गृह विभाग से सम्बन्धित मसले हैं, उनके लिए तो जब गृह विभाग और जनरल ऐडमिनिस्ट्रेशन विभाग पर यहां डिबेट होगी, तब उसमें जितना चाहें वह कह सकते हैं । उसमें हम भी कहेंगे और आप भी कहेंगे और उसे सारे प्रदेश की जनता सुनेगी, लेकिन आपकी यह बात उस निश्चित विषय से सम्बन्धित नहीं है ।

श्री मोती लाल देहलवी--

माननीय उपाध्यक्ष जी, वैसे तो आपने अनुमति दे दी थी माननीय गृह राज्य मंत्री का स्पष्टीकरण देने के लिए और हम लोग यह चाहते थे कि माननीय गृह मंत्री जो अपना स्पष्टीकरण दें कि वह पत्र इनका लिखा हुआ है या नहीं । हम लोगों को जानकारी हुई थी कि मंत्री के पैड पर, जिस पर मंत्री की मोहर भी है, एक पत्र बाराबंकी के दरोगा को भेजा गया है ।

(व्यवधान)

में नहीं कहता कि आपके पास नहीं आया । लेकिन हमें जो जानकारी थी वह सूचना हमने दी थी, यह उसकी सफाई दे सकते थे, लेकिन गृह राज्य मंत्री ने उसी में एक यह बात और डाल दी कि चूंकि छविराम मारा गया, इसलिए उसकी प्रतिक्रिया में हमारे खिलाफ इस तरह का अभियोग लगाया गया है । मान्यवर, मैं अब भी यह कह रहा हूं कि जो छविराम मारा गया, उसका श्रेय इस सरकार को नहीं है, अगर श्रेय है तो विपक्ष को है । इस सदन में अगर विपक्ष ने यह मामला इस तरह से न उठाया होता, तो छविराम को मारने के बजाय यह सरकार छविराम को नेता बनाकर इस सदन में लाने का प्रयास कर रही थी ।

(व्यवधान)

विपक्ष ने ही इनकी हिम्मत को परस्त किया । पूरे देश और प्रदेश में इनकी इज्जत खराब हो रही थी, क्योंकि विपक्ष ने इनको वह कांटा चुभो रखा था, जिसके दर्द से यह सरकार कराह रही थी । इनके पास कोई चारा नहीं था कि किसी तरह से वह इस कांटे को निकालें और उनका दर्द किसी तरह से खत्म हो । मैं अब भी यह कहता हूं कि यदि छविराम मारा गया है तो उसका श्रेय इस सरकार को नहीं है, एक मात्र श्रेय विपक्ष को है । तो मैं यह कहना चाहूंगा कि माननीय गृह राज्य मंत्री को अनर्गल बात स्पष्टीकरण देने के नाम पर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो यह फिर बहस तलब हो जायेगा । मैं चाहूंगा आप इस पर खुले दिल से बहस करा लें, चाहे छविराम पर करा लें, चाहे इस पर करा लें । इस पर मेरा आपसे आग्रह है कि आप मंत्री जी को रोकिये ।

श्री उपाध्यक्ष—

सदन में जो कार्यवाही होती है उस पर टिप्पणी नहीं होती । जहां तक और बातों का सवाल है बजाय व्यवस्था के एक लम्बा सा भाषण हो गया । माननीय गृह मंत्री जी कृपा करके अपने बयान के उस पोर्शन को न पढ़ें जिससे लोगों की ठेस पहुंचे । उस सम्बन्ध में जो कहा गया वह कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा ।

(विपक्ष की ओर से मेजें थपथपायी गयीं)

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है लेकिन एक निवेदन करना चाहता हूं । आपने जो शकधर साहब की प्रेक्टिस और प्रोसीजर.. .

श्री उपाध्यक्ष --

आप कृपया अपना बयान पढ़ें ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मेरा निवेदन आपसे यह है कि यहां पर कहा गया कि समाचार पत्रों का जो हवाला दिया गया तो जो समाचार पत्रों में छपा था उसको प्रमाण नहीं माना जा सकता है ।

मान्यवर, मुझे दुःख है कि इस प्रकार मनगढ़न्त जाली पत्र बनवा कर आरोप लगाने का निष्फल प्रयास किया गया है ।

नियमों के अन्तर्गत माननीय सदस्यों को किसी पर आरोप लगाने से पूर्व स्वयं को आश्वस्त कर लेना चाहिए था लेकिन इस सदन की महानता और गरिमा का ध्यान छोड़कर वे मेरी छवि को धूमिल करने के लिए इस प्रकार का असफल प्रयास कर रहे हैं जिसके लिए मैं अपनी ओर से प्रतिवाद कर रहा हूं और माननीय उपाध्यक्ष और सदन का संरक्षण चाहता हूं कि वे किसी को भी इस प्रकार का अनर्गल आरोप लगाने की अनुमति न दें ?

एक निवेदन और करना चाहता हूं । मान्यवर, मुझे एक किस्सा याद आ गया ।

श्री उपाध्यक्ष—

स्पष्टीकरण तो आपका हो गया ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

मान्यवर, मेरा एक वाक्य सुन लें और वह यह कहना है कि आप समय तो नहीं देंगे लेकिन जिस प्रकार से कहा एक दूसरे पर कीचड़ उछालने की प्रक्रिया चल रही है यदि आप इजाजत दें तो एक कहानी सुना दूं ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

कहानी सुना रहे हैं, सुन लीजिए ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

ससदीय परम्पराओं की थाती का, सदन का समय सदुपयोग करके पक्ष और विपक्ष के माननीय सदन के सदस्यों की रक्षा कर रहे हैं या नष्ट कर रहे हैं इसे देखें लेकिन कहीं पर गल्ती अवश्य हो रही है । कहानी इस प्रकार से है । एक दिन एक पंडित अपने चेले के यहां चले गये । कुछ दिनों बाद जो दूसरे वाले पंडित थे, जो गांव में बेकार घूमा करते थे, उनको भी साथ ले गये और जब पहले वाले पंडित जी शौच आदि के लिए चले गये तो दूसरे वाले पंडित जो थे उनसे चेले ने पूछा कि पहले वाले पंडित कैसे हैं तो उन्होंने कहा कि वे तो पूरे के पूरे बैल हैं, पता नहीं आपने इनको कैसे गुरू कबूल किया । जब दूसरे वाले पंडित चले गये तो पहले वाले पंडित से पूछा कि दूसरे वाले पंडित कैसे हैं तो उन्होंने कहा कि वे तो गधे हैं । तो उस किसान ने एक के सामने भूसा और खली रख दी और दूसरे के सामने घास । इसी प्रकार से कुछ सदस्य शासन को और सारे सदन की छवि को धूमिल करना चाहते हैं । तो मेरी प्रार्थना है कि सदन में कोई ऐसी बात न करावें जिससे किसी की छवि धूमिल हो या सदन की प्रतिष्ठा गिरे ।

(शोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप कृपया बैठें ।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, स्टेटमेंट में स्वयं यह बात कही गयी है कि किसी ने जालसाजी की है, झूठे दस्तखत बनाये हैं, तो इसकी जांच तो होनी चाहिये कि किसने ऐसा किया है....

(शोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, नम्बर दो के मंत्री श्री ब्रह्मदत्त जी बैठे हैं....

श्री उपाध्यक्ष--

जांच की कोई परम्परा नहीं है ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

जांच मान्यवर, इसलिये करायी जाये कि यह सब किसने किया है । हम अगर गलत हैं तो हम दंड भुगतने के लिये तैयार हैं, वह पत्र सही था या गलत था इसकी जांच होन चाहिये ।

(व्यवधान)

माननीय संसदीय कार्य मंत्री या माननीय ब्रह्मदत्त जी यह घोषणा करें और यह अश्वासन दें कि हम फलां एजेन्सी द्वारा इसकी जांच करायेंगे ।

श्री हुकम सिंह--

इसको मान्यवर, बड़ा गम्भीर बना दिया गया है । मैं आपका संरक्षण चाहता हूं । अगर यह पत्र गलत होग तो हमें बड़ी खुशी होगी, मगर इसकी जांच होना चाहिये ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

(विरोध पक्ष के कई सदस्य एक साथ यह कहने लगे कि जांच होना चाहिये ।)

अब तक की सदन की यह परम्परा रही है कि अगर किसी पर कोई आरोप लगाया गया और उसने अपना स्पष्टीकरण व्यक्तिगत दे दिया तो उसे स्वीकार कर लिया जाता है, जांच की कोई परम्परा नहीं है ।

श्री रियासत हुसैन--

यह डिनाई कर रहे हैं और यहां तक कि किसी को यहां बैल बना दिया, किसी को गधा कह दिया और यह कहा कि किसी ने जालसाजी की है....

श्री उपाध्यक्ष—

तो क्या आप बैल और गधे की जांच करवाना चाहते हैं ।

(हंसी)

(शोर–व्यवधान)

श्री रियासत हुसैन—

अगर वे केवल यह कह देते कि यह दस्तखत उनके नहीं हैं, तो बात समाप्त हो जाती । उन्होंने कहा है कि यह पत्र झूठा है और जालसाजी की गयी है । तो इसकी तो जांच होना चाहिये कि यह इनके दफ्तर से जालसाजी हुई है या कहां से हुई है ।

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी—

यह बहुत उपयुक्त होगा, जैसा कि माननीय रियासत साहब कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिये कि यह जाली पत्र किसने तैयार किया । उसका स्रोत क्या है । यह सब चीजें सामने आना चाहिये । इसलिये इसकी सी० आई० डी० से जांच कराने का फैसला किया गया है ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

अब क्या रह गया, मंत्री जी ने सी० आई० डी० से जांच कराने के लिये कह दिया ।

कल सहकारिता मंत्री, श्री बच्चा पाठक पर लगाये गये आरोप का उनके द्वारा स्पष्टीकरण

सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)—

मान्यवर, मैं कल इस सम्मानित सदन में नहीं था । लेकिन मेरे ऊपर कुछ आरोप लगाया गया था ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य शान्त रहें, ताकि सुना जा सके ।

श्री बच्चा पाठक—

मान्यवर, राजेन्द्र कुमार गुप्त आदि ने कार्य–स्थगन की जो सूचना दिया था और उस पर बोलते हुए जो आरोप मेरे ऊपर लगाया था, उसके सम्बन्ध में मैं आपकी आज्ञा से अपना व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहता हूं ।

जिला बलिया में जैन राय बाबा इन्टर कालेज, गहसयार की व्यवस्था एक पंजीकृत एजूकेशन सोसायटी को प्रबन्ध समिति के द्वारा की जाती है । सन् 1976 में उक्त कालेज की प्रबन्ध समिति का चुनाव हुआ, जिसमें मैं प्रबन्धक चुना गया था ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

माननीय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय, यह जो बैकग्राउण्ड पढ़ रहे हैं, इसकी क्या आवश्यकता है ? माननीय, कल जो आरोप लगाया गया था, उसके बारे में कहें ।

श्री उपाध्यक्ष—

पहले बयान सुन लीजिये ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

उसी बयान के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न है, माननीय ।

आरोप माननीय, केवल एक था कि क्या उस कार्यकारी जिला विद्यालय निरीक्षक को बांध कर पेड़ में लटकाने की धमकी नहीं दी गई ? उसको प्रताड़ित नहीं किया गया ? उसको थ्रेटेनिंग नहीं दी गयी ? क्या उसको धौंस देकर काम नहीं कराया गया ? मेरा आरोप था कि उस जिला विद्यालय निरीक्षक को पुलिस से बुलाया गया और उसको थ्रेटेनिंग दी ।

श्री उपाध्यक्ष—

क्या एक वाक्य में उनका उत्तर आप चाहते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

जी ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप एक वाक्य में उत्तर चाहते हैं ? आप हां, या नहीं में उत्तर चाहते हैं ?

श्री राजन्द्र कुमार गुप्त—

जी हां ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप एक वाक्य में उत्तर दे दीजिए । वह संदर्भ नहीं चाहते हैं । हां या नहीं में उत्तर चाहते हैं ।

श्री बच्चा पाठक—

माननीय, आपकी आज्ञा से मैं यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ आरोप मेरे ऊपर लगाया गया है, वह बिल्कुल निराधार है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

बात खत्म हो गयी, एक वाक्य में । आपको जानना चाहिये कि एक वाक्य में उन्होंने जवाब दे दिया ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर . . .

(व्यवधान)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत 11 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें एक श्री राजन्द्र कुमार गुप्त की स्वीकार की गयी । वह दिनांक 5 मार्च, 1982 को सरस्वती कन्या विद्यालय इन्टर कालेज, नरही के छात्राओं, अध्यापिकाओं तथा अध्यापकों पर लाठी चार्ज एवं गिरफ्तारी के सम्बन्ध में है । इस विषय में माननीय विधायकों ने सवेरे कुछ बाते कहीं थीं और आप सब की इच्छा को देखते हुए उन्हें मैंने यह निर्देश दिये कि वे नियम 51 की सूचना स्वीकार हो तो बीच का जो डेवलपमेंट हो वह एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के रूप में आपके सामने उपस्थित करेंगे ।

सरस्वती कन्या विद्यालय के छात्राओं, अध्यापिकाओं तथा अध्यापकों पर लाठी चार्ज के सम्बन्ध में वक्तव्य

वित्त मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)—

मान्यवर, यह स्कूल का झगड़ा है । इस स्कूल के पास दो भवन हैं ।

श्री उपाध्यक्ष—

जितना आप सवेरे कह चुके हैं उससे आगे कहें ।

श्री ब्रह्मदत्त—

मान्यवर, जो सूचना मैं नहीं दे पाया था वह यह थी कि विधान परिषद् में मैंने कहा कि एक कमेटी बना दी जाय । वह निराकरण करे । लेकिन जैसे ही मैंने कमेटी की बात की वहां पर शोर हुआ । वह लोग नरही चले गये । 5–6 विधायकों ने कब्जे लेने की कोशिश की और छोटे बच्चों को आगे किया । वहां पर पुलिस ने उनको रोका । लेकिन फिर भी वे अन्दर दाखिल हो गये और अन्दर जाकर लोगों में झगड़ा हुआ । उसमें कुछ लोगों को चोटें आई हैं पुलिस को भी चोट आई । दोनों तरफ से रिपोर्ट लिखाई गई है । जांच हो रही है । तो वहां से माननीय विधायकों को और कुछ लोगों को थाने में लाया गया उसके एक घंटे के बाद 151 की दफा उन्हें उनकी गिरफ्तारी में सुना दी गई । 107 और 116 की कार्यवाही हो रही है ।

मान्यवर, आज भी कुछ सदस्य गये और उन्होंने अपने को गिरफ्तारी के लिये पेश किया । मैंने कहा कि इनको गिरफ्तार न रखा जाय इनको छोड़ दिया जाय । लेकिन स्थिति यह है कि जितने बच्चे पढ़ने वाले हैं उनके लिये हम खाली मैदान में टेन्ट लगाने को तैयार हैं, मान्यवर, विद्यालय की प्रबन्ध समिति के पास भवन उपलब्ध है, प्राइमरी स्कूल का भवन उपलब्ध कराने को तैयार हैं । लेकिन वह लोग तैयार नहीं हैं । इस समस्या का निराकरण तब तक नहीं निकल सकता है जब तक वह इस जिद को न छोड़ दें कि उसी भवन में कक्षा चलायेंगे

[श्री ब्रह्मदत्त—]

नहीं तो न वहां की कक्षा चलने देंगे, न लखनऊ की कक्षा चलने देंगे । हमारे पास कानून के अन्तर्गत कोई अधिकार नहीं है कि उस भवन को जिसको कोर्ट के द्वारा खाली कराया गया है उसका कब्जा दिलवायें । भवन की व्यवस्था की जा रही है रेट कन्ट्रोल से एलाटमेंट की भी कार्यवाही हो रही है लेकिन कानूनी प्रक्रिया है । मैं माननीय सदस्यों से अपील करूंगा और खासकर शिक्षकों और विधायकों से कि 9, 10, 11, 12 की कक्षा वहीं चलायें और इसको राजनीतिक आन्दोलन का मुद्दा न बनायें । भविष्य में मुझे आशा है कि सुबुद्धि आयेगी और इसका निराकरण हो सकेगा ।

श्री उपाध्यक्ष—

आप 16 को वक्तव्य देंगे ।

श्री रियासत हुसैन—

पुलिस ने बल प्रयोग नहीं किया है । पुलिस ने लाठी चार्ज नहीं किया ।

श्री उपाध्यक्ष—

जब निश्चित वक्तव्य आयेगा तो सब आयेगा । आप बिराजें ।

जनपद मैनपुरी के ओछा थानान्तर्गत ग्राम बल्लभपुर में चार व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह मंत्री (श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी)—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 20-2-82 को प्रातः 10 बजे ग्राम चौकीदार पंछीलाल ने थाना ओछा पर सूचना अंकित कराई कि ग्राम बल्लभपुर में मूरा डकैत ने अपने साथियों सहित रात में लगभग 12 बजे गांव के मुरारी लाल, उसके लड़के ओमप्रकाश व उसकी पत्नी मायादेवी तथा लड़की चन्द्रकांता की गोली मार कर हत्या कर दी है तथा मुरारी लाल की लड़की ओमवती को पकड़ कर ले गये हैं । इस सूचना के आधार पर थाना ओछा, जनपद मैनपुरी में अपराध संख्या 16, धारा 147/148/149/302/366/364 भा0 दं0 वि0 पंजीकृत किया गया जिसमें मूरा नामजद अभियुक्त है । विवेचना से नामित अभियुक्त मूरा के अलावा 5 अन्य अपराधी 1—छोटे 2—मनीराम 3—कैलाश 4—अजंट सिंह 5—जाहरी और प्रकाश में आये । दिनांक 2/3 मार्च, 1982 को कोतवाली पुलिस मैनपुरी द्वारा शेर सिंह नाम का एक अपराधी गिरफ्तार किया गया जिसने उपरोक्त घटना में सम्मिलित होना बताया तथा इस घटना से सम्बन्धित 3 अन्य अभियुक्त जाहर सिंह, साधू और रामअौतार का भी नाम बताया ।

दिनांक 3-3-82 को छविराम गिरोह से ग्राम नगला अटा व नवानतेरा के निकट पुलिस की हुई मुठभेड़ में छविराम सहित 14 डकैत मारे गये । इस मुठभेड़ के पश्चात् आहत लड़की कुमारी ओमवती भी बरामद कर ली गई है ।

अब तक की विवेचना से इस अपराध का उद्देश्य आपसी रंजिश का होना पाया गया है ।

स्थानीय पुलिस द्वारा इस क्षेत्र में आवश्यक सुरक्षात्मक प्रबन्ध किये जा चुके हैं। अतः इस घटना को लेकर असुरक्षा व आतंक की भावना व्याप्त नहीं है।

श्री रियासत हुसैन--

मान्यवर, मंत्री जी ने बताया कि भूरा के साथ 5 व्यक्ति प्रकाश में आये एक बार और शेर सिंह पकड़ा गया तो उसने 3 नाम बताये, कुल मिलाकर 9 हो गये, इसमें से भूरा मारा गया। तो क्या मंत्री जो बतायेंगे कि बाकी 8 क्या भूरे के साथ एक्टिव गैंग में थे। 14 में से उनमें से कोई मारा गया है या यह अन्य थे और इन एक्टिव तरीके से नामजद थे, तो उनको क्या गिरफ्तार किया गया ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

मान्यवर, जो छविराम के साथी मारे गये हैं, जो आइडेन्टिफाई हो गये हैं, उसमें तीन नाम हैं--कैलाश, राम औतार और छोटे यह आइडेन्टिफाई नहीं हुए हैं कि वही हैं जिन्होंने यहां पर हत्याकांड किया था। इसके प्रयास जारी हैं कि आईडेन्टिफाई किया जाय। बाकी जो हैं प्रकाश में, उनके खिलाफ कार्यवाही की जा रही है, ढूढ़ने का प्रयास किया जा रहा है। जब गैंग का नेता और उसके 13 साथियों का सफाया हो गया है तो इन छोटभैयों की सफाई करने में कोई कसर नहीं बाकी रखी जायेगी।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, अभी बताया कि कैलाश आदि मारे गये हैं लेकिन आइडेन्टिफिकेशन से सुनिश्चित नहीं हुये हैं कि वह वही हैं जो इस कांड में थे जिनके नाम लिए। जो नाम इसमें दिये गये हैं उनको पकड़ने के लिए इनके घरों पर दबिश डाली गई और 82-83 की कार्यवाही की गई कि नहीं ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब कहीं पकड़े जायेंगे तो 82-83 की कार्यवाही अवश्य की जायेगी।

श्री रियासत हुसैन--

मैंने मान्यवर, स्पष्ट पूछा था कि 9 में से 3 मारे गये हैं, तो जो डकैतों का ऐक्टिव गैंग है उसके वह मेम्बर थे कि नहीं ? यदि उनके रहने का स्थान है जो आपको मालूम होना चाहिये तो वहां गिरफ्तारी और 1982-83 की कार्यवाही एवं अन्य क्या कार्यवाहियां की गई हैं।

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी—

आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और जसा पहले कहा कि कैलाश, राम औतार और छोटे का आइडेन्टिफिकेशन नहीं हुआ है, हो सकता है और कोई नाम हों। लेकिन 9 अभियुक्तों को खोजबीन के लिय पूरा प्रयास हो रहा है और सरेन्डर नहीं करेंगे तो दफा 82-83 की कार्यवाही की जायेगी। जो ओमवती लड़की किडनैप हुई थी, वह बरामद कर ली गई है।

श्री मोती लाल देहलवी--

ओमवती जिसका अपहरण किया गया था बरामद हुई तो जाहिर है कि उसका बयान पुलिस ने लिया होगा। तो बयान में उसने कौन-कौन अभियुक्त बताये ह, जो इस कांड में शामिल थे, यह मंत्री जी बता दें ?

श्रीमती स्वरूप कुमारी बख्शी--

मान्यवर, अभी विवेचना जारी है। ओमवती से जो बातें पूछी गयी हैं उसके बारे में अभी हमारे पास सूचना उपलब्ध नहीं है। अभी तो हाल की घटना है। अभी तो मान्यवर, वहां छबिराम के जो 14 साथी मारे गये हैं उन्हीं की खोजबीन हो रही है। सुनते हैं कि कुछ और लोग मरे हैं तो इसकी खोजबीन की जा रही है।

श्री रियासत हुसैन--

श्रीमन्, 3 आदमी मारे गये हैं। बाकी की गिरफ्तारी का आप प्रयास कर रहे हैं। तो बाकी 5 लोग जो हैं उनकी सकूनत क्या है, कहां के रहने वाले हैं ?

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

मान्यवर, विवेचना में जितनी बातें आयीं हैं उनमें सकूनत कुछ लोगों की आयी है और कुछ नये जिन लोगों को आयी है उसमें मुरारी लाल वल्द बनवारी लाल यादव, बल्लमपुर ओझा तो इस तरह की चीजें आयी हैं। माननीय सदस्य ने पूछा कि ओमवती ने जो बयान दिया है उसमें किसको वेरीफाई किया है तो इसकी पूरी जानकारी है जो वह मंगायी गयी है। इस विन्दु को देखा जा रहा है।

जनपद बदायूं के ग्राम बेहटा कोड़ा में असामाजिक तत्वों द्वारा चार व्यक्तियों की हत्या के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह राज्य मंत्री (श्री राजेन्द्र त्रिपाठी)--

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 23-2-82 को प्रातः 8.05 बजे श्री बहोरन पुत्र भोगी, निवासी ग्राम बेहटा कोड़ा, थाना बिसौली, जनपद बदायूं ने थाना बिसौली पर इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई कि विगत आधी रात अभियुक्तगण जोगराज सिंह, अमर सिंह, राम प्रसाद, सूरजभान, चेतराम व 6-7 अन्य ने मिलकर जानकी, पातीराम, जयसिंह व हरीराम की गोली मारकर हत्या व हरदयाल को घायल कर दिया है। इस सूचना पर थाना बिसौली पर अपराध संख्या 91 धारा 147/148/149/307/302 भा0 दं0 वि0 का अभियोग पंजीकृत करके विवेचना प्रारम्भ की गई।

यह जानकारी हुई है कि वर्ष 1979 में श्री भैरव सिंह का बिजली का मोटर चोरी चला गया था जिसका शुबहा अनोखे पर था परन्तु गवाह न होने के कारण अनोखे के विरुद्ध रिपोर्ट नहीं लिखाई गई थी। इसी बिना पर अनोखे भैरव सिंह से रंजिश मानने लगा था। इसी रंजिश की बिना पर वर्ष 1979 में भैरव सिंह की हत्या अनोखे व भूपराम द्वारा कर दी गई थी। इस मुकदमें में अनोखे व भूपराम को आजीवन कारावास की सजा हुई थी किन्तु अपील पर हाईकोर्ट द्वारा उन्हें छोड़ दिया गया। छूटने की खुशी में जानकी व पातीराम जो अनोखे तथा भूपराम के भाई थे, ने

अपने घर पर हाल ही में कथा कराई व खुशी मनाई। इस अवसर पर अनोखे व मुपराम भी आये थे जो एक दिन रुकने के बाद चले गये। यह उत्सव भैरव सिंह मृतक के भाई जोगराज व उनके सहयोगियों को अच्छा न लगा। अतः अपने भाई भैरव सिंह की हत्या का बदला लेने हेतु जोगराज ने अपने सहयोगियों सहित 22/23-2-82 को हमला करके उपरोक्त चार व्यक्तियों की हत्या कर दी।

प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद एक अभियुक्त चेतराम गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है शेष अभियुक्त फरार हैं जिनकी तलाश व गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सुरक्षा हेतु गांव में सशस्त्र पुलिस तैनात कर दी गई है। इस घटना को लेकर उक्त गांव अथवा उसके आस पास में किसी तरह का कोई भय व असुरक्षा आदि व्याप्त नहीं है और न ही कोई उत्तेजना है।

श्री रियासत हुसैन--

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि जो वहां पर खुशी मनाई जा रही थी और कथा वगैरह हो रही थी। उसमें क्षेत्रीय थाने का कांस्टेबिल भी शामिल था। तो क्या इसकी जांच करायेंगे ?

श्री राजेन्द्र त्रिपाठी--

मान्यवर, अब तक की जानकारी में यह बात नहीं आयी है लेकिन अगर इस तरह की बात चाहते हैं तो जांच करा ली जायगी।

होली के अवसर पर शासन द्वारा अतिरिक्त चीनी वितरित किये जाने सम्बन्धी आदेश की जानकारी की मांग

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, मैंने एक पत्र आपके पास भेजा है इस सम्बन्ध में।

श्री उपाध्यक्ष--

मुझे पढ़ लेने दीजिये। आपका पत्र मैं अभी पढ़ भी नहीं सका हूं।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, तब तक मैं एक प्रश्न कर लूं।

श्री उपाध्यक्ष--

रुक जायं, मैं पढ़ लूं।

(पत्र पढ़ने के बाद)

वैसे यह नियम में तो नहीं है लेकिन होली का अवसर है और होली का त्यौहार है, इसलिये आप पूछ लें।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मान्यवर, समाचार-पत्रों के माध्यम से यह जानकारी मिली है कि जिलाधिकारियों को शासन द्वारा आदेश कर दिये गये हैं कि होली के मौके पर एक किलो ग्राम चीनी मिलेगी। आज मैंने जिलाधिकारी से सम्पर्क करने की कोशिश की तो

[श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—]

यह मालूम हुआ कि अभी तक जिले में चीनी का आबंटन नहीं हुआ है और चीनी वहां पहुंची नहीं है । जब जिला केन्द्रों पर चीनी पहुंच नहीं पायी है, तो वितरण कैसे होगा ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या कोई व्यवस्था ऐसी है कि होली के पहले सबको चीनी मिल जाय और एक बात और कि एक कि0 ग्राम चीनी जो दी जा रही है, उसके बारे में यह भी कहा गया है कि चीनी का कोटा अगले महीने में कट लिया जायगा, तो इसके विषय में माननीय मन्त्री जी बता दें ।

खाद्य एवं रसद मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)—

मान्यवर, माननीय सदस्य को चिन्ता है और वास्तविक चिन्ता है और उनसे ज्यादा मुझे चिन्ता है । कुछ कठिनाई जरूर है, लेकिन जीवन बिना कठिनाइयों के भी नीरस हो जायगा । इन कठिनाइयों के बावजूद चीनी पहुंचाने का प्रयत्न किया जायगा, 1 कि0 ग्राम से बढ़ाना सम्भव नहीं है । अगर हम कह भी दें तो उसका परिपालन नहीं हो पायगा । मैं निश्चय ही सभी जिलाधिकारियों को रेडियोग्राम भेज दूंगा कि हर हालत में चीनी पहुंचाने की समुचित व्यवस्था करें और होली के अवसर पर निश्चय ही सबको चीनी मिल सके ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, एक प्रश्न रह गया कि यह जो अगले महीने में काट ली जायगी, तो फिर उसे देने से फायदा ही क्या है, जिसे अगले महीने में बाजार से खरीदनी पड़ेगी, वह इसी महीने में खरीद लेगा ।

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, यह बहुत अरजेन्ट नहीं है, इसके विषय में बाद में बात कर लेंगे ।

(सभी सदस्यों द्वारा श्री उपाध्यक्ष को और श्री उपाध्यक्ष द्वारा सभी मा0 सदस्यों को होली की मुबारकबाद दी गयी) ।

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं, 12 तारीख को 11 बजे फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 7 मिनट पर शुक्रवार, 12 मार्च, 1982 के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :
6 मार्च, 1982 ।

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

पी0 एस0 यू0 पी0—22 वि0 सभा—16-8-83—(835 प्रतियां) पी0 डी0